लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची CONTENTS

अंक 23, गुरुवार, 7 जुलाई, 1977/16 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 23 Thursday, July 7, 1977/Asadha 16, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	Oral Answers to Questions— .	1—16
*तारांकित प्रश्न संख्या 365 से 369	*Starred Questions Nos. 365 to 369	1—16
अल्प सूचना प्रश्न के बारे में	Re : Short Notice Question .	16—18
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 13	Short Notice Question No. 13	18—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	Written Answers to Questions— .	25
तारांकित प्रश्न संख्या 370 से 384	Starred Questions Nos. 370 to 384	25—33
अतारांकित प्रश्न संख्या 2782 से 2810, 2812 से 2864 और 2866 से 2872	Unstarred Questions Nos. 2782 to 2810, 2812 to 2864 and 2866 to 2872. .	33—77
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table . .	77-78
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	78—83
बैंक ड्राफ्ट की एक फोटो प्रति जिसके अनुसार श्री संजय गांधी के आदेश से श्रीमती मेनका गांधी को, 25,000 स्विस फ्रांस के भुगतान का रहस्योद्घाटन।	Photostat copy of a Bank Draft revealing payment of 25,000 Swiss France to Mrs. Maneka Gandhi by order of Shri Sanjay Gandhi	78—83
श्री हरिविष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	78,79,80,81, 83
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . .	78,79,80,81 82,83
सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	Committee on Absence of Members from the sittings of the House	83
पहला प्रतिवेदन––प्रस्तुत किया गया	First Report—Presented	

*किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अनुदानों की मांगें, 1977–78—	Demands for Grants, 1977-78	84—102
पेट्रोलियम मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Ministry of Chemicals and Fertilizers . .	
श्री धर्म सिंह भाई पटेल	Shri Dharamsinhbhai Patel	84
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George . .	84—85
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya .	86-87
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	87
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan .	87-88
श्री शिव नारायण सरसूनिया	Shri Shiv Narain Sarsonia	88-89
श्री यशवन्त बोरोल	Shri Yashwant Borole . .	89-90
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	90-91
श्रीमती मृणाल गोरे	Shrimati Mrinal Gore . .	91-92
श्री इस्माईल हुसैन खान	Shri Ismail Hossain Khan . .	92-93
श्री दुर्गाचन्द	Shri Durga Chand . . .	93
श्री समरेन्द्र कुण्डु	Shri S. Kundu	93—95
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi . . .	95
श्री लखनलाल कपूर	Shri L. L. Kapoor .	95-96
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	96-97
श्री मदन लाल शुक्ल	Shri Madan Lal Shukla . . .	97
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna . . .	97—101

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 7 जुलाई, 1977/16 आषाढ़, 1899 (शक)

Thursday, July 7, 1977/Asadha 16, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in she Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मानव रक्त का क्रय-विक्रय

*365. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में लगभग सभी अस्पतालों में मानव रक्त का क्रय-विक्रय होता है;

(ख) क्या सरकार ऐसी स्थिति को स्वस्थ अथवा संतोषजनक समझती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस व्यापार क्रिया को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) It is a fact that most of blood donation in the country comes from professional donors.

(b) No.

(c) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Statement giving steps taken by Government to discourage commercialisation of blood donation

(i) A complete ban has been imposed on the export of all human blood and blood products except gamma globulin and human serum albumin obtained from human placenta ;

;(ii) Voluntary organisations are given grants by Government to encourage them to educate and motivate the public to donate blood ;

1996 एल0 एस0—1

(iii) The Central Health Education Bureau is also being requested to prepare and distribute propaganda material for the purpose in hospitals, medical colleges etc.

(iv) To improve upon the quality of blood banks, the question of amendment of Drugs and Cosmetics Rules, 1945, relating to the requirement of blood banks and quality of blood supplied by them is being considered by a Sub-Committee in the Directorate General of Health Services.

श्री पी० जी मावलंकर: मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सरकार इस बात से सन्तुष्ट नहीं हैं कि रक्तदान करने वाले लोग अधिकांशत: पेशेवर दाता ही होते हैं और गुजरात और चडीगढ़ को छोड़कर, यहां लोग स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं, सभी अस्पतालों में पेशेवर दाता ही रक्तदान करते हैं ।

मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार स्वेच्छिक संगठनों को अनुदान देती है। क्या ये अनुदान गुजरात में रेड क्रास सोसायटी को और चडीगढ़ में रक्त बैंक को दिये जाते हैं। क्या मंत्री महोदय स्वेच्छिक रिक्त दान के इस अभियान में दिये जाने वाले दान पर शत प्रतिशत दूर छट देने के बारे में विचार करेंगे ?

दुर्भाग्यवश, अधिकांश संसद सदस्य इस आभियान को प्रोत्साहन नहीं देते । रक्तदान से हमारे में कोई कमजोरी नहीं आती । संसद् सदस्यों को भी अपना योगदान देना चाहिये ।

Shri Raj Narain: The points made by the Hon'ble Minister will be given due consideration.

श्री पी० जी० मावलंकर: मई, 1975 में जेनेवा में हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 28वें पूर्ण अधिवेशन में भारत सरकार ने स्विटजरलैंड, नोरवे, स्वाजीलैंड और रूमानिया समेत अन्य देशों के साथ मिलकर एक संकल्प पेश किया था जिसमें सम्बधित राज्यों की सरकारों से इस विषय पर विधान बनाने के लिये कहा गया था। क्या भारत सरकार ऐसा कोई विधान बना रही है जिसके अन्तर्गत पेशेवर दाताओं द्वारा रक्त दान करने की प्रणाली को सरकारी और गैर-सरकारी सभी अस्पतालों में हमेशा के लिये समाप्त किया जा सके ।

Shri Raj Narakn : The other day I paid a surprise visit to Indian Institute of Medical Sciences and found hundreds of poor people in) rags, sitting there for donating blood. I made enquiries from the Director General about them. He told me that he is trying to improve the situation. It is a fact that the professional donors are poor people and earn money by donating blood. They will have to be provided with means of livelihood and if they donate blood, we have to consider what action should be taken about them.

The figures of the grants given by us are as under :

	1975-76	1976-77
	Rs.	Rs.
1. Indian Red Cross, Sholapur	21,000	21,000
2. Orissa Red Cross Blood Bank .	16,000	16,000
3. Red Cross Blood Bank, (Chandigarh)	42,000	21,000
4. Indian Red Cross Society (Andhra Pradesh)		21,000
5. Indian Red Cross Jammu and Kashmir .		47,000
6. Voluntary Blood Donator Services .		18,676

Shri P.G. Mavalankar : What amount was given to Gujarat Red Cross ?

Shri Raj Narain : In Gujarat, blood probably becomes available without any grants. Therefor there is no need for giving any grant to Gujarat.

प्रो० पी० जी० मावलंकर: गुजरात ही ऐसी जगह है जहां पेशेवर दाता नहीं हैं। वहां सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों में स्वेच्छा से दिया गया रक्त ही प्रयोग में लाया जाता है।

Shri Raj Narain : We given Rs. 18,676 as grant to voluntary services. It is just possible that some institution of Gujarat might be getting a portion of this grant.. However, I am not definite about it. I require notice for it.

Dr. Sushila Nayar : Is the Hon'ble Minister aware that the professional donors donate blood too frequently and thus play ha oc with their health. In view of this will Government fram certain stringent rules, whereunder a person who has donated the blood should no tbe allowed to donate blood next time before the expiry of at least 6 months?

Secondly, the healthy relations of the patient should be asked to donate blood. The blood should not be allowed to be purchased. The Blood Banks should be instructed to impress upon the relatives of the patients to donate blood in exchange for the blood that they requir for their patients and not to pay money for the blood taken from the Blood Banks.

Shri Raj Narain : Our Government have taken steps to dissuade physically emaciated people from donating blood. But these poor people are compelled to donate the blood as they have no other means of livelihood. I am of the firm view that this situation must be remedied. We have imposed a complete ban on the export of all human blood and blood products except gamma globulin and human serum albumin obtained from human placenta.

Secondly, voluntary organisations are given grants by Government to encourage them to educate and motivate the public to donate blood.

Apart from this, the Central Health Eduation Bureau is also being requested to prepare and distribute propaganda material for the purpose in hospitals, medical colleges etc.

Fourthly, to improve upon the quality of blood banks, the qu stion of amendment of Drugs and Cosmetics Rules, 1945, relating to the requirement of blood banks and quality of blood supplied by them is being considered by a Sub-Committee in the Directorate General of Health Services. That sub-Committee will also ensure that no bungling takes place in this regard.

श्री वसन्त साठे : हमारे सरकारी अस्पतालों में प्रति मास अथवा प्रति वर्ष कितने रक्त की आवश्यकता होती है ? क्या दान किया गया रक्त हमारी जरूरत को पूरा कर देता है ?

स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों से रक्त एकत्र करने की कोई समुचित व्यवस्था है ? जब भी रक्त एकत्र करने के लिये कोई अभियान चलाया जाता है तो अस्पतालों में रक्त जमा रखने की यथेष्ठ व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार यह अभियान असफल हो जाता है। इसीलिये ये अस्पताल पेशेवर दाताओं से रक्त लेते है। क्या इन पेशेवर दाताओं के लिये विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दरें हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

इन गरीब पेशेवर दाताओं को निःशुल्क चिकित्सा सहायता की सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार इन्हें सरकारी अस्पतालों से निःशुल्क चिकित्सा सहायता दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

Shri Raj Narain : I am of the view that we should not obtain blood from the poor emaciated people against payment.

As far our requirement of the blood, we require blood, in large quantities. The availability of the blood falls much short of our requirement. I don't have exact figures at present. For that I would require notice. At present I can say that our requirement of blood far exceeds its availability. I impress upon all my friends and relatives to donate blood voluntarily. When blood is donated by someone, our doctors feel happy.

At present a heart operation costs about Rs. 12,500/- and a kidney operation costs Rs. 7500/-. We arranged some operations free of cost in the past but we have also got limit. We cannot arrange operations free of cost. I would like to tell the affluent persons of the

society that it is a humanitarian question and they should voluntarily offer and collect funds for this noble cause. I would request the Prime Minister that a Trust may be set up and this money should be spent for kidney and heart operations or some serious disease.

हिन्दुस्तान स्टील लि० ग्रादि द्वारा दिया गया स्टाकयार्ड का किराया

***366. श्री ग्रार० डी० गट्टानी :** क्या **इस्पात ग्रौर खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील, मैसर्स इंडियन ग्रायरन तथा मंत्रालय के ग्रधीन ग्रन्य सरकारी ग्रथवा ग्रर्ध-सरकारी निकायों द्वारा देश के भिन्न-भिन्न नगरों में ग्रपने स्टाकयार्डों का कितना-कितना किराया दिया जा रहा है; ग्रौर

(ख) भाग (क) में उल्लिखित किरायों पर व्यय कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात ग्रौर खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) भूमि मुख्यता राज्य सरकारों, रेलवे, पत्तन प्रबन्ध समितियों से किराए पर ली गई है । केवल कुछ स्थानों पर जहां राज्य सरकारों तथा सरकारी सगठनों से सुविधाजनक स्थल प्राप्त नहीं हुए है वहां गैर-सरकारी पार्टियों से भूमि पट्टे पर ली गई है । स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ग्रौर जहां कहीं ग्रावश्यक समझा जाता है हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा भूमि खरीदने के उपाय किये जाते हैं ।

विवरण

हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा "इस्को" द्वारा क्षेत्र में विभिन्न नगरों में स्थित ग्रपने स्टाकयार्डों के लिए दिया गया किराया

ब्रांच का नाम	स्टाकयार्ड का वार्षिक किराया (रुपये)	किसको दिया गया	टिप्पणी
1	2	3	4
(क) हिन्दुस्तान स्टील लि०			
1. **कलकत्ता क्षेत्र**			
कलकत्ता			
1. जगन्नाथ घाट	149688	मेसर्स सी० ग्राई० डब्ल्यू० टी० सी० कारपोरेशन	
2. पहाड़पुर	176450	कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट	
3. गौहाटी	81600	मेसर्स सी० ग्राई० डब्ल्यू० टी० सी० कारपोरेशन	
4. विशाखापत्तनम	23212	दक्षिण-पूर्वी रेलवे	

1	2	3	4
2. **पूर्वी क्षेत्र**			
5. बोकारो	8400	बोकारो स्टील लि०	
6. धनबाद	173280	मेसर्स एच० डी० अजमीरा	निजी संस्था
7. भुवनेश्वर	2964	दक्षिण-पूर्वी रेलवे	
3. **केन्द्रीय क्षेत्र**			
8. कानपुर	74246	उत्तरी रेलवे	
4. **परिश्चमी क्षेत्र** **बम्बई**			
9. विद्याबिहार	154592	केन्द्रीय रेलवे	
10. आई०ई०डब्ल्यू०	126000	वस्टर्न रोलिंग मिल्स	निजी संस्था
अहमदाबाद			
11. साबरमती	21254	पश्चिमी रेलवे	
12. नरोदा	99427	जीवनलाल पंजालाल और 8 अन्य	निजी संस्था
13. इन्दौर	141	उद्योग निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार	निजी संस्था
5. **उत्तरी क्षेत्र**			
14. दिल्ली	33885	दिल्ली विकास प्राधिकरण	
15. फरीदाबाद	30400	निदेशक, नगर सम्पदा, फरीदाबाद	
16. जयपुर	165960	मेसर्स मान इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन	निजी संस्था
17. कोटा	2500	अर्बन इम्परूवमेंट ट्रस्ट, कोटा	
6. **उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र**			
18. जालन्धर	25920	यनाइटिड क्रिश्चियन इंस्टीच्युट एण्ड मेसर्स मिसिज बी० एम० थयोफिलस	निजी संस्था
19. श्रीनगर	6000	राज्य सरकार	

1	2	3	4
7. **दक्षिणी क्षेत्र**			
20. मद्रास	359064	मद्रास पोर्ट ट्रस्ट	
21. बंगलौर	7400	दक्षिण रेलवे	
22. कोचीन	82170	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	
(ख) इंडियन आयरन एण्ड स्टील लि०			
23. दिल्ली	17488.27	दिल्ली कैथोलिक आर्चडाइ असीस (2968.27 रु०) तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (14,520.00 रु०)	निजी संस्था
24. बम्बई	21609	बम्बई पोर्ट ट्रस्ट	

Shri R.D. Gattani : The amount of lease for the land acquired from the Mass Udyog, Jaipur is very high. Whether effort will be made to reduce it ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने इस मामले की विशेष रूप से जांच की है । यह भूमि रेल लाइन के बहुत ही समीप है । यार्ड में इसकी एक प्राइवेट साईडिंग भी है । इसी कारण इसकी कीमत बहुत अधिक है । यार्ड के बदले जाने के बारे में हम राज्य सरकार से कह रहे हैं कि वह यार्ड के लिये दूसरी उपयुक्त जगह अलाट करें ।

Shri R. D. Gattani : The Mass Udyog was leased out land by Jaipur Estate at very low price. An open portion of this land has been let out at exorbitant rent. Will this rent be reduced ?

श्री बीजू पटनायक : 9.22 एकड़ भूमि थोड़ी नहीं है । जिन प्राधिकारियों से हमने पूछताछ की उनके अनुसार किराया बहुत अधिक नहीं हैं क्योंकि यह रेलवे के अहाते से सटी हुई है । हम अपनी स्वयं की भूमि खरीदने का विचार कर रहे हैं ।

शिशुओं में दस्तों और श्वास की बीमारियां

*367. **श्री रेणुपद दास :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दस्तों तथा श्वास की बीमारियों से शिशुओं की सब से अधिक मौतें होती हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश में रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठा कर बेहतर मलव्यवस्था और जल सप्लाई पद्धति के जरिए ही इन बीमारियों को रोका जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन बीमारियों को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes, Sir.

(b) Provision of better sewerage and Water Supply System and the raising of the standard of living in the country will greatly reduce the incidence of diarroheal diseases.

(c) A statement indicating the steps taken by the Government is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Following steps are being taken by the Government to combat Diarrohea and Respiratory Diseases among children :—

(i) Peripheral Health and Medical staff have been trained to identify Diarrohea and respiratory diseases among infants.

(ii) Serious cases are referred for treatment to sub-District and District Hospitals where services of Paediatricians are available. Auxiliary Nurses Midwives, Lady Health Visitors and doctors are trained also to provide first aid services in the Primary Health Centres and dispensaries itself.

(iii) Health and Medical staff are also equipped with Health Education material. They take up Health Education Programme frequently to prevent Diarrohea diseases by proper food and development of Hygienic and sanitary habits to minimise the illness.

(iv) A National Water Supply and Sanitation Programme has been launched under which safe and protected drinking water supply and sewerage schemes are being implemented by the various Stateunion Territory Governments.

(v) A Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme is also being initiated under which villages experiencing acute difficulty in obtaining safe and protected drinking water will be given top priority

(vi) Legislation for control of air pollution is also proposed to be undertaken soon.

श्री आर० पी० दास : श्वास की बीमारियों में डिप्थीरिया, काली खांसी और खसरा रोग आते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार खसरे से बच्चों की सबसे अधिक मृत्यु होती हैं। डिप्थीरिया और काली खांसी के टीके तो हैं परन्तु भारत में खसरे के लिये कोई टीका नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत में खसरे के लिये टीका बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

Shri Raj Narain : The question is related to only diarrohea and respiratory diseases. Separate notice is required for other things.

श्री आर० पी० दास : क्या सरकार को यू एन आई सी ई एफ द्वारा प्रायोजित बाल अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष 1979 में 17–19 मई को मनीला में होने वाले सम्मेलन के बारे में पता है ? इस सम्बन्ध में मैं इस सम्मेलन के लिये चुने गये बाल-रोग चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों के नाम जानना चाहता हूं। क्या इनके नामों की सूची तैयार की जा चुकी है या तैयार की जा रही है ?

Shri Raj Narain : This question does not arise out of it.

Shri Yuvraj : Will the hon. Minister be pleased to state the names of the States which have undertaken the programme of National water Supply and sanitation ?

Mr. Speaker : How it is relevant here ?

Shri Yuvraj : I want to know the names of the States where Government have undertaken the national water supply and sanitation programme.

Shri Raj Narain : Actually the matter regarding pure water does not come under our Ministry. It has gone under the jurisdiction of Ministry of Works and Housing. My constant efforts are that it should again come under the Ministry of Health. It was under the Ministry of Health prior to 1-9-1969. This subject of water falls under the Ministry of Health in all other countries of the world but in our country it has been kept away from Health Ministry. I am not in a position to answer this question because this matter relates to Ministry of Works and Housing. However I may like to state that priority is being given for providing drinking water in villages.

Our Prime Minister has said that Government is formulating a big scheme to supply pure drinking water in each village within a fixed period. Under this scheme those villages, which are experiencindifficulty in getting pure drinking water at present, will be given priority.

श्री वयालार रवि : तटीय क्षेत्र में केरल के बच्चों में गत कुछ वर्षों से दस्तों की बीमारी देखी गई और इस वर्ष इस रोग से 20 से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई है। क्या वह इस रोग के कारण की पूर्ण जांच करने के लिये अपने विभाग को हिदायत देंगे और उपचारात्मक कदम उठायेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

Shri Raj Narain : The hon. Member has not stated the disease of which the children have died.;

Shri Vayalar Ravi : Diarrhoea.

Shri Raj Narain : It may mean cholera, it may be dysentary. All these things require notice. I have given reply to his question. We are worshippers of Indian culture. Shri Ram Chanderji suggested only three dont's—*i.e.*not to cast an evil eye on other's women, not to say no to a beggar and not to flee away from the battlefield. These are the only dont's and other are dos.

श्री विनोद भाई सेठ : विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने यह कहा है कि 70% बीमारियों जल प्रदूषण होती हैं। मैं यह उदाहरण इस लिए दे रहा हूं कि मेरे परिवार में इस महीने जल प्रदूषण के कारण एक मृत्यु हुई है। अतिसार में खून चढ़ाने की जरूरत होती है और खून चढ़ाने के बाद कमी कभी पीलिया और दूसरी बीमारी हो जाती है। अन्त में बेहोशी की हालत हो जाती है इस लिए क्या मंत्री महोदय उन दवाइयों के लिए अधिक राशि नियत करेंगे जिन से अतिसार सहित जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है ?

Shri Raj Narain : The hon. Member is quite right that no availability of pure flear and good food results in Jaundice and other stomach diseases. The hon. Members question is appreciable, but I beg to say that mater pollution is not the subject under my Ministry. However our Government is endeavouring hard to see that pure water, good food and a house is available to all. Our party has taken over power only three months ago. We can not do in three months, what could not be done in thirty years.

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : मैं जानना चाहती हूं क्या उन का मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि पोलियो वैक्शीन, ट्रिपल ऐंटी जैन तथा अन्य दवाइयों की सप्लाई, विशेषतया निम्न श्रेणी के बच्चों के लिए तथा सब बाल एवं प्रसूति गृहों और ग्रामों में प्राथमिक उपचार केन्द्रों को नियमित रूप से की जाए

Shri Raj Narain : Proper arrangements will be made in consultation with the doctors.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्रीमति पार्वती कृष्णन् मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । इस तरह तो कई माननीय सदस्य और हैं । पहले ही इस प्रश्न पर 35 मिनट लग चुके हैं । अगला प्रश्न ।

लघु इस्पात संयंत्रों का फिर से चालू किया जाना

*368. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् : इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने लघु इस्पात संयंत्रों को फिर से चालू करने के लिये कुछ उपायों का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष ने लघु इस्पात संयंत्रों को फिर से चालू करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है।

(ख) दिये गये सुझावों तथा की गई की जाने वाली कार्रवाई नीचे दी गई है :—

1. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा दिये गये सुझाव	की गई की जाने वाली कार्रवाई
लघु इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित इस्पात पिण्डों पर उत्पादन शुल्क 50/- रुपये किया जाए और बेलित उत्पादों पर 130/- रुपए प्रति टन की पूरी ड्यूटी समाप्त कर दी जाए।	लघु इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित इस्पात पिण्डों पर उत्पादन शुल्क 200/- रुपए से घटाकर 50/- रुपए कर दिया गया है। 1977 के वित्त विधेयक में बेलित उत्पादों पर 130/- रुपए प्रति टन का उत्पादन-शुल्क पुनर्बेलकों से हटाकर पिण्ड उत्पादकों अर्थात बड़े इस्पात कारखानों तथा लघु इस्पात कारखानों से लिया जायेगा। 1977 के वित्त विधेयक में लघु इस्पात कारखानों के लिए मुख्य इस्पात कारखानों से फ्रेश मेल्टिंग स्क्रैप जैसे कच्चे माल को भी उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।
2. (क) सावधिक ऋणों पर ब्याज की दर घटा कर 6% कर दी जाए और दीर्घावधि ऋणों को चुकाने के लिए 5 साल की कानूनी मोहलत दी जाए। (ख) उत्पादन में विविधता लाने तथा अतिरिक्त अनुपूरक उपस्करों की स्थापना के लिए आसान शर्तों पर ऋण दिए जाएं और आसान शर्तों पर कार्यकर पूंजी की व्यवस्था की जाए। (ग) भारतीय औद्योगिक बैंक से पुन: धन लगाने की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।	यह मामला सरकार के विचाराधीन है।
(घ) लघु इस्पात कारखानों को अपनी क्षति पुनर्बेलन मिलें स्थापित करने की अनुमति दी जाए।	यह फैसला किया गया है कि यदि कोई वर्तमान विद्युत भट्टी इकाई औद्योगिक क्वालिटी के इस्पात की मांग पूरी करने के लिए बेलन सुविधाओं की व्यवस्था करके अथवा

	किसी वर्तमान पुनर्बेलन मिल को प्राप्त कर अथवा पट्टे पर लेकर अपनी सक्षमता बढ़ाना चाहती है तो इसके प्रस्ताव की सक्षमता को देखते हुए मामले पर गुणावगुण के आधार पर तथा उस क्षेत्र में वर्तमान पुनर्बेलन मिलों की स्थिति, आकार तथा क्षमता आदि को देखकर विचार किया जायेगा ।
(ङ) पावर टैरिफ की दरों में कमी कर के इसे युक्तिसंगत स्तर पर लाया जाए ।	यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।
(च) 7 लाख टन तक स्क्रैप के आयात पर ड्यूटी नहीं होनी चाहिए । आयातित स्क्रैप पर 138/- रुपए प्रति टन की सहायता दी जाए ।	विद्युत भट्टी इकाइयों के वर्तमान उत्पाद स्तर के लिए स्क्रैप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । यदि भविष्य में स्क्रैप की मांग बढ़ जाती है तो स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी ।
(छ) स्क्रैप के मूल्य स्थिर करने के लिए स्क्रैप की वितरण व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया जाए ।	मामला सरकार के विचाराधीन है ।
(ज) स्पंज लोहे के कारखाने लगाने के काम को तेजी से पूरा किया जाए ।	सरकार की नीति स्पंज लोह के कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की रही है ।
(झ) मुख्य इस्पात कारखानों और लघु इस्पात कारखाने के बीच प्राडक्ट मिक्स को युक्तिसंगत बनाया जाए जिससे आपसी होड़ से बचा जाए ।	यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।
(ञ) बम्बई बन्दरगाह के निकट स्थित इकाइयों के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य पर 15% तथा अन्यत्र स्थित कारखानों के लिए 20% की दर से नकद सहायता दी जाए ।	मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन्: विवरण से ज्ञात होता है कि कुछ मामले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि दीर्घकालीन ऋणों की व्याज की दर को कम करने के लिए सरकार का क्या करने का विचार है ?

श्री बीजू पटनायक: : महोदय, इस समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । यह एक पैचिदा मामला है । मैं आशा करता हूं कि एक सप्ताह के अन्दर कुछ सीमा तक मैं इस का कोई हल निकाल लूंगा ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : जबकि मामला विचाराधीन है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इन आवेदकों के साथ बातचीत की है और यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष निकले ?

श्री बीजू पटनायक : महोदय, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि पद संभालते ही मैंने पहले सप्ताह में ही इन सब संघों को बुलाया था और इस बारे में विचार किया जा रहा है कि इन संयंत्रों को पुन: कैसे चालू किया जाये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लघु संयंत्रों के बारे में हो रहे विवाद तथा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने लघु संयंत्र स्थापित करने संबंधी 1971 के मूल निर्णय की जांच की है और क्या वह समझते हैं कि निर्णय आर्थिक अथवा किन्हीं अन्य कारणों से प्रेरित था ?

श्री बीजू पटनायक : मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का उत्तर देते हुए, मैंने इस बारे में पूर्ण वक्तव्य दिया था।

श्री एस० आर० दामानी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बजट में दी गई रियायतें उद्योग को सुव्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त हैं और यदि नहीं तो बंद एककों को पुन: चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बीजू पटनायक : मेरे पहले उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर शामिल है।

Chowdhry Balbir Singh : Will the hon. Minister be pleased to state whether Government have any other policy of their own for reviving the closed mini steel plants in addition to the measures suggested by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ?

श्री बीजू पटनायक : मुझे यह कहना पड़ रहा है कि लघु इस्पात संयंत्रों के रक्षक सभा में दोनों ओर हैं परन्तु इन संयंत्रों को चालू करने के पक्ष में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है।

जूट मिल कर्मचारियों का नौकरी पर बहाल किया जाना

369. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितने जूट मिल कर्मचारियों को जबरन छुट्टी दी गई अथवा उनकी छंटनी की गई ;

(ख) उन्हें नौकरी पर बहाल करने अथवा उनकी दुबारा नियुक्ति करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उन्हें जबरन छुट्टी की अथवा छंटनी की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) जबरन छुट्टी की अवधि के दौरान अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने जो ऋण लिए थे उनको चुकाने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए सरकार मुआवजा आदि देकर क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) : यह मामला अनिवार्यत: राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न तारीखों में जिन श्रमिकों को जबरन

छुट्टी दी गई उनकी कुल संख्या 1,38,628 है। इस अवधि में राज्य सरकार को हाल ही में संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन छंटनी के लिए पूर्व अनुमति के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। जबरन छुट्टी व छंटनी के मामलों में, राज्य सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन, आवश्यक कार्रवाई करती है और पश्चिम बंगाल की सरकार के अनुसार, जबरन छुट्टी की अवधि के लिए जबरन छुट्टी के लगभग सभी मामलों में श्रमिकों को कहा गया कि वे जबरी छुट्टी का मुआवजा ले सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, सोना उगलने वाले इस उद्योग से पटसन पैदा करने वाले क्षेत्रों जैसा कि आसाम, बंगाल, उड़ीसा आदि में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था और करोड़ों लोगों को लाभ हो सकता था, परन्तु इस उद्योग की बुरी हालत है। 1947 में जब अंग्रेज इस देश से गये थे उस समय इस उद्योग में 3.5 लाख श्रमिक थे। 1975 में उन की संख्या घटकर 2.5 लाख रह गई। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि गत दो वर्षों में, जो श्रीमती इंदिरा गांधी का तथाकथित स्वर्ण युग था, 1,38,628 श्रमिकों को जबरी छुट्टी दी गई और उन्हें भूखे मरने के लिए गलियों में फेंक दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने इस कथन का कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, औचित्य किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं? इस से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा केन्द्रीय सरकार के खाते में जाती है। परन्तु जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को बहुत कम संसाधन प्राप्त होते हैं। देश में राज्य सरकारें नगर पालिकाओं से बेहतर नहीं हैं। माननीय मंत्री ने 1,38,628 श्रमिक बताये हैं। क्या इन में बदली श्रमिक और गैर बदली श्रमिक भी शामिल हैं? मंत्री महोदय को ये आंकड़े कहां से मिले? क्या सरकार के पास आंकड़े एकत्र करने का कोई तंत्र हैं, जिस के आंकड़ों पर विश्वास किया जा सके? क्या यह आंकड़े भारतीय पटसन मिल संघ द्वारा दिये गये हैं? पटसन उद्योग में कितने मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ हैं और महीने में कितनी द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें होती हैं?

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य का मुख्य प्रश्न यह था कि श्रमिकों की संख्या 1947 में 3.5 लाख से घट कर एक लाख कुछ कैसे रह गई। जहां तक मुख्य प्रश्न का संबंध है यह गत दो वर्षों में की गई जबरी छुट्टी से संबंधित है तथा जो आंकड़े मैंने सभा के समक्ष रखे हैं, वे गत दस दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटसन मिलों में किसी भी स्थायी श्रमिक अथवा विशेष बदली श्रमिक की छंटनी नहीं की गई है। परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि क्या बहुत से नैमित्तिक श्रमिकों को, जो स्थायी श्रमिकों के बदले में काम करते हैं और जिन्हें बदली कहा जाता है, रोजगार नहीं दिया जा सका हैं। ऐसे व्यक्तियों की सही संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जहां तक सूचना एकत्र करने के तंत्र का संबंध है यह कहना सही नहीं है कि राज्य सरकार पटसन मिल संघ पर निर्भर है। वास्तव में पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि लगभग 80,000 व्यक्ति जबरी छुट्टी से प्रभावित हुए हैं। परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि जानकारी का स्रोत सी०आई०टी०यू० है। परन्तु यहां तक आंकड़ों का संबद्ध है सरकार कार्मिक संघों तथा नियोजक संघों से बातचीत कर रही है, ताकि सही आंकड़े ज्ञात हो सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चूंकि भारतीय पटसन मिल संघ तथा कार्मिक संघों द्वारा दिये गये आंकड़ों में कुछ अन्तर है, इसलिए मुख्य कारखाना निरीक्षक को आंकड़े एकत्र करने को कहा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसे समाचार हैं कि आपात के दौरान श्रमिकों को यह कह कर, कि यदि आप नौकरी में रहे तो अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई आप की राशि रख ली जायेगी, दूसरी कटौतियां रख ली जायेंगी, इसलिये अच्छा है आप घर चले जाइये त्याग पत्र देने को बाध्य किया गया। ऐसे हजारों मामले हैं। यदि माननीय मंत्री इसका उत्तर दें, तो मैं अनुग्रहीत हूंगा।

चूंकि पटसन उद्योग और पटसन उत्पादन से अधिकांश लाभ केन्द्रीय सरकार को होता है, तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित वेतन देने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं। यह उन के स्वास्थ्य का प्रश्न है, क्योंकि पटसन उद्योग में काम करने वालों को तपेदिक और दमा हो जाते हैं। उन की आवास समस्या, कार्य सुरक्षा, जबरी छुट्टी, छंटनी, मजदूरी में कटौती आदि समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। आर्थिक अपराध करने वालों नियोजकों पर कोई नियंत्रण नहीं हैं। उनकी अनिवार्य जमा योजना, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कटौतियां की जाती हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों से संबंधित है यद्यपि विभिन्न केन्द्रीय कार्मिक संगठनों से सम्बद्ध छः अथवा सात एकक हैं, परन्तु इन में से किसी को भी उद्योग द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। यद्यपि कारखानेवार कार्मिक संघ हैं, परन्तु उन्हें विधिसंगत मान्यता नहीं दी गई है। उन कारखानों में कभी-कभी वास्तविक आधार पर कार्मिक संघों से बातचीत की जाती है। वास्तविकता यह है कि इस उद्योग ने किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी है इस मामले पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस उद्योग में संघों को मान्यता देने का काम राज्य सरकार का है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, इसका लाभ मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार को मिलता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : राज्य में भी एक औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र होता है। इसका सम्बन्ध पश्चिम बंगाल सरकार से है। मुझे पूरी आशा है कि जनता सरकार इस मामले पर ध्यान देगी। उनका दूसरा प्रश्न यह है कि ......

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि श्री ज्योतिर्मय बसु अब संतुष्ट हो गए होंगे।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, इस मामले से लाखों लोगों का सम्बन्ध है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान, उन्होंने जो दूसरा प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। यह तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है छंटनी और जबरन छुट्टी के तरीकों के अतिरिक्त, जो कि सर्वविदित हैं, मिल मालिकों ने एक नई चाल चली है। वे मजदूरों को दो या तीन सौ रुपये दे देते हैं तथा उन्हें कहते हैं कि आप अब अपने घर जाओ और भविष्य में दिए जाने वाले अनुदेशों या बुलावे की प्रतीक्षा करो। यह तरीका छंटनी के अन्तर्गत नहीं आता है जिसमें कि श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम

के अन्तर्गत संरक्षण की मांग कर सके और मुआवजा मांग सके। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं जिनमें कि प्रबंधकों ने इस नए तरीके का सहारा लिया है जोकि अनुचित तरीका है ।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : The hon. Minister represents Bihar, but he referred only Bengal in respect of Jute Mills. It pained me.

The jute is produced in Purnia, Saharasa and Katihar districts of Bihar and the only jute mill is in Katihar. That mill has been lying closed for a long time and a number of workers have been thrown out of job. I wont to know whether the Hon. Minister is going to do something in this regard.

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस समस्या से बिहार के कुछ भाग प्रभावित हैं। जिस मिल का उन्होंने उल्लेख किया है, उसके बारे में सरकार को पता है और हम देख रहे हैं कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। किन्तु मुझे खेद है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल के बारे में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं वैसे बिहार के बारे में नहीं हैं। यदि आप चाहें तो मैं माननीय सदस्य को इस बारें में जानकारी भेज सकता हूं या उसे मैं सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे यह जानकारी उन्हें भेज दें।

(व्यवधान)

श्री सौगत राम : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि (क) जब से जनता सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई है, तबसे पश्चिम बंगाल में कितने श्रमिकों की जबरन छुट्टी की गई (ख) पश्चिम बंगाल में जब से नई सरकार ने कार्यभार संभाला है तब से छंटनी किए गए अथवा जबरन छुट्टी किए गए श्रमिकों में से कितनों की बहाली की गई है, (ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रमिकों में ऋण ग्रस्तता अत्यधिक है, क्या सरकार कोई ऐसा विधान बनाने की सोच रही है, जिसके अन्तर्गत श्रमिकों के ऋणों को समाप्त कर दिया जाये और उन्हें काबुली वालों से बचाया जाये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : गत दो महीनों से कोई विशिष्ठ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु यदि माननीय सदस्य यह जानने के लिए उत्सुक हैं तो वह प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर मैं उत्तर दूंगा। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, जिसका कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने भी उल्लेख किया है, आवश्यकता पर आधारित मजूरी आवास सुविधाएं, कठिनाइयां, नौकरी की सुरक्षा आदि इन सब मामलों पर सरकार विचार कर रही है और जब हम औद्योगिक विवाद तथा कार्मिक संघ गतिविधियों सम्बन्धी विधान को पेश करेंगे तो हम उसमें इसके लिए भी उपबंध करेंगे।

Shri Ram Sewak Hazari : I Want to know whether it is a fact that the previous Government had retrenched hundred workers from the Mukta Jute Mill in Bihar and the management did not pay electric charges worth rupees 81 lakhs. If it is true, What action is being taken in this regard?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं समझता हूं कि मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री चित्त बसु : माननीय मंत्री जी के विवरण में बताया गया है कि 2.5 लाख पटसन मिलों के श्रमिकों में से गत दो वर्षों के दौरान 1.48 लाख कुछ श्रमिकों की छंटनी की गई। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने इस बात की जांच की है कि कार्य अधिक हो जाने से ऐसा संभव हुआ है? वह इस बात से सहमत होंगे कि उत्पादन

में इसी अनुपात में कमी नहीं आई। उत्पादन न्यूनाधिक रूप से उतना ही रहा। क्या यह सही नहीं है कि भारतीय जूट मिल एसोसियेशन ने कार्य बढ़ाने का सहारा लिया है? क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य में गैर-अनुपात वृद्धि नहीं हुई है? दूसरे मैं जान सकता हूं कि क्या यह भी सही नहीं है कि भूतपूर्व सरकार ने बदली श्रमिकों को नियमित श्रमिकों में परिवर्तन करने के लिए कुछ उपाय निकाले थे? क्या यह सरकार भी यह सुनिश्चित करेगी कि बदली श्रमिकों को स्थायी बनाने के लिए कुछ उपाय किए जायेंगे?

श्री रवीन्द्र वर्मा : 1,38,628 की संख्या अधिक है, किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक दिन को 1,38,628 श्रमिकों की छंटनी हुई है। इसका मतलब तो यह है कि दो वर्षों के दौरान कुल इतने श्रमिकों की छंटनी हुई न कि किसी एक दिन को। वह चाहते हैं कि मैं कार्य की मात्रा के प्रश्न की जांच करूं कि क्या गत कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हुई अथवा नहीं। मैं इस प्रश्न पर भी विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिहार के बारे में उन्होंने बता दिया है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। बिहार के बारे में प्रश्न पूछने का क्या लाभ है?

श्री समर गुह : पटसन मिल एसोसियेशन द्वारा मिलों को बंद करने की धमकी से उत्पन्न वर्तमान संकट कोई नई बात नहीं है। उनकी आय में जब कभी कमी आती है और जब कभी श्रमिकों द्वारा कोई न्यायोचित मांग की जाती है तो मिल मालिक, छंटनी, जबरन छुट्टी, तालाबंदी आदि का सहारा लेते हैं। पटसन से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और इस उद्योग में बड़ी संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय करेगी, जिससे कि मिल मालिकों को छंटनी करने, तालाबंदी, जबरन छुट्टी करने की स्वतंत्रता न हो। किन्तु मिल मालिकों को यदि ऐसा करना होगा तो उन्हें किसी स्थायी तंत्र की सलाह तथा आदेश लेना होगा। क्या सरकार किसी इस तरह के तंत्र की स्थापना पर विचार कर रही है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने स्वयं ही बताया है कि यह रूग्ण उद्योग है और यह इस दशा में बहुत पहले से है। मेरे परम मित्र, वाणिज्य मंत्री ने इस प्रश्न के बारे में एक वक्तव्य दिया था। सभा को पता है कि वह कलकत्ता गए थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल की नई सरकार सहित सम्बन्धित पक्षों से विचार विमर्श किया था। इस प्रश्न पर उन्होंने वक्तव्य भी दिया था। सरकार स्थिति से अवगत है और चाहती है कि इस उद्योग की रुग्णता को समाप्त किया जाये ताकि इस उद्योग की दशा सुधारी जा सके तथा श्रमिकों को हानि न उठानी पड़े। साथ ही इस उद्योग को आधुनिक बनाया जा सके।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी तंत्र की स्थापना पर विचार कर रही है ताकि मिल मालिकों को पूरी स्वतंत्रता न दी जा सके।

श्री रवीन्द्र वर्मा : चूंकि इसका सम्बन्ध एक से अधिक मंत्रालयों से है अतः संभावना है कि श्रम मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय सामुहिक रूप मे इस प्रश्न पर

विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कठिनाइयां उत्पन्न न हों जिनका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : It is fact that the jute industry in our country is a big and important industry. It earns a good amount of foreign exchange. I would like to know from the Hon. Minister whether it is not a fact that the previous Government of West Bengal got huge money from Jute Mill Association and the mill owners and allowed them to retrench workers and whether instructions would be given to the State Government to take action against those mill owners who were responsible for irregularities. I also want to know whether you will ask the mill owners to reinstate those more than one lakh workers who were retrenched ?

श्री रविन्द्र वर्मा : पश्चिमी बंगाल की भूतपूर्व सरकार ने पटसन मिल-ऐसोसियेशन तथा कई उद्योगों से बड़ी भारी धनराशि एकत्रित की थी, यह सर्वविदित है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार को पूरा अधिकार है कि वह इस स्थिति को निपटाए और जहां तक समस्या के समाधान का सम्बन्ध है, हमारी सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग देने हेतु उन्सुक है कि श्रमिकों को जबरन छुट्टी या छंटनी तथा "सेड आफ" जैसे नए तरीके का शिकार न बनना पड़े।

Shri Shiv Narain : The policy of the Central Government is to look after the welfare o workers. Under such circumstances, it is the utmost duty of our labour Minister to ensure the welfare of workers. Therefore, I want that the new Government should solve the labour problem from new angle. I want to know whether the Minister would take necessary steps in this regard ?

श्री रविन्द्र वर्मा : वहां वरिष्ट सदस्य है और उन्हें पता होना चाहिए कि श्रम समवर्ती विषय है। कानून के अनुसार विभिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न सरकारें समुचित सरकारें समझी जाती है और इसी आधार पर मैंने कहा है कि यह राज्य का मामला है।

Shri Kacharu Lal Hemraj Jain : I want to know from the Labour Minister that even after lifting the emergency the labour organisations are not able to conduct their elections and whether the Minister is thinking to give recognition to the unions after their elections.

श्री रविन्द्र वर्मा : यह संघों को मान्यता देने के बारे में सामान्य प्रश्न है, जो कि पटसन मिलों सम्बन्धी प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्पसूचना प्रश्न पर विचार करेंगे।

अल्पसूचना प्रश्न के बारे में

RE: SHORT NOTICE QUESTION

श्री के० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान अल्पसूचना पश्न को स्वीकार करने के बारे में नहीं बल्कि प्रश्न की सामान्य स्वीकार्यता के बारे में आपका ध्यान नियम 54 की ओर दिलाता हूं। नियम 54 में कहा गया है :—

> "(7) अन्य प्रकरणों में अल्पसूचना प्रश्नों के लिए प्रक्रिया वही होगी, जो ऐसे रूपभेदों के साथ अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे, मौखिक उत्तर के लिए साधारण प्रश्नों के लिए हों।"

नियम 41 भी लागू होता है। नियम 41(iv) में कहा गया है :—

"(4) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जाएगा।"

नियम 41 के उपनियम भी लागू होते है :—

"(5) उसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनकि हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण के बारे में नहीं पूछा जाएगा।"

"(8) उसमें किसी समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो समिति के प्रतिवेदन द्वारा सभा के सामने न रखी गई हो।"

"(9) उसमें किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभियुक्ति नहीं की जाएगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का कौनसा भाग आपत्तिजनक है ?

श्री के० लकप्पा : व्यक्ति विशेष की नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न का भाग आपत्तिजनक है। प्रश्न इस प्रकार तैयार किया है। जिसमें व्यक्ति पर आक्षेप लगाया गया है और उसके चरित्र और निष्ठा पर सन्देह किया गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या श्री नुरुल हसन उन शर्तों को पूरा करते है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय 'हां' या 'न' में जवाब दे सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : क्या यह आक्षेप तथा चरित्र हनन नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कहते है।

श्री के० लकप्पा : वह प्रोफेसर है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों सदस्य बैठ जाएं। वह प्रोफेसर है। प्रश्न यह है कि क्या प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है अथवा नहीं। उत्तर 'हां' या 'न' में हो सकता है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि इससे चरित्र हनन हो रहा है ? अन्ततः इस प्रश्न में तथ्य पूछा गया है। यह एक साधारण बात है। यदि आप इसका अन्य अर्थ लेते है तो मैं क्या कर सकता हूं। प्रश्न पूछा गया है कि क्या भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री नुरुल हसन को दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का एमेरिटस प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर 'हां' या 'न' में हो सकता है। इसमें आक्षेप लगाने की क्या बात है ? आपको जानकारी मिलनी चाहिए।

(**व्यवधान**)

जब मैं बोल रहा हूं तो मैं किसी अन्य को खड़े होने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि आप चाहते है कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाता हूं। जब मैं प्रश्न स्वीकार करता हूं तो मैं यह विचार नहीं कर सकता कि अमुक सदस्य इसे चाहता है अथवा नहीं चाहता। प्रश्न में पूछा गया है।

(ख) यदि हां, तो (i) नियुक्ति कब की गई, (ii) नियुक्ति का अन्तिम निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, (iii) विश्वविद्यालय से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही परि-

1996 LS—2.

लब्धियां और (iv) उनकी नियुक्ति के निदेश पदों सम्बन्धी तथ्य क्या है? इस प्रश्न पर मुझे आपत्ति नहीं हो सकती यदि आप इसका अन्य अर्थ ले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे स्वयं यह पता नहीं है कि उनकी नियुक्ति की गई है अथवा नहीं। मुझे उनके वेतन तक के बारे में पता नहीं। जब तक मैं प्रश्न का तथा अन्य सदस्यों का उत्तर नहीं सुन सकता तब तक मैं नहीं समझता कि मैंने आपत्तिजनक प्रश्न स्वीकार किया है।

श्री वसन्त साठे: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 54 में कहा गया है:

"(1) लोक महत्व के विषय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकेगा और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का है तो वह निदेश दे सकेगा कि सम्बन्धित मंत्री से पूछताछ की जाए कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि हां, तो किस तिथि को"

अतः प्रश्न की स्वीकार्यता के लिए दो शर्तें पूरी होना जरूरी हैं। पहला यह कि प्रश्न लोक महत्व का होना चाहिए और दूसरा यह कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का हो। मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रोफेसर की नियुक्ति के प्रश्न में क्या लोक महत्व है..... (**व्यवधान**)। देश में 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। क्या इन विश्वविद्यालयों में नियुक्ति लोक महत्व का विषय हो सकता है? ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: यदि यह सामान्य नियुक्ति होती तो प्रश्न का सवाल ही नहीं था (**व्यवधान**) और न ही मैंने उसे स्वीकार करना था। मैं इसे तारांकित प्रश्न या अन्य किसी रूप में इसे स्वीकार कर सकता था। लेकिन श्री नुरुल हसन भूतपूर्व मंत्री थे। माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि उनकी नियुक्ति कब की गई और इस के लिए क्या मानदंड अपनाया गया?

इसमें आक्षेप गलाने की कोई बात नहीं। (**व्यवधान**) जो भी हो मैंने विचार करके ही इसे स्वीकार किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न ही अल्प सूचना प्रश्न के रूप में स्वीकार किए जाते है। अतः आप उत्तर क्यों नहीं सुनते? उत्तर से पता चल जाएगा कि उसमें आक्षेप लगाया गया है अथवा नहीं। अब इस विवाद पर चर्चा समाप्त करके हमें सीधे प्रश्न पर आ जाना चाहिए।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

श्री नूरुल हसन की दिल्ली विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति

*13. **श्री समर गुह**:
डा० मुरली मनोहर जोशी:

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री नूरुल हसन को दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का एमेरिटस प्रोफेसर नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो (i) नियुक्ति कब की गई (ii) नियुक्ति का अन्तिम निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया (iii) विश्वविद्यालय से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही परिलब्धियां और (iv) उनकी नियुक्ति के निर्देश पदों सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एमेरिटस प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने विशिष्ट अर्हताओं का निर्धारण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या श्री नूरुल हसन की नियुक्ति में ये शर्तें पूरी की गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रो० एस० नूरुल हसन को विश्वविद्यालय में इतिहास के एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। तथापि, 25 अक्तूबर, 1975 को हुई अपनी बैठक में, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने, विश्वविद्यालय संविधियों की संविधि 6 की धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अन्तर्गत इतिहास विभाग में एक अतिरिक्त पद के सृजन तथा उस पद पर प्रोफेसर के रूप में प्रोफेसर नूरुल हसन को नियुक्त करने का निर्णय किया था। इस योजना में, जो अगस्त, 1975 में आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित की गई थी, सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा किसी दूसरे विश्वविद्यालय के उन प्रोफेसरों रीडरों के सम्बन्ध में, जिन्हें विश्वविद्यालय में अपने लियन की अवधि के लिए राष्ट्रीय महत्व के पद स्वीकार करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है ताकि विश्वविद्यालय उनके उपर्युक्त नियुक्तियों, की समाप्ति पर उन अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग कर सकें, आयोग की पूर्वानुमति से, जब कभी भी आवश्यकता हो, अतिरिक्त पदों के सृजन की परिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालय ने आयोग के अनुमोदन के लिए इतिहास विभाग के लिए इस प्रस्ताव के अतिरिक्त अर्थशास्त्र तथा विधि प्रत्येक विभाग के लिए एक-एक दो ऐसे अन्य प्रस्ताव भी भेजे थे। आयोग की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् 30 दिसम्बर, 1975 को विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर नूरुल हसन को इस पद का प्रस्ताव भेजा गया था। प्रोफेसर नूरुल हसन ने वास्तव में 25 मार्च, 1977 को विश्वविद्यालय में सेवारम्भ की तथा उन्हें वेतन नियतन के लिए विश्वविद्यालय के सामान्य मानदण्डों के अनुसार, प्रोफेसरों के वेतनमान, अर्थात् 1500–2500 रुपए में, 2,375 रुपए का प्रारम्भिक वेतन दिया गया था।

(ग) से (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रोफेसर नूरुल हसन को "प्रोफेसर एमेरिटस" के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। तथापि, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में "प्रोफेसर एमेरिटस" की नियुक्ति के लिए विस्तृत मार्गदर्शी–रूप–रेखाएं दी गई है।

श्री वयालार रवि : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। नियम 41, उपनियम (22) में कहा गया ह :

"उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित

प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किन्तु उसमें जांच की प्रकिया या विषय या प्रक्रम से सम्बन्धित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा, यदि उससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।"

श्री आनन्द की मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा गया था, जो कि न्यायालय के समक्ष है। इसके अतिरिक्त मैंने पंजाब के मुख्य मंत्री श्री बादल के 30 मामलों पर अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस दिया। लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। अतः बदनाम करना तथा राजनीतिक ब्लैकमैल करना सरकार और सत्तारूढ़ दल का निजी मामला हो गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें उत्तर सुनना चाहिए। हो सकता है इसमें बदनाम करने वाली कोई बात न हो। आप अनुमान ही क्यों लगा रहे हैं। (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं और उन्हें सुझाव देता हूं कि वे सदन में ऐसा वातावरण पैदा न करें। यह सदन के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है परन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता। इसमें शोर मचाने की क्या बात है? मैं सदन के किसी विशेष वर्ग से यह अनुरोध नहीं कर रहा बल्कि सदन के सभी वर्गों से अनुरोध कर रहा हूं। अन्यथा हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो सकती है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं प्रश्न के गुण दोषों पर नहीं बोल रहा परन्तु हम सदन में पूछे जा रहे अल्प सूचना प्रश्नों की पद्धति को देख रहे हैं। कई बार सदन के इस वर्ग के सदस्य अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस देते हैं। मैं प्रधान मंत्री तथा आपकी उपस्थिति में अपने दल की ओर से शिकायत कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के स्वविवेक के कारण आप असमर्थ होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ के पास प्राधिकार नहीं है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : लेकिन लगता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें राजनीतिक उद्देश्य हों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दल की ओर से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपने सहयोगियों एवं केन्द्रीय मंत्रियों से कहें कि वे स्वविवेक को न्यायिक ढंग से प्रयोग में लाएं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं अपने मित्र से यह अनुरोध करता हूं कि वह उन अल्प सूचना प्रश्नों की प्रति मुझे भेजें जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। मैं प्रयत्न करूंगा कि किसी किस्म की कोई शिकायत न हो। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न न उठाएं। सदन के नेता तथा सदन में विपक्ष के नेता अपने विचार रख चुके हैं और उन्होंने समस्या हल कर दी है। यदि कोई समस्या होती है तो विपक्ष के नेता के माध्यम से उसे सदन के नेता को भेजा जा सकता है।

Chowdhry Balbir Singh : I rise on a point of order. There is no such provision that leader of the Opposition may send questions to the Leader of the House. It is for you to decide whether the question is to be admitted or not.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपने अभी कहा कि सदन में विपक्ष के नेता तथा प्रधान मंत्री ने समस्या अच्छे ढंग से सुलझा ली है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह दोनों का आपसी मामला नहीं है। निर्णय अध्यक्ष पीठ ने लेना होता है। इस विषय पर मेरी भी शिकायत है। गत सत्र में मैंने अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस दिया था और मुझसे वायदा किया गया था कि इस सत्र के दौरान उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन मंत्री महोदय ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने इसको बुरा महसूस किया है। अतः अच्छा होगा यदि आप नियम समिति की बैठक बुलवाकर अल्प सूचना प्रश्न के बारे में नियमों में संशोधन करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका सुझाव स्वीकार है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री समर गुह : नुरुल हसन भी शिक्षा से उसी प्रकार सम्बन्धित हैं जिस प्रकार मैं। लेकिन यदि यह प्रश्न व्यक्तिगत महत्व या व्यक्तिगत सम्मान का होता तो सदस्य के रूप में म ऐसा प्रश्न कभी न पूछता। प्रश्न शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों के मामले में मूल सिद्धांतों से सम्बन्धित है। विश्वविद्यालय में अतिरिक्त पद बनाने का नया सिद्धांत बनाया गया है। अगस्त, 1975 में, जब देश में आपातस्थिति लागू थी और प्रो० नूरुल हसन शिक्षा मंत्री थे तब दिल्ली विश्वविद्यालय में अतिरिक्त पद बनाया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र प्रो० नूरुल हसन के निकटतम मित्र हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की गई थी। यह नियुक्ति प्रो० नुरुल हसन द्वारा की गई थी और तुरन्त ही उन्होंने प्रोफेसरशिप के नए सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अतिरिक्त पद केवल प्रो० नुरुल हसन के नौकरी विहीन होने पर नौकरी देने के लिए बनाई गई थी? यदि नहीं, तो क्या किसी अन्य विश्वविद्यालय में ऐसी नई प्रोफेसरशिप लागू है, यदि हां, तो ऐसे प्रोफेसरों की संख्या और नाम क्या हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : अगस्त, 1975 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसरों के अतिरिक्त पदों के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र भेजा। इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया। अक्तूबर, 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने इसी प्रकार के कुछ पदों को बनाने का निश्चय किया। ऐसा न केवल इतिहास संकाय बल्कि विधि संकाय तथा अन्य संकायों में भी किया जाना था। इसे सहमति के लिए अनुदान आयोग को भेजा गया क्योंकि बिना उसकी अनुमति के ऐसे प्रोफेसर के पदों का निर्माण नहीं किया जा सकता। दिसम्बर, 1975 में सहमति मिल गई और 30 दिसम्बर, 1975 को डा० नुरुल हसन को प्रस्ताव भेजा गया।

यह पूछा गया है कि क्या अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य व्यक्तियों से भी ऐसे प्रस्ताव किया गया था। मुझे नोट से पता चला है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में प्रो० एस० चक्रवर्ती, विधि प्रोफेसर के रूप में प्रो० आर० के० त्रिपाठी

ग्रौर इतिहास के प्रोफेसर के रूप में प्रो० नुरुल हसन के लिए इन पदों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक पद बनाया । सरदार पटेल विश्वविद्यालय में प्रो० ग्रार० डी० दयाल की नियुक्ति हुई । जादवपुर विश्वविद्यालय में खाद्य प्रौद्योगिकी ग्रौर बायोरसायन के प्रोफेसर के पद पर प्रो० ए० एन० बोस को नियुक्त किया गया । यांत्रिकी इंजीनियरी के प्रोफेसर पद पर डा० ए० भट्टाचार्यजी ग्रौर दर्शन के रीडर के रूप में डा० डी० पी० चट्टोपाध्याय नियुक्त किए गए । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में प्रो० जी० बी० सिंह को रसायन का प्रोफेसर रखा गया । देश भर ऐसे कुल 25 पद बनाये गए।

श्री समर गुह : यह स्पष्ट है कि प्रोफेसर के ग्रतिरिक्त पद का निर्माण कुछ व्यक्तियों के लिए किया गया था । छात्रों को शिक्षा देने ग्रौर विशिष्ट ज्ञान का लाभ देने के लिए सुप्रसिद्ध विद्वानों को प्रोफेसर के पद पर ग्रासीन करना तो उचित बात है पर ये ग्रतिरिक्त पद तो ऐसे ही व्यक्तियों को मिले हैं जो किसी न किसी रूप में पिछली सरकार से सम्बद्ध थे। कुछ मंत्री थे, कुछ योजना ग्रायोग में थे या भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सचिव ग्रादि थे । क्या मेरा यह कहना गलत है कि राजनीतिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही इन ग्रतिरिक्त पदों का निर्माण किया गया है ?

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन पदों को राष्ट्रीय महत्व के पद क्यों कहा गया है । यदि ये राष्ट्रीय महत्व के पद हैं तो उनके लिए क्या विशेष योग्यताग्रों की ग्रावश्यकता है । एमिरेटस प्रोफेसर की क्या योग्यता होनी चाहिए । उसमें कौन-कौन से बौद्धिक गुण ग्रावश्यक हैं । यदि ये राष्ट्रीय महत्व के पद नहीं है तो क्या मंत्री जी विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के चेयरमन से कहेंगे कि इन ग्रतिरिक्त पदों के निर्माण की जरूरत पर पुनर्विचार किया जाय ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : महोदय, विश्वविद्यालय ने जो परिपत्र ऐसे पदों के लिए जारी किया है उसके ग्रनुसार देश में या देश से बाहर विश्वविद्यालयों में विशिष्ट प्रतिभाशाली प्रोफसरों / रीडरों को उपकुलपति या शैक्षिक ग्रनुसंधान प्रशासन के राष्ट्रीय महत्व के पदों पर विशेष ग्रवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। विश्वविद्यालय नियमों के ग्रनुसार ऐसे प्रोफेसरों / रीडरों का लियन उसके ग्रपने पद भर उस विशेष ग्रवधि से ग्रधिक समय तक रखना कठिन होता है । लेकिन वास्तव में यह समय लियन की ग्रवधि से ही बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की सेवाग्रों का लाभ उठाने ग्रौर उनके विशिष्ट कार्यकाल की ग्रवधि समाप्त होने पर पुनः ग्रपने पद पर लौटने को सुनिश्चित बनाने के लिए इन पदों का निर्माण ग्रावश्यक हैं ।

इसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि सम्बन्धित ग्रथवा किसी ग्रन्य विश्वविद्यालय यदि किसी ऐसे व्यक्ति की सेवायें चाहे तो वह इसके लिए ग्रायोग से ग्रनुरोध कर सकता है।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। एक विशेष प्रकार के एमिरेटस प्रोफेसर के पद को राष्ट्रीय महत्व का पद क्यों कहा गया है ? मैं पूछना चाहता हूं कि एमिरेटस प्रोफेसर ग्रौर ग्रतिरिक्त प्रोफेसर के लिए क्या-क्या योग्यतायें होनी चाहियें ?

(व्यवधान)

चूंकि इन पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है जो या तो मंत्री या फिर सरकारी अधिकारी रह चुके हैं । इसलिए ये पद राजनीतिक उद्देश्य से बनाये गये हैं । मैं चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस मामले पर पुर्नविचार करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप सब लोग शांति पूर्वक बैठ जायें । ऐसे बार-बार खड़े होना उचित नहीं ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मेरा निवेदन है कि इन पदों के बारे में कुछ भ्रान्ति है । यह पद राष्ट्रीय महत्व का बनाने का प्रयत्न नहीं है । यह व्यवस्था तो इसलिए है कि जिन लोगों ने उपकुलपति या अनुसंधान प्रशासन में राष्ट्रीय महत्व की स्थिति सम्भाली हो वे अपने विशिष्ट कार्यकाल की समाप्ति पर अपने पूर्व पदों पर लौट सकें । प्रो० नुरुल हसन का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लियन था जिसकी अवधि समाप्त होने ही जा रही थी। उन्होंने निर्धारित शर्तों को पूरा कर दिया है । **(व्यवधान)** ।

यह पूरी तरह सन्तोषजनक है या नहीं इस पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं ।

(व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी : उन्हें इन्दिरा गांधी की सरकार के पतन का पूर्व बोध हो गया था, अतः उन्होंने 1975 में ही इस पद का प्रबन्ध कर लिया था । मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों को उन्होंने ऐसी राय क्यों नहीं दी यह हैरानी की बात है । मेरा प्रश्न यह है कि आयोग के चेयरमैन की प्रो० नुरूल हसन ने पदोन्नति की थी और आधारस्वरूप उन्होंने प्रो० नुरूल हसन को यह पद दे दिया । क्या यह आपात स्थिति के दौरान अधिकारों का दुरुपयोग नहीं। क्या इन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बातों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सम्पूर्ण गतिविधियों की जांच किया जाना जरूरी नहीं । इसके लिए मंत्री जी को एक समिति बनानी चाहिये ताकि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए अधिकारों का दुरुपयोग न होने पाये ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : प्रो० सतीश चन्द्र की पदोन्नति सम्बन्धी प्रश्न के बारे में मुझे सूचना चाहिये । जहां तक अन्य टिप्पणियों का प्रश्न है सदस्य महोदय अपना विचार प्रकट कर सकते हैं । मैं प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री के० लकप्पा : प्रो० नुरूल हसन एक प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे चिन्ता हो रही है । समय जा रहा है । मैं एक सदस्य इस ओर से और एक दूसरी से बुलाने को सहमत हूं । उत्तर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया । वह ठीक था । हमने ध्यान आकर्षण पर भी चर्चा करनी है ।

श्री के० लकप्पा : प्रो० नुरूल हसन भारत के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे । ऐसे विद्वान व्यक्ति को दिल्ली विश्वविद्यालय में लिया गया है जहां काफी अरसे से विद्वान व्यक्ति की कमी थी ।

(**व्यवधान**)

विश्वविद्यालय के छात्रों ने श्री हसन की नियुक्ति की सराहना की है । वैसे तो हर विश्वविद्यालय में विद्वान व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं । इसमें कुछ बुरा नहीं । मेरे मित्र ने इसे राजनीतिक नियुक्ति बताया है । ऐसे विद्वान व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा जाना चाहिये । क्या यह तथ्य नहीं कि छात्रों ने इस नियुक्ति पर संतोषजनक प्रकट करते हुए कहा है कि इस से विश्वविद्यालय लाभान्वित होगा ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेवा निवृत्त हुए प्रोफेसरों को एमिरेटस या मानदेय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है क्योंकि वह अनुभव किया जाता है कि उनकी विद्वत्ता, ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाना जरूरी है । लेकिन मंत्री जी के उत्तर में स्पष्ट है कि जो अतिरिक्त पद आयोग की सिफारिश पर बने हैं वे न तो मानदेय हैं और न ही एमिरेटस हैं । उत्तर से पता लगता है कि ऐसे पदों की सूची काफी लम्बी है । प्रो० नुरूल हसन के अतिरिक्त प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय तथा और भी कई व्यक्ति हैं जो भारत सरकार से सम्बद्ध रहे हैं । मैं किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा । पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये अतिरिक्त पद बनाने का प्रस्ताव आपात काल में अगस्त 1975 में किया गया और दिल्ली विश्वविद्यालय ने 25 अक्तूबर, 1975 की अपनी बैठक में इसे कार्यान्वित कर दिया । प्रो० नुरूल हसन ने 25 मार्च, 1977 को अपनी इस स्थिति को स्वीकार किया अर्थात वह अपने दल की पराजय की प्रतीक्षा कर रहे थे । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आयोग ने स्वयं इन अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव किया या तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने उसे ऐसा करने की सलाह दी । यदि वह प्रस्ताव आयोग द्वारा स्वयं रखा गया तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री उससे क्योंकि सहमत हुए जबकि एमिरेटस और मानदेय पद पहले से ही थे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं पहले ही कह चुका हूं कि आयोग ने ही विभिन्न विश्वविद्यालयों को परिपत्र जारी किया था । परिपत्र जारी कराने के पीछे कौन था इसकी जानकारी मुझे नहीं । आपको पता है कि अधिनियम के अन्तर्गत गठित आयोग तो एक सांविधिक निकाय है अतः हर मामले में मंत्रालय का उस पर नियंत्रण नहीं । इस संसद ने आयोग को उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने का अधिकार दिया है और उसने उसी आधार पर कार्य किया है ।

Shri Nathu Singh : It is a very serious matter as a result of which there is wide spread discontentment among the university students and professors of the whole country. These type of illogical appointments have been made not only in Delhi University but in other universities as well. They are politically motivated. Students and Professors of different universities have separately sent complaints in writing to the Vice-Chancellors, State Governments and also to the Central Government. I want to ask the hon. Minister whether any action is proposed to be taken against these wrongful appointments and if so by what time such action is expected ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं इस विषय में विधिक राय लेना चाहूंगा कि क्या हम कोई जांच कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं । आप कृपया बैठ जाइये । मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है । अभी 30 व्यक्तियों ने प्रश्न पूछने हैं और 40 मिनट हम व्यय कर चुके हैं। हर व्यक्ति आरोप लगा रहा है । और अनुपूरक प्रश्न पूछने से मामले पर कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा । मैं उसके लिए अनुमति नहीं दूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पुर्तगाली सरकार के विरुद्ध दावों का निपटान

***370. श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं के पुर्तगाली सरकार और कुछ पुर्तगाली संस्थाओं जैसे "बान्को नाकिओनाल अल्ट्रामारिनो" के विरूद्ध दावे बकाया हैं; यदि हां, तो उक्त दावों का सही सही स्वरूप क्या है; और

(ख) सरकार ने उक्त दावों के निपटान के लिए क्या कार्यवाही की है और अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां । ये दावे तरह तरह के हैं और इनमें "बेंकोनेशियोनेल अल्ट्रामारीनो; लिस्बन से सम्बद्ध ऋणों की चुकौती अथवा सिक्योरिटीज में लगाई गई पूंजी के दावे भी शामिल हैं ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1974 की भारत पुर्तगाल संधि के अनुच्छेद iii में एक दूसरे देश के नागरिकों की सम्पत्ति, आस्तियों और दावों से संबद्ध प्रश्नों तथा एक दूसरे देश में एक दूसरे देश की सरकारी सम्पत्ति व आतिस्यों से सम्बद्ध प्रश्नों को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा निपटाने की व्यवस्था नितिह है । दावों के भुगतान की संभावनाओं की जांच की जा रही है ।

हथकरघा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरी

***371. श्री के० ए० राजन :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी न होने का केरल में, जहां न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी गई है, हथकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा न हो, इसके लिए क्या सरकार का उक्त निर्धारण हेतु कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां । केरल सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिलाया है ।

(ख) हथकरघा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन 'समुचित सरकार' की हैसियत से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कई कारणों से समस्त देश में समान मजूरी दर संभव नहीं है लेकिन पड़ोसी राज्यों के बीच विचार-विमर्श द्वारा असमानताओं को कम करने में सहायता मिल सकती है।

Opening of Mobile Post Offices in Rural Areas

*372. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are opening mobile post offices in rural areas ; and

(b) if so, the time by which such post offices would be opened as also the number of post offices to be opened in Uttar Pradesh ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) and (b) : Yes, Sir. Mobile Post Offices on bicycles are being opened in rural areas since 1975-76 and 464 such Post Offices including 33 in U.P. had been opened till 31-3-1977.

In Uttar Pradesh, it is proposed to open 250 m bile Post Offices and to convert about 4000 existing stationery Post Offices into mobile Post Offices during the year 1977-78. These Post Offices will cover approximately 13,000 villages.

न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति

*373. **श्री अहमद एम पटेल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त देश में, विशेषकर गुजरात राज्य में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू किया है;

(ख) क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें सजा देने के लिए एक तंत्र की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अधीन अधिसूचित मजूरी-दरों और इसके अन्य उपबन्धों की क्रियान्विति, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा, इस बात पर निर्भर करते हुए कि रोजगार-विशेष के सम्बन्ध में समुचित सरकार कौन सी है, कराई जाती है। तथापि, अधिकांश रोजगार राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में, केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के अधिकारी निरीक्षण करते रहते हैं और दोषी-व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते रहते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारों के भी अपने तंत्र हैं।

फर्मों का नाम काली सूची में रखा जाना

*374. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स अमीन चन्द प्यारे लाल फर्म समूह का नाम काली सूची में लिखा गया था;

(ख) इन फर्मों को काली सूची में रखने के क्या कारण थे;

(ग) इन फर्मों को निरपराध ठहराने और 1975–76 में काली सूची से निकाले जाने के क्या कारण थे;

(घ) किन राजनीतिक नेताओं तथा अधिकारियों ने इन फर्मों को काली सूची से निकालने में सहायता की है;

(ङ) उनके नाम क्या हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(च) इन फर्मों को अत्यधिक लाभ व कमीशन पर भारत से इस्पात का निर्यात करने की सरकार द्वारा मंजूरी दिये जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) आरम्भ में मैसर्स अमीनचन्द प्यारे लाल फर्म समूह के साथ कारोबार बन्द करने के आदेश 7 मई, 1966 को जारी किये गए थे ।

(ख) लोक सेवा समिति ने अपनी 50वीं रिपोर्ट (1965–66) में सिफारिश की थी कि इस फर्म समूह के साथ किए गए कारोबार की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाय और जांच पूरी होने तक अथवा इन फर्मों द्वारा निर्यात के वायदे पूरे किए जाने तक सरकार को इन दोषी फर्मों के साथ आगे और लेन-देन बन्द कर देना चाहिए । तदनुसार प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी कर दिए गए थे ।

(ग) नवम्बर, 1974 में उच्चतम न्यायालय ने मिथिवोरवाले मामले में अपने निर्णय में कहा था कि सरकार द्वारा इन फर्मों के साथ कारोबार बन्द करने के आदेश जारी करने से पहिले संबंधित पार्टियों को अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए । अतः विधि मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की पुनः जांच की गई । विधि मंत्रालय का मत था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए कारोबार बन्द करने के आदेश जारी करना कानून की दृष्टि से ठीक न होगा । इस बात को तथा इस तथ्य को देखते हुए कि यह प्रतिबन्ध 9 वर्ष से अधिक अवधि तक लागू रहा है, दिसम्बर, 1975 में प्रतिबन्ध आदेश रद्द करने का फैसला किया गया ।

(घ) और (ङ). प्रतिबन्ध को रद्द करने का निर्णय तत्कालीन इस्पात और खान मंत्री श्री चन्द्रजीत यादव ने तत्कालीन सचिव श्री बदूद खां की सिफारिश पर लिया था ।

(च) भारत से लोहे और इस्पात का निर्यात करने के लिए सेल इन्टरनेशनल लि० एकमात्र माध्यम अभिकरण है । इसने विभिन्न फर्मों जैसे टिस्को, इस्को दूसरे पुनर्वेलकों (अमीनचन्द प्यारेलाल समूह की कुछ फर्म भी शामिल हैं) को इस्पात की मदों के निर्यात के लिए स्वीकृति दी थी इन निर्यातों के लिए सेल इन्टरनेशनल द्वारा इन फर्मों को कोई आढ़त नहीं दी गई है । सेल इन्टरनेशनल लि० ने इन सभी फर्मों से जिनमें अमीन चन्द प्यारेलाल समूह की फर्में भी शामिल हैं साधारण सेवा प्रभार लिए थे ।

कोढ़ का उन्मूलन करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम

*375. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोढ़ प्रतिष्ठान ने कोढ़ का उन्मूलन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिष्ठान ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस कार्य-क्रम के लिए धन में वृद्धि की जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) यहां पर 'भारत कुष्ठ प्रतिष्ठान' नाम का कोई संगठन नहीं है। किन्तु 'राष्ट्रीय कुष्ठ संगठन भारत' के कुछ प्रतिनिधि 21-5-1977 को मुझ से मिले थे और उन्होंने राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में कुछेक सुझाव दिये थे उन्होंने वे सुझाव लिखित रूप में भी भेजे हैं।

(ग) इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा

*376. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने वाले श्रमिकों को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 3 की अनुसूची चार के अन्तर्गत देय जायज मुआवजे से वंचित रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो शारीरिक क्षति के अनुपात का सही मूल्यांकन करके श्रमिकों को मुआवजे का पूरा लाभ देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) श्रीमन्, सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघरों के खोले जाने पर प्रतिबंध

*377. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोले जाने पर प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (बृज लाल वर्मा) : (क) जी नहीं । ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर निरन्तर खोले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1975-76 में 1048 डाकघर और 1976-77 में 2028 डाकघर खोले गये थे । इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय टेलीफोन उद्योग कर्मचारी, पालघाट द्वारा वेतन का वहिष्कार

*378. **श्री बी० के० नायर :**

श्री वयालर रवि :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग, पालघाट के कर्मचारियों ने गत माह अपने वेतन का वहिष्कार किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) और (ख) काम पर देर से आ सकने के लिए अनुग्रह अवधि (ग्रेस टाइम) आधे दिन से कम समय वाली छुट्टियां और कम्पनी की परिवहन व्यवस्था या इसके बदले में आर्थिक सहायता की अपनी मांगों पर जोर देने के लिए कर्मचारियों ने 1 जून, 1977 को अपना वेतन नहीं लिया । उन्होंने अपना वेतन 2 जून, 1977 को लिया ।

मनीआर्डर का कमीशन शुल्क

*379. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि देश में मनीआर्डर का बहुत अधिक कमीशन शुल्क लिये जाने से बड़ी संख्या में निर्धन व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शुल्क कम करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) मनीआर्डर कमीशन बहुत अधिक नहीं लिया जाता है । कमीशन से जितना राजस्व अर्जित होता है, उसकी अपेक्षा मनीआर्डर का निपटारा करने में काफी अधिक खर्च आता है । विभाग मनीआर्डर सेवा पर प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये का घाटा उठा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Acquisition of Diamond in Possession of A.P. Government

***380. Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Government of Andhra Pradesh had asked the Centre to take over the 85 carat (17 grams) diamond seized there ;

(b) whether Government have acquired the same and if so, on what terms ; and

(c) particulars of the diamond and how and where the same was found ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Batnaik) : (a) The Ministry of Education and Social Welfare (Deptt. of Culture) received a communication from the State Government in December, 1975 enquiring whether the Government of India would be interested in acquiring the uncut diamond for preservation in a Museum.

(b) No, Sir. The diamond is now in Hyderabad Museum.

(c) An uncut diamond was found in Survey No. 158 of Theetakal village, Kalyandurg Taluk, Anantpur District of Andhra Pradesh by one Shri B. Kesa Naik while reclaiming his land on 13-7-1972. The diamond is an uncut transparent piece slightly off-coloured with a yellowish tinge and conical in shape weighing approximately 85 carats (17 grams).

मलेरिया उन्मूलन के लिए संशोधित योजना

***381. श्री शिव सम्पति राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मई, 1977 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार की मलेरिया उन्मूलन सम्बन्धी संशोधित योजना अधिकांश राज्यों में केवल कागज़ी कार्यवाही मात्र है यद्यपि इसकी क्रियान्विति इस वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ हो जानी चाहिए थी ;

(ख) संशोधित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) योजना की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सभी राज्य सरकारों ने योजना के बारे में अपनी मंजूरी दे दी है और यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है और इस सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क), (ग) और (घ) जी, हां। सरकार का ध्यान इस उल्लखित समाचार की ओर खींचा गया है । मलेरिया नियंत्रण कार्यों को चलाने की संशोधित योजना को कार्यान्वित करने की मंजूरी 50 प्रतिशत से अधिक राज्य सरकारों और केन्द्र शासति प्रशासनों ने पहले ही दे दी है । फिर भी निम्नलिखित राज्य और केन्द्र शासित प्रशासन ऐसे हैं जिन्हें अभी आवश्यक स्वीकृति देनी है :—

(1) बिहरा, (2) हिमाचल प्रदेश, (3) केरल, (4) महाराष्ट्र, (5) मणिपुर, (6) मेघालय, (7) उड़ोसा, (8) त्रिपुरा, (9) उत्तर प्रदेश, (10) पश्चिम बंगाल, (11) अरुणाचल प्रदेश और (12) दिल्ली । इन राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासनों को तत्काल स्वीकृति देने के बारे में याद दिला दी गई है । सभी राज्य इस संशोधित योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गए हैं । जब तक यह संशोधित योजना स्वीकृति नहीं होती तब तक वर्तमान योजना चलती रहेगी ।

(ख) संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मलेरिया नियंत्रण की कार्य प्रणाली की संशोधित योजना की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :——

1. इस संशोधित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व भारत सरकार इस रोग के आक्रमक चरण (अटैक फेज एरिया) वाले क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने के लिए प्रति एकक 110 मीट्रिक टन के हिसाब से और समेकन चरण (कन्सोलिडेशन फ़ेज एरिया) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थान स्थान पर छिड़काव कार्य करने के लिए प्रति एकक 5 मीट्रिक टन के हिसाब से कीटनाशी दवाइयां देती रही। केन्द्रीय सरकार ने अनुरक्षण चरण वाले क्षेत्रों के लिए भी कीटनाशी दवाइयां दी हैं। किन्तु इसकी लागत का भुगतान राज्य सरकारों को करना पड़ता है। कार्य प्रणाली की संशोधित योजना में वार्षिक परजीवी इंडेक्स 2 और इससे अधिक के आधार पर खास खास स्थानों में छिड़काव कार्य प्रारम्भ किया जाना है। चाहे गत प्रणाली के अनुसार उन क्षेत्रों को इस रोग वाले आक्रमक समेकन या अनुरक्षण में से किसी भी चरन में क्यों न रखा गया हो। अतः आक्रमक और समेकन चरणों के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के छिड़काव कार्य संबंधी पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता रहेगा। अब अनुरक्षण चरण (मेंटनेंस फेज) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में छिड़काव कार्य के लिए 5 मीट्रिक टन के अतिरिक्त जितनी भी कीटनाशक दवाई की आवश्यकता होगी वह भी केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई की जाएगी किन्दु 5 मीट्रिक टन की लागत राज्य सरकारों से वसूल की जायेगी। ये कीटनाशक दवाइयां राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में कार्य संचालन संबंधी खर्च वहन करने पर ही दी जाएंगी।

2. मलेरिया यूनिटों का ढांचा इस प्रकार बनाया जायेगा जिससे वे जिलों की भौगोलिक सीमाओं के अनुरूप बन जायें और जिले का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी इस कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार होगा।

3. खास खास स्थानों पर छिड़काव कार्य करने के बारे में समय समय पर वज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने और रोग वाहक का उपाचरण और उसके प्रभाव की यात्रा के मूल्यांकन समेत कीट वैज्ञानिक हालात का पता लगाने के उद्देश्य से 72 मण्डलों में कीट विज्ञान संबंधी कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है। ये मण्डल सामान्य तथा राज्यों के कमिश्नर/डिवीजनल अफसर के मुख्यालय में ही बनायें जाएंगे। कमिश्नर/डिवीजनल अफसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/डिप्टी कमिश्नर अपनी मासिक बैठकों में इस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।

4. मलेरिया-निरोधी औषधियां केवल मलेरिया कार्यकर्त्ताओं, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए ही उपलब्ध नहीं की जा रही हैं बल्कि पंचायतों, अध्यापकों, ज्वर-उपचार डिपुओं, आदि जैसी एकाधिक विभिन्न एजेंसियों के जरिए भी उपलब्ध की जा रही हैं। यह औषधि दुकानों पर भी उपलब्ध की जाएगीं।

5. इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में स्वास्थ्य शिक्षा देने, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने तथा जनता का सहायोग प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

6. अनुसंधान संबंधी काम को तेज किया जाएगा।

Manganese Deposits in Balaghat District, M.P.

*382. **Shri Laxman Rao Mankar :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) though there are rich deposits of manganese in Kantarojhar in Balaghat District in Madhya Pradesh, manganese has not been extracted from there ?

(b) whether manganese could not be extracted due to undue interference by the Union Government ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) The reference presumably is to Village Kantangjhiri (not Kantarojhar), District Balaghat, Madhya Pradesh. The manganese deposits in Kantangjhiri are considered minor deposits and most of the mines working in this area earlier have been closed down due to uneconomic working. Presently only one mine viz., Netra is reporting production. During 1976 this mine produced 3,000 tonnes of manganese ore.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

चिकित्सा स्नातक

*383. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय चिकित्सा स्नातक जिस संख्या में पास होकर बाहर आ रहे हैं उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में डाक्टरों में बेरोजगारी पैदा हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) ग्रामीण तथा समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के लगभग पूर्णतया अभाव की तुलना में इस संभावित बेरोजगारी के क्या कारण हैं ; और

(घ) चिकित्सा शिक्षा को उद्देश्यमूलक बनाने और प्रतिभा का सदुपयोग करने के लिए क्या नीति अपनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ग) देश के लिए डाक्टरों के बारे में जो प्रतिमान रखे गए हैं उनको पुरा करने के लिए इस समय प्रति वर्ष निकलने वाले लगभग 12,500 चिकित्सा स्नातकों को आगे आने वाले काफी वर्षों तक निरन्तर खपाया जा सकेगा। देश में डाक्टरों को अपने निजी रोजगार के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। लेकिन गांवों में या अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डाक्टरों की अरुचि से एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तो डाक्टरों के कुछ स्थान खाली पड़े हैं लेकिन दूसरी ओर 1976 में रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर में लगभग 8570 चिकित्सा स्नातकों के नाम दर्ज थे।

(घ) भारत सरकार स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा पाठ्यचर्या को इस ढंग से बनाना चाहती है कि वह पूरी तरह समाज सापेक्ष बन जाए जिससे मेडिकल कालेजों से निकलने वाले डाक्टर इस राष्ट्र की युग चेतना और आवश्यकताओं के अनुरुप ढले हों।

Cancer by Use of Saccharin

*334. **Shri Ishwar Choudhary :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the use of Saccharin is likely to cause cancer ; and

(b) if so, whether Government have got this point verified and the preventive measures taken in this regard ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Reports to this effect have come to Government's notice.

(b) Studies in this regard are in progress.

There is already a restriction on the use of saccharin in foods except in carbonated waters. Steps are being taken to restrict its use even in carbonated waters.

Residential Accommodation to P and T Employees, Dhanbad

2782. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) whether there is a provision for residential accommodation for all (Central) P & T employees posted in industrial areas ;

(b) whether even 4 per cent P & T employees have not been provided houses in Dhanbad (Bihar) which is an industrial area ; and

(c) if so, the arrangement being made by Government to provide houses to remaining P and T employees in Dhanbad and the time by which they will be provided with this facility?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) No, Sir. The Department has, however, proposed a tentative target of 25 per cent of employees being provided quarters at all stations where the number of P & T staff exceeds 200, which covers the case of Dhanbad.

(b) Yes, Sir, as on date, 24 out of 633 *i.e.* only 3·7 per cent of P and T employees stationed at Dhanbad have been provided with residential accommodation.

(c) No departmental land is available for construction of additional quarters. A search is being made for a suitable plot. In view of the non-availability of land, it is difficult to indicate a definite target date at present. Attempts are being made to expedite selection of a suitable site and its acquisition.

अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन

2783. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) : जी, हां।

(ख) वर्ष 1976 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा अन्य उत्पादकों का अपरिष्कृत इस्पात का कुल उत्पादन लगभग 93.64 लाख टन था जबकि 1975 में उत्पादन 79.91 लाख टन था अर्थात् 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1996 एल० एस०—3

इस्पात के पुर्नवितरण सम्बन्धी नीति

2784. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में इस्पात की पुर्नवितरण नीति का पुर्नविलोकन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या नयी नीति के अन्तर्गत ग्वालियर में इस्पात का एक यार्ड स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) वितरण नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है इसमें परिवर्तन किए जाते हैं ।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ग्वालियर में एक प्रेषण अधिकरण खोलने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं । आशा है अगले कुछ महीनों में इसकी स्थापना हो जाएगी ।

मेडिकल कालिजों में प्रवेश

2785. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल कालिजों में प्रवेश के लिए आयु सीमा 17 वर्ष अथवा अधिक रखी जाएगी अथवा इसमें छूट दी जाएगी ; और

(ख) क्या 10–1–2–1–3 प्रणाली में आयु सीमा 11–1–2 प्रणाली के समान ही होगी अथवा आयु सीमा में छूट दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने निर्धारित किया है कि ऐसे किसी भी छात्र को मेडिकल कालेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्रवेश के समय 17 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो या जो प्रथम एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश वाले वर्ष में 31 दिसम्बर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी न कर लेता हो ।

$5\frac{1}{2}$ वर्षीय मिले-जुले एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्र ने प्रवेश के समय 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए या प्रि-मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश वाले वर्ष में 31 दिसम्बर तक वह इतनी आयु पूरी कर ले । मेडिकल (एम० बी० बी० एस०) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती ।

(ख) 10+2 उच्चत्तर माध्यमिक पाठ्यक्रम के बाद दाखिल किए गए छात्रों के लिए एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम आयु वही होगी और इस संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को फैलोशिप तथा छात्रवृत्तियों के लिए विदेशों में भेजना

2786. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के फैलोशिप और राष्ट्रमंडल की छात्रवृत्तियों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को विभिन्न देशों को भेजा गया ;

(ख) ऐसे चयन के लिए सरकार द्वारा क्या कसौटी अपनाई गई ; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों को भेजे गए उम्मीदवारों के नाम क्या हैं ; वे किन राज्यों में चुने गए और वे किन जातियों के हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात का उत्पादन

2787. **श्री के० कुन्हम्बू** :

श्री वयालार रवि : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : गत तीन वर्षों में प्रमुख इस्पात कारखानों में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ख) कुल कितना निर्यात किया गया तथा उससे कुल कितनी धनराशि की आय हुई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर (इस्को) तथा जमशेदपुर (टिस्को) के छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन वर्ष 1974–75 में 49.00 लाख टन, 1975–76 में 57.78 लाख टन तथा 1976–77 में 69.22 लाख टन था।

(ख) वर्ष 1974–75, 1975–76, तथा 1976–77 में निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा तथा मूल्य निम्न सारणी में दिए गए हैं :—

(मात्रा: हजार टन)
(मूल्य: करोड़ रुपए)

1974–75		1975–76		1976–77	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
52.13	10.93	506.14	86.91	1409.24	260.51

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मेरठ स्थित औषधालयों से औषधियों, फर्नीचर तथा उपकरणों में गबन

2788. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व मेरठ में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय की स्थापना के दौरान स्वास्थ्य सेवा माहानिदेशक द्वारा 50 हजार रुपए मूल्य की औषधियों, फर्नीचर और उपकरणों के गबन का पता लगाया गया था ;

(ख) क्या स्वास्थ्य महानिदेशालय के सतर्कता विभाग द्वारा कुछ समय तक मामले की जांच की गई थी परन्तु मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के राजनीतिक प्रभाव के कारण मामले को आपात काल में रफादफा कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और क्या सरकार का विचार पूरी जांच तथा अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसी निष्पक्ष एजेन्सी को सौंपने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

Demnand for Indian Technical Experts

2789. **Shri Ishwar Choudhary :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether some countries have recently made a demand for the services of Indian technica experts ; and

(b) if so, the names of such countries as also the countries to which Indian experts have been sent indicating the terms and conditions of their services and the period for which they have been sent ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Behari Vajpayee) : (a) and (b) Indian technical experts are working in a large number of countries all over the world. However, recently, an increasing number of developing countries have sought their services. The names of these developing countries are : Algeria, Libya, Sudan, Somalia, People's Democratic Republic of Yemen, Yemen Arab Republic, Jordan, Syria, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, Sri Lanka, Maldives, Burma, Mauritius, Malaysia, Vietnam, Laos, Fiji, Tonga, Singapore, Barbados, Jamaica, Cuba, Guyana, Nigeria, Ghana, Senegal, Upper Volta, Sierra Leone, Zaire, Liberia, Tanzania, Zambia, Kenya, Ethiopia, Uganda, Botswana, Mozambiaque, Lesotho, Nepal, Bhutan, Malta and Indonesia. Our experts have already been sent or are in the process of being sent to these countries. The terms and conditions of their service depdend on the qualifications and experience of the experts and the programme under which their services are being availed of such as Indian Technical Cooperation Programme, Colombo Plan, direct contract service etc. Generally, these terms and conditions of service take into account the cost of living in the foreign country concerned and provide free furnished accommodation or allowance in lieu thereof, return passages, medical facilities and remittance facilities for savings. Technical experts are generally deputed for an initial period which arise from one to three years. Extension of period of deputation is normally perm maximum period of five years from the date of employment in respect of Government/semi-Government service.

Provident Fund Commission, U.P.

2790. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state whether a statement showing the official work done by the office bearers of the bogus staff union of Uttar Pradesh Provident Fund Commissioner such as Vice-President

General Secretary etc., in their capacity as employees during the last three years for wich they drew their monthly salaries and various allowances from the Department would be laid on the Table of the House ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : There are two staff unions in the office of the Regional Provident Fund Commissioner in Kanpur, Uttar Pradesh. One of the unions is recognised. Information regarding both the unions is being collected and will be placed on the Table of Sabha in due course.

Medical Colleges in Maharashtra

2791. Dr. Bapu Kaldaty : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of medical colleges in Maharashtra and the number of students studying there ; and

(b) whether all the medical colleges have been recognised by the Medical Council of India ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Number of medical colleges in Maharashtra is 14 and their admission capacity per year is 1575.

(b) All the medical colleges in Maharashtra are recognised by the Medical Council of India except S.R.T.R. Medical College, Ambajogai.

नये अमरीकी प्रक्षेपणास्त्र

2792. श्री निहार लास्कर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका एक ऐसा नया अमरीकी प्रक्षेपणास्त्र बना रहा है जो गर्मी तथा विस्फोटक शक्ति द्वारा सैनिक प्रतिष्ठानों को नष्ट करने की बजाय लोगों को मार डालेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत ने ऐसे खतरनाक शस्त्र के निर्माण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार ने समाचारपत्र की रिपोर्टें देखी हैं जिनसे पता चलता है कि संयुक्त राज्य एक नए प्रकार के प्रक्षेपणास्त्र विकसित कर रहा है जिसे न्यूट्रोन बम अथवा विकिरण अस्त्र जैसे विभिन्न नाम दिए गए हैं और जो मानव घाती अस्त्र होगा जिसका निर्माण विकिरण के प्रभाव द्वारा मनुष्य को मारने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार का अस्त्र नाभिकीय बम अथवा ताप-नाभिकीय बम से भिन्न होगा, जोकि गर्मी, विस्फोट और विकिरण के अपने त्रिपक्षीय प्रभाव द्वारा मनुष्यों को मारने के साथ-साथ वस्तु का विनाश भी कर सकता है, जिसमें सैनिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।

(ख) चूंकि नए प्रकार का यह अस्त्र एक सामूहिक-विनाश का अस्त्र है इसलिए भारत सरकार सामूहिक-विनाश के सभी प्रकार के अस्त्रों का कड़ा विरोध करने की अपनी स्थिर नीति के अनुरूप इसका पूर्ण विरोध करेगा।

(ग) चूंकि संयुक्त राज्य के नए प्रक्षेपणास्त्र के विकास से सम्बद्ध प्रेस-रिपोर्टों की पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए भी कि यह एक द्वीपक्षीय मामला नहीं है, भारत का इसके किसी प्रकार के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, भारत उचित समय तथा उपयुक्त मंच पर सामूहिक-विनाश के इस नए प्रकार के अस्त्र के प्रति अपना विरोध प्रकट करने में नहीं हिचकिचाएगा।

Aluminium Plant in Kutch

2793. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Gujarat Government have been trying for the setting up of an aluminium plant in Kutch for the last 11 years ;

(b) the demand of the Gujarat Government in this regard and the difficulty in accepting it ;

(c) the estimated amount likely to be spent thereon ; and

(d) the time by which the Union Government will give approval to the project ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) to (d). The question of setting up an alumina plant for export of alumina based on the bauxite deposits on the Kutch District has been engaging the attention of Central Government and the State Government for sometime. No potential buyer has yet been secured so as to justify the development of these deposits. The cost estimates will depend upon the size of the project.

हुगली में नौका उद्योग

2794. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हुगली में नौका उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या अध्ययन पत्तन प्रभारों के संबंध में होगा ; और

(घ) समिति द्वारा प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). जी हां। इस समिति में पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री वी० आर० मेहता (अध्यक्ष), कलकत्ता पोर्ट श्रमिक यूनियन के तीन प्रतिनिधि, कलकत्ता पत्तन न्यास के उपाध्यक्ष, वाणिज्य मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता, रिवर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बंगाल रिवर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोट एसोसिएशन और इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन, कलकत्ता का एक-एक प्रतिनिधि तथा उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्री पी० एन० राजदान (सचिव) शामिल हैं।

(ग) और (घ). यह समिति पत्तन प्रभारों से संबंधित समस्याओं सहित नौका उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करेगी। इस समिति से चार माह की अवधि के अन्दर-अन्दर रिपोर्ट देने के लिए अनुरोध किया गया है ।

लोहे की छीलन सम्बन्धी नीति में फेर-बदल

2795. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आयरन एण्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ष 1977–78 के लिए लोहे की छीलन सम्बन्धी नीति में फेर-बदल करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि यह नीति सभी बातों को ध्यान में रख कर बनाई गई है इसलिए इस समय इस नीति में फेर-बदल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उदयपुर में जस्ता प्रद्रावक

2796. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर स्थित जस्ता प्रद्रावक की क्षमता को 18,000 मीटरी टन से बढ़ाकर 45,000 मीटरी टन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसकी क्षमता कब तक बढ़ाये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख). देवारी जस्ता प्रद्रावक (उदयपुर के निकट) की वार्षिक क्षमता 18,000 टन से बढ़ाकर 45,000 टन करने का काम पहले ही पूरा हो चुका है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, दासनगर से प्रशिक्षकों का स्थानान्तरण

2797. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, दासनगर, कलकत्ता के अधिकांश प्रशिक्षकों को आपात स्थिति के दौरान प्रबंधकों ने मनमाने तरीके से विभिन्न केन्द्रों पर स्थानान्तरित कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, दासनगर में वापस भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) "प्रशिक्षक" के रूप में निर्दिष्ट किसी भी निर्देशात्मक कर्मचारी को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, दासनगर, कलकत्ता से स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

तथापि, "प्रशिक्षकों" के अलावा, अखिल भारतीय आधार पर नियोजित अन्य उच्च स्तर के निर्देशात्मक 252 कर्मचारियों में से, वास्तव में 28 कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों से स्थानान्तरित किया गया था। इनमें केवल छः कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, दासनगर, कलकत्ता से स्थानान्तरित किया गया था।

(ख) जी नहीं। तथापि, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय का एक केन्द्रीय स्टाफ संगठन है, जिसका मुख्यालय केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, दासनगर में है। यह संगठन देश के विभिन्न भागों में स्थित संस्थानों / रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों के "ग" और "घ" ग्रुपों के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इस संगठन ने स्थानान्तरण के इस प्वाइन्ट को, श्रम मंत्रालय की विभागीय परिषद् की शीघ्र ही होने वाली बैठक में विचार करने के लिए उठाया है।

Disturbance at Prime Minister's Meeting Abroad

2798. **Shri Meetha Lal Fatel** : Will the Mi· ister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether during the period when the Commonwealth Conference was held in London in June, 1977 some persons tried to create disturbance in a meeting arranged by the Indian Community in London to accord reception to the Prime Minister and Minister of External Affairs ; and

(b) if so, who were these people and whether they included foreigners also and if so, the countries to which they belonged ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Behari Vajpayee) : (a) A public meeting was arranged by various Indian associations at the Royal Albert Hall in London of June 12, 1977, in honour of the Prime Minister and the Minister of External Affairs. A few persons tried to create disturbance during the meeting but did not succeed on account of the overwhelming and enthusiastic support for the Prime Minister and the Minister of External Affairs expressed by the large gathering present.

(b) While the identity of the miscreants is not clearly established, it is understood that they may have been Naxalite sympathisers.

दन्त चिकित्सकों की कमी

2799. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अर्हता प्राप्त दन्त चिकित्सकों की कमी है ;

(ख) क्या अधिकांश अर्हता प्राप्त दन्त चिकित्सक नगरों में हैं जिससे गांव में रहने वाले व्यक्ति दांत की बीमारियों के लिये आधुनिक सुविधाओं से लगभग वंचित रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दन्त चिकित्सकों की कमी दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दांत की बीमारियों का इलाज करने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) देश में दन्त चिकित्सकों का जनसंख्या वार जो अनुपात है वह मुदालियर समिति द्वारा सुझाये गये दन्त चिकित्सक जनसंख्या के अनुपात 1 : 30,000 से बहुत ही कम है ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकारों को (जिनमें संघ शासित क्षेत्र भी शामिल हैं) लिख दिया गया है कि वे कम से कम जिला और तहसील स्तर पर दंत चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के निमित्त दन्त चिकित्सा सेवाओं में सुधार करने संबंधी योजनाओं को राज्य योजनाओं में शामिल करने के लिए तुरन्त कदम उठाएं ताकि हमारे देश का विशाल ग्रामीण जन समूह लाभान्वित हो सके ।

बहिरंग रोगियों से शुल्क न लेने के आदेश

2800. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में बहिरंग इलाज के लिए अस्पतालों में आने वाले किसी रोगी से शुल्क न लेने का राज्य सरकारों से आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह आग्रह कब किया गया था ; और

(ग) इस पर राज्यवार प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नाराण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). में प्रश्न नहीं उठते ।

कैंसर होने के मामलों में वृद्धि

2801. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कैंसर के रोग में वृद्धि हो रही है ;

(ख) देश में कैंसर के रोगियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) और (ख). कैंसर एक अधिसूचित रोग नहीं है । अतः देश में कैंसर के कितने रोगी हैं, इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) अनेक संस्थाओं और कैंसर अनुसंधान केन्द्रों में कैंसर पर अनुसंधान और अध्ययन किए जा रहे हैं । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने देश में होने वाले कुछेक आम कैंसर रोगों अर्थात् मुख और मुखग्रसनी कैंसर, ग्रीवा कैंसर, स्तन कैंसर पर मिले-जुले अध्ययन भी किए हैं । मुख और मुखग्रसनी कैंसर संबंधी अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में इसके प्रचलन का पता लगाना और विशेष रूप से तम्बाकू के इस्तेमाल के संदर्भ में इस प्रकार के कैंसर संबंधित पर्यावरणिक बातों का अध्ययन करना था। स्तन और ग्रीवा कैंसर पर अध्ययन किए जा रहे हैं। नई दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में तीन क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान तथा उपचार केन्द्र खोलने का विचार है । कोबाल्ट चिकित्सा यूनिटें खोलने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है ।

आयुर्वेदिक औषधियों के मूल्य

2802. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आयुर्वेदिक औषधियों का मूल्य इतना अधिक है कि वे सामान्य व्यक्ति की खरीद से परे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इनके मूल्यों में कमी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) आम बीमारियों की आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतें ठीक ही हैं किन्तु कुछ विशेष दवाओं की कीमतें अधिक इसलिए हैं क्योंकि इनमें पड़ने वाली चीजों की लागत अधिक होती है ।

(ख) हाल ही में आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के लिए निगम के रूप में एक केन्द्रीय फार्मेसी स्थापित करने का फैसला किया गया है । इसके अतिरिक्त संबंधित राज्यों को राजस्व फार्मेसियों और जड़ीबूटी फार्मों के विकास के लिए धन भी दिया गया है ।

रोडेशिया

2803. **श्री उग्रसेन :**

श्री एस० कुण्डु : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लन्दन में हुए राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में रोडेशिया की श्वेत सरकार के स्थान पर बहुमत वाली अश्वेत सरकार की स्थापना करने के लिए एक फार्मूले पर विचार विमर्श हुआ था तथा इस संबंध में कोई करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) 8 से 15 जून 1977 तक लंदन में हुए राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्ष ने इस बात को दोहराया कि जिम्बाब्वे (रोडेशिया) को बहुमत शासन के आधार पर ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ।

(ख) शासनाध्यक्षों ने यह स्वीकार किया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैर-कानूनी स्मिथ सरकार को तैयार करना और उस पर जितना हो सके दबाव डालना आवश्यक है । इस संबंध में उन्होंने यह अनभव किया कि सशस्त्र युद्ध अन्य प्रयत्नों का पूरक हो गया है जिसमें बातचीत द्वारा समझौता भी शामिल है, और इस बात पर सहमति प्रकट की कि इसे चलाते रखना अपरिहार्य हो गया है । उन्होंने जिम्बाब्वे को 1978 में स्वतंत्रता देने से संबंधित कार्यक्रम के बारे में प्रशासनिक देश के वक्तव्य पर ध्यान दिया । शासनाध्यक्षों ने यह भी स्वीकार किया कि किसी भी वास्तविक समाधान के लिए यह आवश्यक है कि उसमें न सिर्फ समुचित संवैधानिक परिवर्तनों के विषय में सहमति हो अपितु व्यावहारिक उपायों के विषय में सहमति भी आवश्यक है जिससे कि बहुमत की सरकार को सत्ता का कारगर हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके । उन्होंने अपनी यह दृढ़ आस्था भी व्यक्त की कि बातचीत के द्वारा जो समझौता हो उसमें न सिर्फ स्मिथ की गैर-कानूनी सरकार का हटाया जाना ही शामिल हो बल्कि उक्त सरकार के दमनकारी तंत्र का समाप्त किया जाना भी शामिल हो जिससे कि सत्ता का व्यवस्थित एवं कारगर हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके ।

हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा संस्थान की स्थापना

2804. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं राज्य के लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने में अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश में आल इंडिया इंस्टीयूट आफ मैडिकल साइंसिज अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट ईस्टीट्यूट आफ चंडीगढ़ की भांति चिकित्सा संस्थान करने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें 18 केन्द्र ऐसे हैं जहां प्रत्येक में 2 या 2 से अधिक डाक्टर हैं और 51 ऐसे हैं जहां प्रत्येक में एक-एक डाक्टर है । ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल 8 हैं, जिनमें कोई

डाक्टर नहीं है। राज्य में दी जा रही वर्तमान चिकित्सा सुविधाएं लगभग उतनी ही हैं जितनी देश के अन्य देहाती क्षेत्रों में दी जा रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Use of Hindi in U.N.O. and Other International Organizations

2805. Dr. Ramji Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) In how many years Hindi is likely to be accorded recognition as one of the languages of U.N.O. ;

(b) whether there is any scheme for a phased programme for the use of Hindi by the embassies and the foreign delegations in their work ; and

(c) if so, whether he himself will encourage the use of Hindi in the Comonwealth Conference, United Nations Organisation or in the foreign countries ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Behari Vajpayee) : (a) to (c). It is the policy of Government to encourage the use of Hindi at the United Nations and other international Conferences. In this context the Government are examining the feasibility of the proposal to introduce Hindi as one of the official languages of the U.N. The government desires that Hindi is used in other international conferences also. In Commonwealth Conferences English is used. In regard to Indian Missions abroad Government are encouraging progressive use of Hindi by them in their work.

Production of Rock Phosphate in Rajasthan

2806. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether half of the total quantity of rock-phosphate produced in India is produced in Rajasthan ;

(b) whether large amount of foreign exchange is earned from its export ; and

(c) if so, whether steps are being taken by Government for the development of this mineral bearing region ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik): (a) Approximately 90 per cent of rock phosphate mined in India is currently produced in Rajasthan.

(b) No, Sir. India is still a not importer of rock phosphate to supplement its domestic requirements.

(c) Presently two important deposits *viz.* Jhamarkotra and Maton are being exploited by the Rajasthan State Mines and Minerals Ltd. (a Government of Rajasthan undertaking) and Hindustan Zinc Ltd. (a Central Government undertaking) respectively. Explorations are under way to develop the mining of rock phosphate, which can be expected to lead to the further development of rock phosphate bearing regions.

कालीकट के आस-पास लौह अयस्क निक्षेप

2807 **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट के आस-पास लौह अस्यक निक्षेपों की उपलब्धता के बारे में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) लौह अयस्क के मुख्य निक्षेप कालीकट के आस-पास मैगनेटाइट के रूप में हैं जिनका चेरूप्पा, पल्येट्टीमाला, नार्नामिडां, नाडुवेल्लूर और अलामपारा 5 क्षेत्रों में होने का पता चला है। इन पांच खण्डों में कुल 792.20 लाख टन लौह अयस्क (आक्सीकृत तथा गैर आक्सीकृत) भंडार है जिनमें 31.5 प्रतिशत से 41.20 प्रतिशत लौह होने का अनुमान है। इन निक्षेपों में से भूमि स्तर से 40 मीटर में 373 लाख टन आक्सीकृत लौह अयस्क भंडार तथा गहरे भागों में 419 लाख टन गैर आक्सीकृत अयस्क भंडार है। अयस्क का प्राकृतिक ग्रेड अभी उपयोगी नहीं है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को नकली औषधियों की सप्लाई

2808. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली औषधियों की प्रभावोत्पादकता बारे में शिकायतें की गई हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के मैडीसिन स्टोरों को नकली औषधियां सप्लाई करने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रत्येक मामले की जांच के आदेश दिये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली औषधियों की गुणकारिता के बारे में कोई आम शिकायतें नहीं मिली हैं। फिर भी कुछ इक्के-दुक्के मामले ऐसे अवश्य आये जिनमें लाभार्थियों ने यह शिकायत की थी कि उनको दी गई दवाइयों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में डाकघरों का खोला जाना

2809. **श्री के० मालन्ना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्नाटक के अनेक जिलों में डाकघरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस राज्य में नये डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में खोले जाने वाले नये डाकघरों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क), (ख) और (ग) डाकघर उन जगहों पर खोले जाते हैं जहां विभागीय मानकों के अनुसार उनका औचित्य बनता है।

ऐसा प्रस्ताव है कि कर्नाटक राज्य के देहाती इलाकों में 113 डाकघर और शहरी इलाकों में 21 डाकघर खोले जायें, बशर्ते कि वे विभागीय मानकों पर पूरे उतरते हों। कर्नाटक राज्य में काम कर रहे डाकघरों की संख्या और वर्ष 1977–78 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या जिलेवार संलग्न सूची में दी गई है।

विवरण

31-3-1977 को कर्नाटक राज्य में काम कर रहे डाक घरों की संख्या और वर्ष 1977–78 में प्रत्येक जिले के शहरी और देहाती इलाकों में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की जिलेवार सूचना :—

क्रम सं०	जिले का नाम	31–3–77 को काम कर रहे डाकघरों की संख्या	वर्ष 1977–78 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या	
			शहरी इलाकों में	देहाती इलाकों में
1.	बंगलूर	549	7	1
2.	बेलारी .	436	1	2
3.	बेलगाम . . .	640	—	10
4.	बिदार . . .	254	—	—
5.	बीजापुर . .	701	2	10
6.	चिकमगलूर . .	271	—	—
7.	चित्रदुर्ग .	435	1	5
8.	कुर्ग . .	161	—	—
9.	धारवाड़ . .	558	1	10
10.	गुलबर्ग . .	566	1	6
11.	हस्सन . .	366	—	8
12.	उत्तरी कनारा .	418	—	20
13.	कोलार . .	357	—	10
14.	माण्ड्य .	327	3	5
15.	दक्षिणी कनारा .	714	—	3
16.	मैसूर	518	2	10
17.	रायचूर . .	453	3	10
18.	शिमोगा .	401	—	3
19.	तुमकुर	527	—	—
	योग . .	8652	21	113

दिल्ली के जूनियर डाक्टरों के विरुद्ध सेवा-समाप्ति के आदेश तथा कानूनी कार्यवाही वापस लेना

2810. **श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1974 की 96 दिवसीय हड़ताल में भाग लेने वाले दिल्ली के 13 जूनियर डाक्टरों के विरुद्ध सेवा-समाप्ति के आदेश तथा कानूनी कार्यवाही वापस ले ली गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : दिल्ली प्रशासन ने संबंधित डाक्टरों के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे मामलों को वापिस लेने के आदेश जारी कर दिये हैं। सेवा समाप्ति के आदेश संबंधित डाक्टर द्वारा अनुरोध करने पर वापिस ले लिये जायेंगे।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन

2812. **श्री एस० कुण्डु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री सहित भारत सरकार के कितने प्रतिनिधि तथा अधिकारी गत राष्ट्रमंडल सम्मेलन में शामिल हुए तथा उन्होंने वहां पहुंचने के लिए किन साधनों का उपयोग किया तथा इस संबंध में कितना खर्चा आया है; और

(ख) विगत में ऐसे सम्मेलनों में कितने व्यक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतत्व में शामिल हुए तथा उन्होंने वहां पहुंचने के लिए किन साधनों का उपयोग किया तथा उस पर कितना खर्चा आया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) जून, 1977 में राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने जो भारतीय प्रतिनिधि लंदन गये थे उनकी संख्या 12 थी जिनमें प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल हैं। ये लोग एयर-इंडिया के एक वाणिज्यिक विमान से गये थे। अभी तक ठीक-ठीक कुल संख्या तो मालूम नहीं हुई है लेकिन प्रधान मंत्री के दल की यात्रा पर, जिसमें प्रतिनिधिमंडल के अधिकांश सदस्य शामिल हैं, 52,000 – रुपये खर्च हुए। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि प्रधान मंत्री के दल ने चार्टर विमान द्वारा यात्रा की होती तो उस पर लगभग 16 लाख रुपये खर्च होते।

(ख) अप्रैल/मई 1975 में राष्ट्रमंडल सरकार के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने जो व्यक्ति किंगस्टन, जमैका गये थे उनकी संख्या 36 थी जिनमें तत्कालीन प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री भी शामिल थे। वे एक चार्टर विमान द्वारा गये, इस यात्रा पर 25 लाख रुपये व्यय हुए थे।

National Labour Institute

2813. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the number of Indian and Foreign guests entertained by the Naitonal Labour Institute, New Delhi during emergency and the expenditure incurred as a result thereof ;

(b) whether the Central Government have formulated rules and regulations in regard to the recruitment and promotions of the employees of the National Labour Institute;

(c) whether the recruitments and promotions given in the Institute during emergency are as per rules, and if not, the reasons thereof ;

(d) the number of posts filled in the institute by advertising the posts in the national newspapers through the employment exchange, or by giving departmental promotions ; and

(e) whether the Officer of the Institute undertake air journeys in violation of the rules prescribed in this regard and if so, the expenditrre incurred by the institute on this account ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) : During the period of internal emergency, entertainment expenditure on Indian and foreign guests to the Institute, was to the tune of Rs. 19,900. The budget provision for the purpose was Rs. 20,000. The number of Indian guests entertained were 304 and foreign guests 114.

(b). Yes. The Rules covering service conditions (including recruitment and promotion) provident fund scheme, housing facilities, medical benefit scheme, etc., were formulated and approved by the Executive Council as well as the General Council of the Institute. They were approved by the Government as well. Only on the matter of daily allowance, some further discussion is going on between the Institute and the Ministry. This pertains to a particular item in the Service Rules (General).

(c) Yes, as per rules.

(d) (i) By adverstisements .	. 3 (Professional staff)
;(ii) Through Employment Exchanges	. 1 (Technical staff)
(iii) Departmental Promotions .	.

For departmental promotions, there are provisions in the Rules for setting-up Selection Committees. For higher professional staff, selection committees are set up by the Chairman of the Executive Council and for other categories, selection committees are set-up by the Dean.;

(e) No. However, two employees who are normally entitled to travel by train were allowed to travel by air for excigencies of work.

Under the rules, the Dean is authorised to permit travel by a class/mode higher than what an employee is entitled to on the merit of each case. In respect of these two professional staff members prior approval was obtained.

राजस्थान में मेडिकल अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

2814. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार की एक मेडिकल अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता देने को कहा था जो बांगुर धर्मार्थ न्यास द्वारा जयपुर में स्थापित किया जाना था;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने उक्त धर्मार्थ न्यास द्वारा एकत्रित 25 लाख रुपये का दान स्वीकार किया था;

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव था; और

(घ) क्या इस परियोजना से संबंधित संबद्ध फाइलें इस समय नहीं मिल रही हैं तथा समूची परियोजना को स्थगित कर दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, राज्य सरकार इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने के लिए राजी हो गई है।

(ग) और (घ). भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

Upgradation of Branch Post Offices in U.P.

2815. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Branch Post Offices proposed to be upgraded in Uttar Pradesh during the current financial year ;

(b) whether he has received any letter in May and June, 1977 from a Member of Parliament in this regard ; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Communications (Shri Brijlal Verma) : (a) Branch Post Offices are upgraded into departmental Sub-Offices in accordance with certain standards. Upgradation of two Branch Post Offices in Uttar Pradesh during the current financial year has so far been sanctioned. Other proposals are under consideration.

(b) and (c) A proposal to upgrade Rooma E.D.B.O. in Kanpur District has been received through a Member of Parliament. The case is under examination.

शाहदरा टेलीफोन एक्सचेंज, दिल्ली के पास टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

2816. **श्री नर्मदा प्रसाद राय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शाहदरा टेलीफोन एक्सचेंज, दिल्ली के पास विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कनेक्शनों के लिए कुल कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और वह पंजीकरण संख्या तथा तारीख कौन सी है जिस तक प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को कनेक्शन दे दिए गए हैं ;

(ख) क्या जहां तक शाहदरा ईस्ट एक्सचेंज (लेवल-20) का सम्बन्ध है, स्थिति 'करेंट' है ;

(ग) क्या शाहदरा ईस्ट एक्सचेंज में बहुत सी फालतू लाइनें उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नवीन शाहदरा आदि जैसे कतिपय क्षेत्रों को, जो इस समय शाहदरा एक्सचेंज के अन्तर्गत आते हैं, शाहदरा ईस्ट एक्सचेंज में अंतरित करने का है ताकि आवेदक उस एक्सचेंज में उपलब्ध फालतू लाइनों में से अपने कनेक्शन ले सकें ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) प्रतीक्षा सूची में अर्जियों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है:—

	ओ-वाई-टी	सामान्य	विशेष
शाहदरा एक्सचेंज (लेवल 21)	208	2334	610

पंजीकरण संख्या तथा तारीख जिस तक प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को कनेक्शन चे दिए गए हैं ।

	ओ–वाई–टी	सामान्य	विशेष
		(गैर ओ–वाई–टी)	(गैर ओ–वाई–टी)
पंजीकरण संख्या	एस-ए/ओ/981	एस-ए/76	एस-ए/एस-पी/14
किस तारीख तक कनेक्शन दे दिये गये हैं।	14–8–73	9–4–64	1–2–66

(ख) शाहदरा ईस्ट एक्सचेंज की स्थिति अद्यतन नहीं है। जिस पंजीकरण संख्या तथा तारीख तक प्रतीक्षा सूची के आवेदक को कनेक्शन दे दिया गया है वह इस प्रकार है :—

	ओ–वाई–टी	सामान्य	विशेष
		(गैर ओ–वाई–टी)	(गैर ओ–वाई–टी)
पंजीकरण संख्या	एस-एच-ई/ओ-वाई-टी/जी/129 ए	एस-एच-ई/नान ओ-वाई-टी/जी/आर/327	एस-एच-ई/नाम ओ-वाई-टी/एस/बी/12
किस तारीख तक कनेक्शन दे दिया गया है।	30–3–77	29–9–76	18–2–77

(ग) सामान्य अलाटमेंट के लिए फालतू लाइन उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ, दमण और दीव में खनन रायल्टी से राजस्व

2817. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ, दमण और दीव से अलग-अलग खनन रायल्टी और शुल्क से केन्द्रीय खजाने की कितनी वार्षिक आय होती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : वर्ष 1975–76 के दौरान गोआ, दमण और दीव में सभी खनिजों पर कुल मिलाकर 66.45 लाख रुपये की रायल्टी प्राप्त हुई। खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अन्तर्गत रायल्टी से प्राप्त आय राज्य सरकार को मिलती है, केन्द्रीय सरकार की नहीं।

2. गोआ, दमण तथा दीव में कोई खनन उपकर नहीं लगाया जाता है। फिर भी, जो उपकर लगाया जाता है वह श्रम मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित "लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961" के अन्तर्गत कल्याण उपकर के नाम से लगाया जाता है। यह उपकर उक्त अधिनियम की धारा 2 के अधीन वसूल किया जाता है तथा उससे प्राप्त धन धारा 3 के अधीन लौह-अयस्क खनिकों व उनके आश्रितों को कल्याण सुविधाएं जुटाने के निमित्त राज्य सरकार तथा खान-मालिकों को सहायतार्थ बांट दिया जाता है। गोआ, दमण तथा दीव को इस खाते में 1976–77 के दौरान 73,49,600 रुपये की राशि दी गई।

गोश्रा, दमण श्रौर दीव से राजस्व

2818. **श्री एडुश्रार्डो फैलीरो :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय खजाने को गोश्रा, दमण श्रौर दीव से श्रलग-श्रलग डाक व तार तथा टेलीफोन से कितनी वार्षिक श्राय होती है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : गोवा, दमन श्रौर दीव के संबंध में वर्ष 1976–77 के दौरान डाक श्रौर दूर संचार सेवाश्रों का राजस्व इस प्रकार है :—

	डाक राजस्व	दूरसंचार (तार श्रौर टेलीफोन) राजस्व
गोवा	52,65,162	1,28,84,876
दमन	1,49,746	1,29,296
दिव	1,75,579	97,266

चिकित्सा संस्थानों श्रौर सरकारी श्रस्पतालों में रोगी पर श्रौसतन-व्यय

2819. **श्री वयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, चंण्डीगढ़ श्रौर पांडिचेरी में श्रखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली में श्रन्य सरकारी श्रस्पतालों में प्रति रोगी श्रौसतन कितना व्यय होता है, श्रौर

(ख) यदि इस व्यय में कोई श्रन्तर है तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) श्रौर (ख). यह सूचना एकत्र की जा रही है श्रौर यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में रोगियों को सुविधायें

2820. **श्री वयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान श्रखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान को विकास तथा रोगियों को सुविधायें देने हेतु कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) गत दो वर्षों में कम श्राय वर्ग के रोगियों को श्रौषधियों तथा खाने में क्या सुधार किये गये हैं तथा श्रन्य क्या सुविधायें दी गई हैं ; श्रौर

(ग) क्या सरकार का विचार निम्न श्राय वर्ग के रोगियों की सुविधाश्रों में सुधार करने हेतु कोई कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र समेत श्रखिल भारतीय श्रायुर्विज्ञान संस्थान को श्रपने विकास के लिए श्रौर संस्थान के दैनिक खर्च

को पूरा करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित अनुदान दिए गये थे :--

वर्ष	धन राशि (रुपये लाखों में)		
	नान-प्लान	प्लान	योग
1974-75	340.42	30.31	370.73
1975-76	378.13	29.47	407.60
1976-77	393.51	44.50	438.01

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और जल्दी ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा अस्पतालों में हिन्दी का प्रयोग

2821. **श्री वयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली में अन्य अस्पतालों में केवल हिन्दी का प्रयोग करने और अंग्रेजी के नामपट्टों के स्थान पर हिन्दी के नामपट्ट लगाने को कहा है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय संस्थानों में एकल् भाषा पद्धति से गैर-हिन्दी भाषी लोगों के लिए समस्या उत्पन्न होती है ; और

(ग) क्या सरकार इन राष्ट्रीय संस्थानों में द्विभाषा प्रणाली का पालन करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों में द्विभाषा पद्धति का पहले से ही पालन किया जा रहा है।

Post Office Building of Nawagarh, Dhanbad

2822. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the roof of the building housing the Nawagarh Post Office in Dhanbad District (Bihar) has breaches and it leaks during the rainy season and there is water logging in the building and there are no proper arrangements for fans etc. even though electric line is available and in fact, the building is not fit for living or for office work ; and

(b) if so, whether Government propose to carry out repairs of this building and the time by which the repairs of the building would be carried out ?

The Minister of Communications (Shri Brijlal Verma) : (a) and (b) There is no water logging and fans are provided in Nawagarh Post Office building.

Action has already been initiated for urgent repairs of the building and the repair work is likely to be completed within two months. The question of replacing old electric wiring is also being examined.

टेलीफोन उद्योगों की स्थापना

2823. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्य बहुत से स्थानों पर टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये चुने गये स्थानों में मध्य प्रदेश के शिवपुरी अथवा गुना स्थानों का नाम भी है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह उद्योग स्थापित करने के लिए शिवपुरी अथवा गुना स्थानों के बारे में भी विचार करेगी ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग की स्थापना के लिए जगह का अन्तिम रूप से चुनाव नहीं हुआ है।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) सुझाये गये अन्य स्थानों के साथ, इस सुझाव पर भी, गुण-दोष के आधार पर और राज्य सरकार की सलाह से, विचार किया जायेगा।

फरक्का मामले पर सहमति

2824. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का मामले पर भारत और बंगलादेश के बीच हुई सहमति से नौवहन क्षेत्रों में हर्ष नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) फरक्का मामले पर बंगलादेश के साथ हुई सहमति से नौवहन क्षेत्रों में हुई किसी भी प्रतिक्रिया की जानकारी सरकार को नहीं है।

Foreign Government Propagating Social Welfare and Culture in India

2825. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the foreign Governments propagate their social welfare and culture in India ;

(b) if so, the names of the foreign Government running institutions in India alongwith the names thereof ; and

(c) the names of the Indians who are patrons or members of these institutions ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) Yes, Sir.

(b) In accordance with international diplomatic practice, the information and Cultural Wings of foreign missions in India undertake cultural programmes and activities in this country.

Besides, the Indian Council for Cultural Relations manages/liaises with the following foreign cultural centres which are maintained/aided by the missions of UK, FRG and Soviet Union :—

1 Administration of 7 British Libraries in Bangalore, Bhopal, Lucknow, Pune, Patna, Ranchi and Trivandrum.

2 Administration of House of Soviet Culture in Trivandrum.

3 Liaison with the Max M ı ller Bhavans in India. In addition, there are eight branches of the Alliance Francaise in India which are registered as Indian Societies but get assistance from the French Embassy.

(c) The above foreign cultural centres are financed/aided by their respective diplomatic missions. Since these centres exist for the purpose of undertaking cultural activities, several Indians make use of the libraries etc. maintained by them and in that sense may be regarded as members of such institutions. The Alliance Francaises have, however, Indians on their Managing Committees since they are run as Indian registered Societies. Their names are given in the statement attached. [Placed in the Library. *See* L.T.—635/77]

Punishment to Spurious Drug Producers

2826. Shri Ishwar choudhary : Will the Minister of **health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to give stringent punishment to spurious drug producers and chemists selling spurious drugs ;

(b) whether Government have also information to the effect that besides spurious drugs, cosmetics are also found to be adulterated ; and

(c) if so, whether Government are considering the question of making proper arrangement by amending this Act ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The manufacture of cosmetics is also covered by the Drugs and Cosmetics Act, 1940 It is proposed to amend certain provisions of this Act to ensure a rigid control over the quality of Drugs and Cosmetics.

घटिया किस्म की औषधियों का उत्पादन

2827. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ औषधि निर्माता अभी भी घटिया किस्म की औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो घटिया किस्म की औषधियों का उत्पादन और वितरण रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) औषधियों का निर्माण समय-समय पर यथासंशोधित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन किया जाता है। जो औषधियां तैयार की जाती हैं वे सामान्यतया अच्छी किस्म की होती हैं। तैयार औषधियों की क्वालिटी बिगड़ने न पाये इसके लिए केन्द्रीय और राज्य औषध नियंत्रण संगठन कड़ी निगरानी रखते हैं और जहां कहीं नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाते वहां उन्हें सही करने के लिए कार्यवाही की जाती है जिसमें न्यायालयों में मुकदमें चलाना भी शामिल है।

पाकिस्तान के साथ वाली भारतीय सीमा पर तारबन्दी

2828. **डा० बापू कालदाते :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ उत्तर की ओर भारतीय सीमा पर तारबंदी पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने किलोमीटर क्षेत्र में तारबंदी पूरी हुई है; और

(ग) दोनों ओर से यातायात के लिये कितने दरवाजे रखे गये हैं और कहां-कहां पर ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) भारत–पाकिस्तान सीमा तारबंदी वाली सीमा नहीं है केवल कुछ क्षेत्र इसके अपवाद हैं जहां पर तारबंदी विशुद्ध रूप से स्थानीय प्रबंध से की गई है। सीमांकित हिस्से को खंभों से अंकित किया गया है।

(ग) 1974 के भारत–पाकिस्तान वीसा करार की शर्तों के अनुसार सीमा पर यातायात के लिए खुले रखे गये स्थान ये हैं :

अटारी (भारत)––वाघा (पाकिस्तान) और

मुनाबाओ (भारत)––खोक्रापार (पाकिस्तान)।

Linking Khurja with Delhi by STD System

2829. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to link Khurja with Delhi through S.T.D. system ;

(b) if so, the time by which the scheme is likely to be implemented ;

(c) if not, whether, Government propose to consider this matter and take an immediate decision in this regard ;

(d) whether Khurja is an industrial town and its link with Delhi through STD system will help in increasing its business activity; and

(e) the names of the towns of the Western Uttar Pradesh likely to be linked through S.T.D. system ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) At present there is no plan to connect Khurja on STD.

(b) Does not arise.

(c) Khurja local exchange is at present manual and linking Khurja with Delhi through STD would be considered after the exchange system is made automatic.

(d) There are some small industries in Khurja and STD is normally expected to help in increasing business activity but the traffic at present is too small to justify STD to Delhi.

(e) The folllwing towns are likely to be added on to the STD network :

1 Moradabad.
2 Bareilly.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्यालय को रांची से स्थानान्तरित करना

2830. **श्री ए० के० राय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्यालय को रांची से स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इससे जनता में भारी असन्तोष पैदा हुआ है और बिहार सरकार ने भी दिनांक 7 फरवरी, 1977 को अपने मंत्रिमंडल के निर्णय में असन्तोष व्यक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मुख्यालय को स्थानान्तरित करने के इस निर्णय को बदलने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ग). सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लि० के मुख्यालय को रांची से बदलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन पिछली सरकार ने यह फैसला किया था कि हिन्दुस्तान स्टील लि० का पुनर्गठन किया जाये और इसकी तीन इकाइयों की तीन नयी कम्पनियां बना दी जायें और कुछ दूसरी इकाइयों को कुछ अन्य वर्तमान कम्पनियों में मिला दिया जाये। इस प्रकार बाकी बचे हुए हिन्दुस्तान स्टील लि० में केवल एक इकाई (दुर्गापुर इस्पात कारखाना) रह जायेगी जिसका मुख्यालय दुर्गापुर में होगा। लेकिन अब हिन्दुस्तान स्टील लि० का पुनर्गठन करने के समग्र प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है।

(ख) यद्यपि हिन्दुस्तान स्टील लि० के पुनर्गठन के विरोध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथापि सरकार को बिहार सरकार के दिनांक 7–2–77 के तथाकथित निर्णय अथवा बिहार के लोगों में कोई भारी नाराजगी होने के बारे में मालूम नहीं है।

जयपुर स्थित हिन्दुस्तान स्टील लि० का स्टाकयार्ड

2831. **श्री आर० डी० गट्टानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील, मैसर्स इण्डियन आयरन और मैसर्स मान इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० को जयपुर स्थित अपने स्टाकयार्ड के लिए लगभग 50,000 रु० प्रति माह भूमि किराये के रूप में अदा कर रहे हैं;

(ख) क्या बिना किसी इमारत के एक खुले मैदान के लिए यह किराया बहुत ज्यादा नहीं है;

(ग) क्या उपर्युक्त मान इण्डस्ट्रीज को यह भूमि उद्योगों को चलाने के लिए तत्कालीन जयपुर राज्य सरकार द्वारा नाम-मात्र को और रियायती दर पर दी गई थी; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जयपुर में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का स्टाकयार्ड नहीं है। जयपुर में 9.22 एकड़ भू-खण्ड में अपने स्टाकयार्ड के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा मैसर्स मान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को प्रति मास 13,830 रुपये किराया दिया जाता है।

(ख) इस बात को देखते हुए कि यह भूमि विकसित है और यहां अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं यह किराया बहुत ज्यादा नहीं समझा जाता है।

(ग) ऐसा पता चला है कि मैसर्स मान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने यह भूमि जुहारमल सरूपचन्द एक आधिस्वामिक फर्म से ली थी जिन्होंने यह भूमि 1947 से पहले तत्कालीन जयपुर सरकार से ली थी।

(घ) उपर्युक्त वैकल्पिक स्थान लेने के बारे में अन्य सरकारी अभिकरणों से जिनमें राज्य लघु उद्योग निगम भी शामिल है, पता लगाया जा रहा है।

भारत में खसरा के टीके का निर्माण

2832. **श्री रेणुपद दास :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार खसरा रोग से सबसे अधिक शिशुओं की मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में खसरा के टीके का बड़े पैमाने पर निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन में भारत में खसरा के टीके का संयंत्र लगाने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां। खसरे को अफ्रीका में बच्चों का प्रमुख जानलेवा रोग माना जाता है, एशिया में नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय

2833. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों की स्थिति सतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर भारतीयों के हितों की रक्षा हेतु उचित सूझबूझ के लिए सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले सभी भारतीय मोटे तौर पर बिना किसी खास अड़चन के शांतिपूर्वक रह रहे है और अपना काम कर रहे है। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों को रंग पर आधारित भेदभाव जैसे कतिपय पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता हो अथवा उस देश में अपने आश्रितों को लाने में कुछ कठिनाइयां उनके सामने आती हों, लेकिन यह कह देना ठीक नहीं होगा कि उन सभी की स्थिति "संतोषजनक नहीं" है।

(ख) भारत सरकार यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीय नागरिकों के हित/कल्याण का पूरा ख्याल रखती है और जब कभी आवश्यक हो, उनके हितों की रक्षा के लिए, जहां तक सम्भव हो, उचित कार्यवाही करती है।

Incidents of Theft and Looting in Post Offices

2834. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether incidents of theft and looting in post offices have been reported this year ;

(b) if so, the names of those post offices and the value of theft of looting committed ; and.

(c) the measures being taken to check recurrence of such incidents ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a), (b) and (c) Information is being collected and will be placed on the table of Lok Sabha shortly.

Cultural Organizations of USA and USSR Functioning in India

2835. Shri Hukmdeo Narain Yadav : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether several cultural organisations of USA and Soviet Russia are functioning in India ; and

(b) if so, their names and the sources from which the expenditure incurred by them is met and whether any of the members of the present Cabinet has ever had any connection with them ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) and (b) Both USA and Soviet Union have Cultural Wings attached to their diplomatic and consular missions in India which are financed entirely by the respective governments. The Soviet Union also has a House of Soviet Culture at Trivandrum. Since there is no Soviet Consular Office in that city, in accordance with Government's policy, the management of the House of Soviet Culture is done by the Indian Council for Cultural Relations. The funds for its activities are provided by the Soviet Embassy in New Delhi.

So far as the Ministry of External Affairs is aware, no member of the present Cabinet has had any connection with the House of Soviet Culture at Trivandrum.

दिल्ली के अस्पतालों में विस्तार

2836. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के अस्पतालों में विशेषतया तपेदिक के रोगियों के लिए बिस्तरों की बहुत ही कमी है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में आगामी तीन वर्षों में बिस्तरों की सख्या बढ़ाने और रोगियों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) आगामी तीन वर्षों के दौरान खोले जाने वाले नए अस्पतालों, औषधालयों, जिनमें आयुर्वेदिक तथा यूनानी भी शामिल है, का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) (क) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में उपलब्ध रोगियों के पलंगों की कुल संख्या 11050 है ।

(ख) दिल्ली के अस्पतालों में इन पलगों की कोई कमी नहीं है क्योंकि दिल्ली में आबादी और पलंगों का अनुपात प्रति हजार के पीछे 2.6 का है जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति हजार के पीछे एक पलंग का सुझाया गया है । दिल्ली के अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिए 1539 पलंग उपलब्ध है जिन्हें पर्याप्त समझा जाता है ।

(ग) और (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पलंग और जनसख्या के वर्तमान अनुपात को बनाए रखने के लिए 2,500 और पलंग बढ़ाने का विचार है जो इस प्रकार होंगे--500 पलंग शाहदरा में, 500 हरिनगर में, 500 मौजूदा अस्पतालों में कमी को पूरा करने के लिए और 1,000 नई पुनर्वास बस्तियों के लिए।

हड़ताल, घेराव, तालाबन्दी और छंटनी

2837. **श्री कंवर लाल गुप्ता :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में प्रत्येक राज्य में कितनी हड़तालें हुई और हड़ताल की अवधि के दौरान उत्पादन की अनुमानतः कुल कितनी क्षति हुई;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रबन्धकों के घेराव के कुल कितने मामले हुए;

(ग) इस अवधि के दौरान तालाबन्दी की कुल कितनी घटनाएं हुई और कितने श्रमिकों की छंटनी की गई;

(घ) श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) विवरण संलग्न है, जिसमें जनवरी से अप्रैल, 1977 तक की अनंतिम सूचना दी गई है (विवरण-1)। [ग्रन्थालय में रखा गया। [**देखिये** संख्या एल० टी० 636/77]

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) विवरण संलग्न है (विवरण-2)। [ग्रन्थालय में रखा गया। [**देखिये** संख्या एल० टी० 636/77]

(घ) और (ङ) केन्द्र तथा राज्यों दोनों के औद्योगिक सम्बन्धतन्त्र आवश्यतानुसार वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अनौपचारिक मध्यस्थता, ससाधन, न्याय निर्णय या विवाचन द्वारा काम बन्दियों को कम करने के लिए प्रयास करते रहते है।

सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां विवादों में हस्तक्षेप करती है ताकि समझौता हो जाए। सरकार औद्योगिक संबधों वाले कानून में संशोधन करने का भी विचार कर रही है और इस प्रयोजन के लिए सरकार शीघ्र ही एक त्रिपक्षीय समिति गठित कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट दो माह में दे देगी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस विषय पर आवश्यक विधान बना सकेगी।

डाक लेखन-सामग्री तथा टेलीफोन दरों में वृद्धि

2838. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोनों के लिए दर, किराए और प्रतिभूति राशि में कितनी-कितनी वृद्धि की गई;

(ख) वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पोस्ट कार्ड, लिफाफों आदि की दरों में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) तीन लाख से अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्ति है; और

(ङ) अगले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में अधिक संख्या में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करने संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और दिल्ली की प्रतीक्षा सूची कब तक समाप्त हो जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों की टेलीफोन की दरें, किराया और प्रतिभूति की राशि प्रदर्शित करने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जा रहा है (अनुबन्ध क)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 637/77]

(ग) पोस्टकार्ड लिफाफों आदि की दरों में वृद्धि संबंधी ब्यौरे प्रदर्शित करने वाला विवरण-पत्र अनुबंध ख में दिया जा रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 63 77]

(घ) 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित करने वाला एक विवरण-पत्र अनुबंध ग में दिया जा रहा है।

(ङ) आशा है कि वर्ष 1977–78 में 20,000 और 1978–79 में 32,000 नए टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगें।

1–4–1977 को प्रतीक्षा सूची में 41,702 अर्जियां दर्ज थीं। आशा है कि कुछ इलाकों को छोड़ कर अगले दो वर्षों में टेलीफोन की यह मांग पूरी कर दी जाए गी।

भारत गोल्ड माइन्स लि०

2839. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लि० को बिजली सप्लाई में बाधा पड़ने से कोई क्षति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) (क) भारत गोल्ड माइन्स के खनन हेतु 25 हार्स पावर बिजली की 1976–77 में कोई कटौती नहीं की गई और इसके फलस्वरूप उक्त वर्ष के स्वर्ण उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई। लेकिन वर्कशाप में प्रयुक्त 50 हार्स पावर की बिजली सप्लाई में कटौती के कारण 1976–77 के दौरान 7,000 मशीन घंटों की हानि हुई जिसका मुद्रा मूल्य लगभग 5.50 लाख रुपए है। 3 तथा 4 मई, 1977 को

25 हार्स पावर वाली बिजली सप्लाई के बन्द हो जाने से एक दिन के स्वर्ण उत्पादन की हानि हुई जिसका मुद्रा मूल्य 3.70 लाख रुपये है।

(ख) बिजली सप्लाई की समस्याओं के हल के लिए कम्पनी ने फरवरी, 1977 में एक मोटर जेनरेटर सेट लगाया है जो 25 हार्स पावर को 50 हार्स पावर में बदलने के लिए है।

शिक्षित बेरोजगार

2840. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **संसदीय कार्य** तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के तेजी से विस्तार से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दिन प्रति दिन गम्भीर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1974 और 1975 में वर्षवार तथा राज्यवार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों (मैट्रिकुलेट और इससे ऊपर) की संख्या कितनी है; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज शिक्षित नौकरी चाहने वालों (मैट्रिकुलेट और इससे ऊपर) की संख्या में वृद्धि हो रही है। 31 दिसम्बर, 1964 और 1975 को राज्यवार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज शिक्षित नौकरी चाहने वालों (मैट्रिकुलेट और इससे ऊपर) की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार का विचार रोजगारोन्मुख नीति अपनाने का है जिसमें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योग, लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार दोनों को फायदा होगा। छठी पंच-वर्षीय योजना को भी दोनों शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए उच्च रोजगार तत्व सहित सुत्रबद्ध करने का विचार है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1974 और 1975 को प्रत्येक राज्य संघ-शासित क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज शिक्षित नौकरी चाहने वालों (मैट्रीकुलेट और इससे ऊपर) की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चालू रजिस्टर पर शिक्षित नौकरी चाहने वालों (मैट्रिकुलिट और इससे ऊपर) की संख्या	
		31-12-1974 को	31-12-1975 को
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,83,598	3,30,871
2.	असम	51,937	85,181

3.	बिहार	4,29,411	5,10,288
4.	गुजरात	1,51,511	1,72,517
5.	हरियाणा	1,16,425	1,32,122
6.	हिमाचल प्रदेश .	30,207	33,461
7.	जम्मू-व-कश्मीर .	11,803	17,081
8.	कर्नाटक	1,97,402	2,09,291
9.	केरल .	3,17,087	3,62,010
10.	मध्य प्रदेश	1,81,480	1,98,413
11.	महाराष्ट्र	3,79,602	4,27,803
12.	मणिपुर	9,131	15,832
13.	मेघालय	3,484	4,268
14.	नागालैण्ड	*	**
15.	उड़ीसा	97,858	1,19,337
16.	पंजाब	1,20,929	1,66,200
17.	राजस्थान	1,16,567	1,35,788
18.	सिक्किम	†	**
19.	तमिलनाडु .	3,33,183	3,55,749
20.	त्रिपुरा . .	23,343	25,398
21.	उत्तर प्रदेश . .	4,00,701	4,75,358
22.	पश्चिम बंगाल . .	7,65,627	8,32.522
	संघ-शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान-व-नीकोबार द्वीपसमूह	*	1,188
2.	अरूणाचल प्रदेश .	*	*
3.	चण्डीगढ़	13,862	20,386
4.	दिल्ली .	1,20,889	1,52,542
5.	गोआ, दमन व दीव	12,330	14,685
6.	लक्षद्वीप	555	694
7.	मिजोराम	284	450
8.	पाण्डिचेरी .	5,528	5,791
9.	दादरा व नागर हवेली . .	*	*
	अखिल भारतीय योग . .	41,74,734	48,05,226

*इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा था ।

**नागालैण्ड में दो रोजगार कार्यालयों ने पंजीकरण कार्य शुरू नहीं किया ।

†1974 के अन्त में सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बना था ।

कोयला खान श्रमिकों को मुआवजे के भुगतान में गड़बड़ करने वाला गिरोह

2841. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि धनबाद आसनसोल रानीगंज पट्टी की कोयला खानों में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत कोयला खान श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान करने के मामले में गड़बड़ करने वाला एक गिरोह सक्रिय है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

2842. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को खोलने में इसका आर्थिक पहलू देखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के मामले में आर्थिक पक्ष पर अनिवार्यतः ध्यान नहीं दिया जाता है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) (क) डाक :

जी हां। सामान्य देहाती इलाकों के मामले में प्रस्तावित डाकघर की न्यूनतम आय उसकी अनुमानित लागत की 25 प्रतिशत अवश्य होनी चाहिए। बहुत पिछड़े घोषित इलाकों के मामले में डाकघर की अनुमानित लागत की कम से कम 15 प्रतिशत आय की गारंटी और पहाड़ी इलाकों के मामले में अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत आय की गारंटी होनी चाहिए।

दूरसंचार

सामान्यतः टेलीफोन सुविधा वहां दी जाती है जहां डाकघर मौजूदा हो बशर्ते कि वह प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से लाभकर हो। अविकसित क्षेत्रों में इस सुविधा के विस्तार के लिए निम्नलिखित वर्गीकृत स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं देने के लिए एक उदार नीति अपनायी जाती है, चाहे उसमें जितना भी राजस्व का अर्जन और घाटा होता हो।

(1) जिला मुख्यालय

(2) सब डिवीजनल मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) 10,000 से अधिक आबादी वाले स्थान

यदि डाकघर का वार्षिक राजस्व उसके वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत होता हो तो वहां टेलीफोन की सुविधा दे दी जाती है।

(1) वे स्थान जो किसी चालू टेलीफोन एक्सचेंज से 40 कि० मी० से अधिक दूर हों।

(2) किसी मौजूदा एक्सचेंज से 12.5 किलोमीटर के भीतर स्थित ऐसे स्थान जहां की आबादी 5,000 हो।

(3) पर्यटक/तीर्थ स्थान।

(4) कृषि/सिंचाई और बिजली परियोजना स्थल/टाउनशिप।

उपर्युक्त 4 वर्गीकृत स्थानों में न्यूनतम राजस्व की शर्त में आगे और ढील दी गयी है। पिछड़े इलाकों के मामले में न्यूनतम राजस्व उसके वार्षिक आवर्ती व्यय का 15 प्रतिशत और पहाड़ी इलाकों के मामले में 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। पहाड़ी और पिछड़े दोनों इलाकों के लिए आबादी की सीमा में भी ढील देकर 2500 कर दी गयी है।

यदि कोई स्थान किसी उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता और वहां सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव में घाटा दिखाई देता है तो किराए और गारंटी के आधार पर वहां यह सुविधा दी जा सकती है बशर्ते कि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाले घाटे की पूर्ति करने के लिए तैयार हो।

(ख) डाक--बहुत पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए ढील देने की व्यवस्था है।

दूरसंचार--जी नहीं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए कोई ढील देने की व्यवस्था नहीं है।

होम्योपैथी के लिए एक निदेशालय की स्थापना

2843. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने राज्यों में होम्योपैथी के लिए एक अलग निदेशालय स्थापित करने और विशेषज्ञ लोगों को निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस परिषद् की सिफारिश क्रियान्वित की गई है; और

(ग) क्या राज्यों में होम्योपैथी के लिए अलग से बजट का नियतन किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की अप्रैल, 1976 में हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की गई कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे होम्योपैथी के विकास संबंधी कार्यों को देखने के लिए, जिनमें उसकी शैक्षणिक संस्थाएं और लोगों के उपचार तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में उसके व्यापक उपयोग भी शामिल हैं, होम्योपैथी के निदेशकों के पदों पर अर्हता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियुक्त करें।

(ख) अब तक केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों ने होम्योपैथी के निदेशक और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों ने होम्योपैथी के उप-निदेशक नियुक्त कर दिये हैं।

(ग) केवल कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे केरल जिनके पास होम्योपैथी के लिए अलग से बजट प्रावधान है।

प्रसूति अवकाश आदि के लिए प्रावधान

2844. **श्री मुकुंद मंडल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी अनुसंधान योजनाओं में कार्यरत पी०एच०डी० के छात्रों के लिए प्रसूति तथा मेडिकल छुट्टी संबंधी कौन-कौन से प्रावधान हैं; और

(ख) क्या पांच वर्षों के लिए किसी परियोजना में कार्य कर रही महिला छात्रों के लिए प्रसूति अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पी०एच०डी० पाठ्यक्रम सहित किसी भी स्नातकोत्तर पाठयक्रम में पंजीकृत छात्राओं को प्रसूति छुट्टी देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) जो वैज्ञानिक पी०एच०डी० छात्र नहीं हैं उनकी छुट्टी के निर्यम भिन्न-भिन्न संस्थाओं में भिन्न-भिन्न हैं और यह भिन्नता उस संस्था पर निर्भर करती है जो परियोजना का खर्च चला रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अध्येता (रिसर्च फैलोज) प्रसूति या बीमारी की छुट्टी का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के छुट्टी के नियमों में यह व्यवस्था है कि विवाहित महिला को प्रसूति के कारण 3 महीने तक की अनुपस्थिति के लिए अध्येतावृत्ति की आधी रकम दी जाती है।

गर्भ के चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम का दुरुपयोग

2845. **श्री शिव सम्पत्ति राम :**
श्री अनन्त दवे :
श्री शंकरसिंहजी बघेला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के सार्वजनिक रूप से दुरुपयोग के कुछ मामलों का पता चला है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि गर्भ के दौरान बच्चे के लिंग की पूर्वजानकारी जिसका पता नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान लगाता है, पाने के लिए, जांच कराने के इच्छुक लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ग) क्या सरकार को पता लगा है कि लोग यह जांच केवल लड़की के ही जन्म को रोकने के लिए कराते हैं जिसे वे एक बोझ-मात्र समझते हैं; और

(घ) गर्भ के चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी, हां।

सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें गर्भवती स्त्रियों ने प्रसवपूर्व लिंग परीक्षण द्वारा गर्भस्थ शिशु का लिंग जानने के बाद लड़की के जन्म को रोकने के परोक्ष प्रयोजन हेतु गर्भ समाप्ति के लिए अनुरोध किया है।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने लिंग निर्धारण के कुल 3224 परीक्षण किये हैं। इन्होंने अब सामान्य रूप से प्रसवपूर्व गर्भ-निर्धारण परीक्षण करने बन्द कर दिये हैं तथा इसका उपयोग केवल लिंग से सम्बन्धित जनन-विकारों के इंगित मामलों तक ही सीमित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो लिंग के आधार पर गर्भ समाप्त करवाने की अनुमति देती हो। इसलिए, इस परीक्षण के दुरुपयोग को रोकने के लिए, इस अधिनियम में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, सरकार ने प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के परीक्षण के उपयोग को केवल डाक्टरी सलाह के आधार पर ही सीमित करने के कड़े अनुदेश जारी कर दिये हैं, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

बीमारियों के कारण बच्चों की मौतें

2846. **श्री दिनेश चन्द्र जोरदार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि छः मुख्य बीमारियों के कारण विकासशील देशों में प्रति वर्ष अनुमानतः पचास लाख बच्चे मरते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फिर भी यह बात सर्वविदित है कि विकासशील देशों में रोगों से मरने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है। भारत में जिन मुख्य कारणों से बच्चों की मौतें होती हैं वे बचपन के रोग हैं जैसे डिफ्थीरिया, टेटनस और इनके अलावा अतिसार, पेचिश और कुपोषण। इन रोगों की रोकथाम के लिए जो उपाय शुरू किये गये, वे हैं—टीके लगाने का कार्यक्रम, पूरक आहार कार्यक्रम, पेय जल पूर्ति कार्यक्रम आदि।

Opening of T.B. Hospitals

2847. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the number of T.B. patients in the country has been increasing every year ;

(b) if so, the State-wise number thereof at present and the number of hospitals where accommodation is available for patients ; and

(c) whether Government propose to open some new hospitals during the current year in order to free the country from T.B. and if so, the State-wise break-up thereof ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) and (b) : There is no evidence to suggest that the prevalence rate of tuberculosis cases is increasing in the country every year. A statement showing number of T.B. Hospitals/Institutions having T.B. beds (State-wise) is enclosed at Annexure-I.

(c) Yes, it has been proposed to establish 660 beds during the current financial year under State Plan sector and the States have been advised accordingly. The State-wise break up thereof is enclosed at Annexure-II.

STATEMENT-I

S. No.	Name of the State/ Union Territories	No. of T.B. Institutions/ Hospitals etc. having T.B. beds in them	Total number of T.B. beds
1.	Andhra Pradesh	25	2927
2.	Assam	28	799
3.	Bihar	45	1714
4.	Gujarat	42	2886
5.	Haryana	10	252
6.	Himachal Pradesh	10	679
7.	Jammu & Kashmir	5	695
8.	Kerala	39	2161
9.	Madhya Pradesh	49	1710
10.	Maharashtra	60	7034
11.	Karnataka	39	2858
12.	Orissa	26	730
13.	Punjab	16	1027
14.	Rajasthan	32	1615
15.	Tamil Nadu	51	3558
16.	Uttar Pradesh	8	3212
17.	West Bengal	68	5786
18.	Delhi	6	1539
19.	Nagaland	2	100
20.	Meghalaya	6	303
21.	Manipur	1	100
22.	Pondicherry	3	169
23.	Tripura	1	50
24.	Goa, Daman & Diu	3	251
25.	Andaman & Nicobar Islands	2	62
26.	Arunachal Pradesh	15	182
27.	Chandigarh	1	10
28.	Dadra & Nagar Haveli	—	—
29.	Lakshadweep	—	—
30.	Mizoram	1	30
31.	Sikkim	4	62
	Total :	598	42501

Statement II

S.No.	Name of the State/U.T.	No. of T.B. beds
1.	Andhra Pradesh	50
2.	Assam	—
3.	Bihar	50
4.	Gujarat	50
5.	Haryana	20
6.	Himachal Pradesh	10
7.	Jammu & Kashmir	—
8.	Kerala	20
9.	Maharashtra	—
10.	Madhya Pradesh	50
11.	Karnataka	50
12.	Meghalaya	10
13.	Manipur	10
14.	Nagaland	20
15.	Orissa	25
16.	Punjab	50
17.	Rajasthan	50
18.	Tamil Nadu	20
19.	Tripura	10
20.	Uttar Pradesh	50
21.	West Bengal	25
22.	Andaman and Nicobar Islands	5
23.	Arunachal Pradesh	20
24.	Chandigarh	10
25.	Dadra and Nagar Haveli	5
26.	Delhi	20
27.	Goa, Daman and Diu	10
28.	Lakshadweep	5
29.	Mizoram	5
30.	Pondicherry	10
	TOTAL	660

अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में पर्ची बनाने के लिए धनराशि वसूल करना

2848. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अस्पताल तथा डिस्पेंसरियां हैं जो रोगियों से प्रति नुस्खा पर्ची 25 पैसे अथवा 50 पैसे वसूल कर रहे हैं; और

(ख) क्या भारत में गरीबी को देखते हुये इसमें छूट देने का प्रस्ताव है क्योंकि यहां पर दूर-दराज क्षेत्रों के गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) कोई भी केन्द्रीय सरकार अस्पताल और औषधालय नुस्खे वाली पर्ची का कोई पैसा नहीं लेता ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजूरी की क्रियान्विति

2849. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिये समान मजूरी सम्बन्धी अध्यादेश को राज्यों ने कहां तक क्रियान्वित किया है ; और

(ख) क्या आसाम सरकार ने राज्य के चाय बागानों में महिला श्रमिकों के लिए इसे क्रियान्वित किया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, जो समान पारिश्रमिक अध्यादेश, 1975 के स्थान पर बनाया गया, अब तक 18 उद्योगों/नियोजनों पर लागू किया गया है । इसे क्रमश: अन्य नियोजनों पर लागू करने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम के अधीन अधिकांश सम्बन्धित नियोजनों को भी अधिसूचित कर दिया है ताकि उचित सरकार सलाहकार समितियों का गठन कर सकें। राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित सलाहकार समितियां संलग्न विवरण–1 में दी गई हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०—638/77]

भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दावों तथा शिकायतों को सुनने तथा उन पर निर्णय देने के लिए प्राधिकारियों, अपीलों को सुनने और उन पर निर्णय देने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों तथा जांच करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षकों को भी नियुक्त किया गया है । राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त प्राधिकारी संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 638/77]

(ख) असम की राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है जिसको इस संबंध में लिख दिया गया है ।

पूर्वोत्तर सर्किल में साज-सामान की कमी

2850. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सर्किल में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों और टेलीफोन केन्द्रों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए साज-सामान की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो साज-सामान की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, नहीं । योजना के अनुसार दूर संचार सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक भंडार सामग्री प्राप्त करके उसे विभिन्न इकाइयों को वितरित कर दिया जाता है और इस कार्य में उत्तर पूर्वी सर्किल भी शामिल है । जहां तक उत्तर पूर्वी सर्किल के लिए वर्ष 1977-78 की योजनाओं का सम्बन्ध है साज-सामान की किसी विशेष कमी की सम्भावना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Allotment of Land to P and T Department, Dhanbad

2851. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether about seven years ago 9 acres of land was allotted by Bokaro Steel Limited to P & T Department in Bokaro Steel City (Dhanbad) for construction of houses but houses are not being constructed there even now ; and

(b) if so, the time by which houses for employees would be constructed on that land ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) Bokaro Steel Limited agreed to allot suitable land to the P & T Department for the construction of staff quarters on lease in the year 1971. While the transfer of land and payment of premium was being processed, due to a financial crisis a ban was imposed on construction of staff quarters and purchase of land for the same. The ban has been lifted in January, 1976 and 8·89 acres of land taken over in July, 1976. Approval for construction of 200 staff quarters has been accorded and construction is to commence shortly.

(b) It is hoped that these quarters would be completed by 1979-80.

Setting up Testing Laboratories in Districts

2852. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether in view of the increasing cases of adulteration Government propose to set up test laboratories in each district so that the shopkeepers and the consumers can get the things after the due test ; and

(b) whether Government will pay immediate attention for the necessary arrangements in this regard in view of the health aspect involving therein ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) and (b) It is not a fact that adulteration is on increase. There is no proposal to set up tests laboratories in each district. The Government of India, however, are providing Central assistance to the State Governments for establishing Combined Food and Drugs Laboratoris and also for augmenting the existing facilities.

Retiring Room for Railway Mail Service Employees at Chittor

2853. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether due to railway siding on the way of retiring room for the Railway Mail service employees at Chittor (Rajasthan) there is always a danger of accident ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Communications (Shri Brijlal Verma) : (a) The R.M.S. Rest House is housed in a building on the dismantled Railway platform at Chittor and is accessible after crossing the railway line.

(b) The Railways have been approached to construct a building on the main Platform to house R.M.S. Rest House and other R.M.S. offices. Efforts are also being made to get suitable rented accommodation for the R.M.S. Rest House.

Mismanagement and Dearth of Medicines in Delhi Hospitals

2854. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether there is mismanagement and dearth of essential medicines in most of Government hospitals in the Capital ;

(b) whether patients and their relations are mal-treated and harassed in different ways by most of the employees of Emergency Department ;

(c) whether there is filth everywhere in wards and other places in most of the hospitals and no attention is paid to it ; and

(d) if so, whether Government propose to take action in this regard ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) No. All essential medicines are available in Central Government Hospitals in Delhi.

(b) No specific complaint has been received in this regard.

(c) No. The wards are being kept clean and adequate provision of sanitation staff is available.

(d) Does not arise.

Conditions of Lavatories in Hospitals of Delhi

2855. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether public lavatories in most of the Government hospitals in the Capital are in very bad conditions ; and

(b) if so, the steps taken to improve them ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) No.

(b) Does not arise.

Linking Cities of Rajasthan by S.T.D. System

2856. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Ministry is considering a proposal to link major cities of Rajasthan such as Udaipur, Kota, etc. by S.T.D. system ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Communications (Shri Brijlal Verma) : (a) Yes, Sir.

(b) A 2000-line trunk automatic exchange is due to be installed at Jaipur. The following cities of Rajasthan are proposed to be connected to the above trunk automatic exchange :

(1) Jodhpur
(2) Alwar
(3) Udaipur
(4) Kotah
(5) Ajmer
(6) Bikaner
(7) Jaipur

Facilities for inter-dialling between the Stations and other stations will be provided progressively after the commissioning of the exchange.

श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक कैंसर इंस्टीट्यूट और मूलचन्द अस्पताल को सहायता अनुदान

2857. डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरुक्षेत्र स्थित श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक कैंसर इंस्टीट्यूट को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है जिससे इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी ही बन्द होने वाला है ;

(ख) क्या सरकार ने वित्तीय सहायता देने पर विचार किया था जैसा कि इंस्टीट्यूट के निदेशक डा० के० कृष्ण ने अनुरोध किया था; और

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक कैंसर इंस्टीट्यूट तथा नई दिल्ली स्थित मूलचन्द अस्पताल को दस बिस्तरों वाला कैंसर वार्ड चालू करने के लिए पर्याप्त सहायतानुदान देने का आश्वासन दिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान कुरुक्षेत्र ने कैंसर में अनुसन्धान और उपचार करने के लिए सरकार को वित्तीय सहाय्ता का अनुरोध किया है ।

(ख) और (ग). यह बात अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा गठित की जाने वाली तकनीकी समिति द्वारा संस्थान की परियोजना के उपयुक्त पाये जाने और इस प्रयोजन के लिए धन उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी ।

सैकरिन के उपयोग पर रोक

2858. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में खाद्य पदार्थों में सैकरिन के उपयोग पर रोग लगाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर यह रोक किस सीमा तक लगायी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख). खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 अन्तर्गत कार्बोनिटेड जलों को छोड़कर खाद्य पदार्थों में सैकरिन के उपयोग पर पहले ही रोक लगी हुई है। कार्बोनिटेड जलों पर भी रोग लगाने के लिए कार्य-वाही की जा रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना को हुई क्षति और मालिकों के विरुद्ध बकाया पड़ी भविष्य निधि की राशि

2859. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योंजना को भारी क्षति उठानी पड़ी है और यदि हां, तो 31 मार्च, 1977 को क्षति की मात्रा कितनी थी ;

(ख) भविष्यनिधि, की राशि का बिलम्ब से भुगतान करने के लिए कितने मामलों में मालिकों पर जुर्माने की सजा को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी ने माफ कर दिया था ;

(ग) 31 मार्च, 1977 को मालिकों पर भविष्य निधि अंशदान की कुल कितनी धन राशि बकाया थी ; और

(घ) भविष्य निधि अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी है । उन मामलों में जहां नियोजक सांविधिक देय राशियों का समय पर भुगतान नहीं करते, बढ़ती हुई दर के अनुसार, जुर्माने किये जाते हैं । जुर्माने की अधिकतम सीमा 100 प्रतिशत तक है अर्थात बकाया राशि के बराबर है ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) 31 मार्च, 1977 को, छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों की ओर भविष्य निधि अंश-दानों की 18.27 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि बकाया थी ।

(घ) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 (भू राजस्व की बकाया राशि की तरह देय राशि की वसूली) और धारा 14, 14ए, 14एए (अभियोजन) के अधीन दोषी नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है इसके अतिरिक्त जहां नियोजक कर्मचारियों की मजदूरी से उनके हिस्से का भविष्य निधि अंशदान काटते हैं परन्तु उसे भविष्य निधि में जमा नहीं करवाते हैं, वहां प्राधिकारियों द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (विश्वास भंग और अपराधिक दुरुपयोग) की धारा 406, 409, के अधीन अभियोजन चलाये जाते हैं । दोषी नियोजकों को अच्छा व्यवहार कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन न्यायालयों की शरण ली जाती है ।

दिल्ली के अस्पतालों के डाक्टरों की सेवा में बहाली

2860. **श्री गंगाधर अप्पा बुराण्डे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मई, 1974 को श्रीमती इन्दिरा गांधी के मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार इर्विन अस्पताल के 11 डाक्टरों तथा लेडी हार्डिंग और विलिंगडन अस्पतालों के एक-एक डाक्टर, जो कि फेडेरेशन आफ जूनियर डाक्टर एसोसिएशन आफ दिल्ली के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य थे, की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सभी डाक्टरों को सेवा में बहाल कर दिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) 1974 में मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा अस्पताल की भूतपूर्व निदेशक प्रधानाचार्य डा० पदमावती के घुराव में सरगना होने तथा डा० एस० के० संधू पर प्रहार करने के कारण मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, विलिंगडन अस्पताल और इर्विन अस्पताल से सम्बन्धित 13 जूनियर डाक्टरों की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं अथवा उनमें से कुछेक स्नाकोत्तर छात्रों को दी गई शैक्षिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा वापस ले ली गई थीं ।

(ख) न्यायालय में इन डाक्टरों के विरुद्ध चल रहे मामलों को दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में वापस ले लिया गया है । जिन डाक्टरों की सेवायें समाप्त कर दी थीं उन्हें उनके अनुरोध करने पर सेवा में बहाल कर दिया जाएगा ।

Telephone Advisory Committee

2861. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number and the names of the members of the Telephone Advisory Committee in various States and Union Territories during the last three years ;

(b) when these Committees were constituted and their tenure ; and

(c) the criteria of nominating the members on these Committees ?

The Minister of Communications (Shri Brijlal Verma) : (a) In all, 87 Telephone Advisory Committees in States and 4 Telephone Adivisory Committees in Union Territories functioned during the last three years. Names of members on these T.A.Cs. are being collected and will be placed on the table of the House ;

(b) These Committees were constituted on different dates from June, 72 onwards with a normal tenure of two years.

(c) The person to serve as Member on a Telephone Advisory Commmittee should belong to and normally reside at the place at which the Committee functions. Nominations on Telephone Advisory Committees to represent State Administration, State Legislature and local Corporation/Civic body are made by these organisations. Nominations of Members of Parliament are obtained from the Department of Parliamentary Affairs. Regarding other interests, Heads of Telecom. Circles/Telephone Districts concerned call for recommendation from various association/organisations etc., representing the specified interests. For making the appointment, Government considers these names and other names received directly.

संचार व्यवस्था के लिये उपग्रह का उपयोग

2862. **डा० बापू कालदाते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्रुत संचार-व्यवस्था के लिये उपग्रह का उपयोग करने के लिए सरकार की योजनायें हैं ।

(ख) क्या इस बारे में उपग्रह का उपयोग किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) से (ग) भारत विदेशों से दूरसंचार सम्पर्क के लिए, हिन्द महासागर पर स्थित 'इन्टलसेट' उपग्रह का, पिछले छः वर्षों से भी अधिक समय से

उपयोग करता रहा है । उपग्रह के माध्यम से अब भारत संसार के 17 देशों के साथ सीधे सम्बन्धित है । इनके नाम हैं आस्ट्रेलिया, बेहरीन, बंगला देश, देबई, पूर्वी आफ्रिका, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इटली, जापान, कुवैत, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, स्पेन, थाईलैण्ड और ब्रिटेन । इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ भी उपग्रह के माध्यम से "थ्रु-पुटसर्किट" द्वारा संचार सम्पर्क साधा जाता है । इस व्यवस्था से बाहरी टेलीफोन परियात का 99 प्रतिशत टेलेक्स परियात का 95 प्रतिशत और तार परियात का 75 प्रतिशत अंश निपटाया जाता है । जहां तक घरेलू संचार व्यवस्था के लिए पृथ्वी की गति व दिशा से मेल खाने वाले स्थिर उपग्रह का सम्बन्ध है, प्रचालनीय प्रणाली अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना पर विचार हो रहा है ।

घरेलू संचार व्यवस्था के सिलसिले में प्रयोग करने के लिए आज कल भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और डाक-तार विभाग दोनों फ्रेंको-जर्मन सिम्फोनी उपग्रह का इस्तेमाल कर रहे हैं । आशा है यह प्रयोग, जो 1 जून, 1977 को आरम्भ हुआ है, 1979 के मध्य तक पूरा हो जायेगा । नीचे बताये क्षेत्रों में प्रयोग करने का प्रस्ताव है :—

(क) सुदूर क्षेत्र में संचार व्यवस्था ।

(ख) आपात स्थिति में संचार व्यवस्था ।

(ग) दूर दर्शन के साथ बहुप्रयोजनीय ध्वनि पारेषण ।

(घ) उपग्रह तक बहुप्रयोजनीय पहुंच ।

(ङ) ट्रंक टेलीफोन के तंत्र के साथ उपग्रह सेवा का एकीकरण ।

जनता स्वास्थ्य योजना को बीमा पालिसियों से जोड़ा जाना

2863. **डा० बापू कालदाते :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनता स्वास्थ्य योजना की बीमा पालिसी से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करन के लिए बीमा किश्त को बढ़ामा जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

व्यर्थ जाने वाले जनदिवसों की संख्या कम करने के लिए की गई कार्यवाही

2864. **डा० बापू कालदाते :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों में बेकार जाने वाले जनदिवसों की संख्या कम करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : केन्द्र तथा राज्यों दोनों के औद्योगिक संबंध तंत्र आवश्यकतानुसार वर्तमान सांविधिक उपबन्धों तथा स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत

अनौपचारिक मध्यस्थता, संसाधन न्यायानिर्णय या विवाचन द्वारा कामबंदियों को कमकरने के लिए प्रयास करते रहते हैं ।

2. सरकार इस विषय पर लगातार विचार कर रही है और देश मैं औद्योगिक वातावरण को सुधारने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं । सरकार देश में औद्योगिक संबंधों के बारे में एक व्यापक श्रम कानून बनाने के सबंध में भी विचार कर रही है और इस प्रयोजन के लिए सरकार शीघ्र ही एक त्रिपक्षीय समिति गठित कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट दो माह में दे दे । इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस विषय पर आवश्यक विधान बना सकेगी ।

Scientific Survey for Mineral Deposits

2866. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) when a survey of mineral deposits in the country, especially in all the districts of Bihar by latest scientific methods was conducted ;

(b) if so, the findings thereof ; and

(c) whether American land satellite 1 and 2 are most competent in conducting all kinds of surveys and if so, whether Government propose to get a survey conducted by them ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) The survey and exploration by GSI for locating mineral deposits is a continuous process in the country and these investigations, utilising latest techniques, have covered various parts of the country including Bihar.

(b) As a result of such surveys mineral deposits like coal, iron ore, magnanese, bauxite, chromite, limestone, basemetal ores, gold, tin ore etc. have been located in different ares of the country. The important mineral deposits found in Bihar are of coal, iron ore, manganese, bauxite, base metals, mica and limestone.

(c) American Satellites ERTS—A and B, renamed as Landsat 1 and 2 have the limited capability (Scale : 1,1,000,000 and resolution about 80 metres) for remote survelliance of the earth features from an altitude of about 900 kilometres in a near circular orbit. Some landsat 1&2 imageries covering Bihar and a few other places in the country have been procured by GSI and are being studied by them for multidisciplinary uses including mineral exploration.

डाक सुपरिटेंडेंट सेवा के पदों को विभागीय सेवाओं से भरा जाना

2867. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) कया डाक विभाग के डाक तथा रेलवे डाक सेवा के विगों पी० एस० एस० ग्रुप बी में पदों को डाकघर निरीक्षक तथा डाकघर सहायक सुपरिटेंडेंट संच तथा आई० आर० एम० एस० एवं० ए० एस० आर० एम० एस० संघों के सदस्यों में से चयन करके भरा जाता है ;

(ख) क्या ये चयन प्रति वर्ष किये जाते हैं, यदि हां, तो तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार 1975 में चुने गये 74 अधिारियों को उनके लिये बने पदों पर अभी तक नियुक्त क्यों नहीं किया गया है ; और

(ग) सरकार का पी० एस० एस० ग्रुप बी० के पदों पर पदोन्नति के लिये अग्रेतर चयन को अंतिम रूप कब तक देने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) डाकघर अधीक्षक सेवा ग्रुप 'बी' में पदोन्नति के लिए जो भर्ती के नियम हैं, उन के अनुसार 75 प्रतिशत रिक्त स्थान डाकघर निरीक्षकों और

डाक सेवा निरीक्षकों में से चयन के लिए और बाकी 25 प्रतिशत रिक्त स्थान एक विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में सिर्फ डाकघर निरीक्षक और रेल-डाक सेवा निरीक्षक बैठ सकते हैं।

(ख) और (ग) सामान्यतः चयन हर वर्ष किया जाता है बशर्ते कि रिक्त स्थान उपलब्ध हों। भर्ती के नियमों के अनुसार 75 प्रतिशत रिक्त स्थानों के लिए 1975 में डाकघर अधीक्षक सेवा ग्रुप 'बी' में भर्ती के लिए बनाई गई चयन सूची में शामिल 75 कर्मचारियों की अभी तक नियमित नियुक्ति नहीं की गई है क्योंकि बाकी 25 प्रतिशत रिक्त स्थान विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने के संबंध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा इस मसले पर अंतिम निर्णय लेने के बाद ही डाक अधीक्षक सेवा ग्रुप 'बी' में भर्ती के लिए आगे चुनाव किए जाएंगे।

ग्रुप 'बी' के डाकपालों का चयन

2868. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रुप 'बी' के डाकपालों के 90 प्रतिशत पदों के लिये चयन डाकघरों के निरीक्षकों तथा सहायक अधीक्षकों से किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 से चयन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ग्रुप 'ख' के पोस्ट मास्टरों के 90 प्रतिशत पदों में पदोन्नति और ग्रुप 'ख' की डाक अधीक्षक सेवा में पदोन्नति के लिये कर्मचारियों की पात्रता का आधार एक ही है। तीसरे वेतन आयोग ने डाक अधीक्षक सेवा ग्रुप 'ख' के 25 प्रतिशत रिक्त स्थानों की परीक्षा के द्वारा भरने की सिफारिश की थी। इस विरुद्ध सेवा संघों ने अभ्यावेदन किया है और यह मामला विचाराधीन है। क्योंकि दोनों सेवाओं में चयन दूसरे से संबंद्ध है, इसलिये ग्रुप 'ख' के पोस्ट मास्टरों का चयन अभी तक नहीं हो सका।

डाक सुपरिटेंडेंट सेवाओं के पदों का भरा जाना

2869. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से पी०एस०एस० ग्रुप 'बी' के 25 प्रतिशत पदों को भरने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक घर निरीक्षक तथा सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट संघ ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया था और तत्कालीन संचार मंत्री ने फरवरी 1976 में इस संघ के एक प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया था कि उक्त परीक्षा रद्द कर दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निणय किया है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): (क) तीसरे वेतन आयोग ने विभागीय परीक्षा के जरिये डाक अधीक्षक सेवा ग्रुप 'बी' की 25 प्रतिशत खाली जगहें भरने की सिफारिश की थी, पद भरने के लिये नहीं।

(ख) और (ग) डाकघर निरीक्षक और सहायक अधीक्षक संघ ने विभागीय परीक्षा आयोजित करने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था। तत्कालीन संचार मंत्री ने संघ को सूचित

किया था कि इस मसले को फिर से जांच की जायेगी और परीक्षा का आयोजन करना स्थगित कर दिया गया था। इस संपूर्ण मसले पर सरकार बड़ी तत्परता से विचार कर रही है ।

Setting up Hospitals in Rural Areas

2870. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the **Minister of Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are considering formulation of schemes for setting up new hospitals in rural areas, and

(b) if so, the details thereof ?

Minister for Health and Family Wealfare (Shri Raj Narain) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

औद्योगिक श्रमिकों और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस

2871. **डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक श्रमिकों तथा कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मस्तिष्क से श्रम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी बोनस देने पर विचार करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) बोनस का भुगतान बोनस सदाय अधिनियम 1965 के अनुसार किया जाता है । इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों में इसकी परिधि भी शामिल है, संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

Punishment to Doctors Administering Cholera Vaccines after Expiry Date

2872. **Shri Surender Bikram :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state ;

(a) The action to be taken against the firms which manufacture spurious and adulterated drugs,

(b) whether he is aware that such cholera vaccines were administred in Shahjahanpur, U.P. during the last month date of which had expired one year ago; and

(c) if so, the punishment awarded to guilty doctors who played with the lives ?

The Minister of Health and Welfare (Shri Raj Narain) :

(a) Manufacture of drugs is regulated under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Rules made there under. Manufacture of misbranded (spurious) or adulterated drugs is an offence under the Act. The penalty prescribed under the Act for manufacture and sale of spurious and adulterated drugs is imprisonment for a terms of not less than one year which may be extended to 10 years besides fine. The Court may however, for any special raeson to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

(b) &(c) The ormation is being collected and will be laid down on the Table of the Sabha.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

इस्पात और खनिज मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 2120 (हिन्दी तथा

[श्री बीजू पटनायक]

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 634/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बैंक के ड्राफ्ट की फोटो प्रति जिसके अनुसार श्री संजय गांधी के आदेश से श्रीमती मेनका गांधी को 25,000 के स्विस फ्रांक के भुगतान का रहस्योदघाटन

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री का ध्यान निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"दिनांक 6 जुलाई, 1977 के स्टेट्समेन में प्रकाशित केन्टोनल बैंक बर्न (स्विटजरलैंड) पर बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति जिसमें श्री संजय गांधी के आदेश में मेनका गांधी को 25,000 स्विज फ्रांक के भुगतान का रहस्योद्याटन किया गया है।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सरकार का ध्यान, 6 जुलाई 1977 के "दी स्टेट्समैन" के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित एक दस्तावेज की फोटो प्रतिलिपि की ओर आकर्षित किया गया है। उक्त फोटो प्रतिलिपि किसी ऐसे दस्तावेजों की प्रतीत होती है जिनका सम्बन्ध, श्री संजय गांधी के आदेश से बर्न के केन्टोनल बैंक द्वारा 29-6-1977 को मेनका गांधी के नाम जारी किये गये 25,000 स्विस फ्रांक के बैंक ड्राफ्ट से है। फोटो प्रतिलिपि के बारे में बताया गया है कि वह स्विटजरलैण्ड से किसी व्यक्ति द्वारा स्टेट्समैन को भेजी गई है।

भारत के रिजर्व बैंक से मालूम किया गया है कि श्री संजय गांधी अथवा श्रीमती मेनका गांधी में से किसी ने भी स्विटजरलैण्ड अथवा किसी अन्य देश के विदेशी बैंक में अपने खाते होंने की घोषणा नहीं की है।

फोटो कापी का नजरी निरीक्षण करने पर कुछ अनोखी बातों का पता चला है। ड्राफ्त 'संजय गांधी के आदेश से', "मेनका गांधी को अथवा उसके आदेश से देय" जारी किया गया प्रतीत होता है। यह दिलचस्प बात है कि संजय गांधी के मामले में 'गांधी' शब्द धांदी है और मेनका गांधी के मामले में गांधी। यह भी दिलचस्प बात है कि ड्राफ्ट बर्न में कन्टोनल बैंक द्वारा स्वयं अपने नाम जारी किया गया प्रतीत होता है। फोटो कापी के मध्य भाग में, जिस में नामे डाली गई कुल रकमें दिखायी गयी हैं, अंक 7 की दुरस्ती पर हस्ताक्षर भी नहीं है जो बैंक के दस्तावेजों के लिए असामान्य बात है। केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने भी जिनके साथ परामर्श किया गया है और जिन्होंने फोटो कापी की वैज्ञानिक यन्त्रों से जांच की है, कुछ शंकाएं उठायी है।

ऐसी परिस्थितियों में, सरकार दस्तावेज तथा लेन-देनों की प्रामाणिकता के बारे में, बर्न में कन्टोनल बैंक से सरकारी माध्यमों के जरिए पता लगा रही है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रख गये वक्तव्य के पैरा 3 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मंत्री जी ने पति तथा पत्नी के उपनाम के हिज्जों में त्रुटि ढूंढ़ ली है । हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में संजय गांधी ने उपनाम का ढंग यह अपना लिया हो । हमें जानकारी है कि हमारे देश के कई पारसी भाई अपना उपनाम घांधी ही लिखते हैं । यह कहना भी गलत है कि बैंक ने अपने ही नाम यह ड्राफ्ट जारी किया है । ऐसी नहीं है । यह तो खाता रखने वाले ने पैसा लेने वाले के नाम ड्राफ्ट जारी किया है । दोनों के ही बैंक में खाते हैं और उनका बैंक एक ही है । श्री संजय गांधी ने श्रीमती मेनका गांधी के नाम ड्राफ्ट हस्तांतरण किया है ।

फोटो प्रति में 7 के अंक में कोई शुद्धि नहीं की गई है । वह तो बिल्कुल ठीक है । हो सकता है क्लर्क ने लिखा ही ऐसा हो । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जांच कर रही है और क्या इस दौरान सरकार 'स्टेट्स्मैन' की सहायता लेगी और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री संजय गांधी और उनकी पत्नी के विदेशों में बैंक खाते हैं जो रिजर्व बैंक को नहीं बताये गये हैं तो क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि फोटो प्रति पर उल्लिखित तिथि 29 जून है और श्री संजय गांधी तथा उनकी पत्नी उसी तारीख को बम्बई गये थे, क्या इस बात में कोई दिलचस्प संयोग है ? क्या सरकार को अपने साधनों से या गुप्तचर विभाग को कोई जानकारी है कि क्या ये दोनों अथवा श्रीमती गांधी साक्ष्य समेत भारत में बाहर भागने की तैयारी कर रहो थीं और क्या इसीलिए श्रीमती गांधी का पारपत्र जब्त किया गया था ? क्या सरकार इस बारे में कोई वक्तव्य देगी ?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक । मेरें विचार से अभी कोई जानकारी नहीं ।

श्री एच० एम० पटेल : सदस्य महोदय ने मेरे से कोई विशेष बात का उत्तर नहीं पूछा है । केवल नाम के हिज्जों के बारे में बताया है । (. . . **व्यवधान**)

मैंने तो दस्तावेज में कुछ त्रुटियों के बारे में बताया है । हिज्जों में फर्क अजीब सा लगता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : पत्नी पति का नाम अपनाती है । इसलिए एक ही तरह का नाम होना चाहिये ।

श्री एच० एम० पटेल : यह बैंक ड्राफ्ट के अन्तरण का मामला है या उसने स्वयं अपने नाम जारी किया है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता । पर जो दस्तावेज मिला है उसमें कुछ सन्देह उत्पन्न हो गये हैं । अतः कार्यवाही करने से पहले हमें उसकी सत्यता सिद्ध करनी है ।

अब वह कहते हैं कि यह विदेशी बैंक है और विदेशी बैंक में खाता है और यदि रिजर्व बैंक में इसकी सूचना नहीं दी गई तो क्या सरकार कार्यावाही करेगी । निःसन्देह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाई की जायेगी ।

उन्होंने कोफेपोसा का भी उल्लेख किया है । वह इस विषय पर लागू नहीं होता । (. . . **व्यवधान**)

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने कोफेपोसा के अधीन कार्यवाही के लिए नहीं कहा है । मेरा प्रश्न था कि क्या श्री संजय गांधी और उनकी पत्नी के 1 जुलाई, को बाहर भाग जाने का डर था जबकि उन्हें हवाई अड्डे पर रोका गया और श्रीमती मेनका गांधी का पारपत्र जब्त कर लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कोई जानकारी नहीं ।

Sh. Yagya Datt Sharma (Gurdaspur) : Sir, the position is very clear but he is trying to side track the issue by jugglery of language. A grave crime is being shielded. Rupees sixty lakhs were withdrawn from the Parliament Street Branch of the State Bank, Nagarvala was killed. So I want an assurance from the Prime Minister that crime will not go unpunished. Will an enquiry be conducted into all this ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई गलत कार्य किया ग या है तो तब तक जांच की जायेगी जब तक गलती सिद्ध न हो जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने आप को एक तार भी भेजा था । मुझे अफसोस है कि श्री पटेल ने सभा को पूरी जानकारी नहीं दी है ।

स्टेट्समैन के सम्पादक श्री निहाल सिंह वास्तव में बधाई के पात्र हैं जिन्होंने उन काले दिनों में डटकर लड़ाई लड़ी थी । क्या आप भूल सकते हैं कि श्री संजय गांधी के विरुद्ध बहुत से दांडिक मामले हैं जिनके लिए उसने अग्रिम जमानत पहले ही ले रखी है । जब बैंक में कोई खाता खोला जाता है तो वहां उपनाम भी लिखना होता है । श्री संजय गांधी ने घांध्री उपनाम जोड़ लिया और मेनका ने माने गांधी । इसलिए श्री पटेल के कथन में कोई व न नहीं ।

आरोप यह है कि वे देश से बाहर भाग रहे थे । मुझे बताया जाये कि श्रीमती मेनका गांधी का पारपत्र क्यों जब्त किया गया ? नेहरू परिवार को प्रकाशित पुस्तकों पर जो रायल्टी मिलती है उसे भी पूरे का पूरा भारत नहीं लाया गया । श्री संजय गांधी ने स्वीडन की एक फर्म वाइगन एअरक्राफ्ट (वायुयान) से भी 1 करोड़ रुपया लिया था 100 करोड़ रुपये की एअर बसें खरीदने के मामले में घोटाले करने में बड़े मंत्रियों की क्या भूमिका रही है यह भी सभी जानते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप विदेशों में खातों के बारे में कह सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस परिवार के विदेशों में खाते हैं और मैं इस बात को सिद्ध कर रहा हूं ताकि सरकार उस जानकारी का लाभ उठा सके । डेमाग कम्पनी के मामले में जरमन दूतावास और सी० बी० आई० तथा स्वयं उस कम्पनी ने सरकार से सहयोग करने का आश्वासन दिया है । दो दिन पहले इस मामले का पता चला था । अब तक क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई । बैंक में जो नमूने के हस्ताक्षर रखे जाते हैं उनसे इस ड्राफ्ट के हस्ताक्षरों का मिलान क्यों नहीं किया गया । यह विदेशी चेक है । यह अन्तरित दस्तावेज के रुप में या सीधे काउंटर पर भुनाया जा सकता है ।

मुझे यह भी बताया जाये कि क्या स्विस बैंक के कानून में कोई संशोधन किया गया है जिससे वह विदेशी खातों की जांच कर सकता है । क्या इस अपराधी परिवार के विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्यवाही की जायेगी जिससे अन्य लोगों को सबक हासिल हो सके ।

श्री एच० एम० पटेल : खेद है कि मुझे पारपत्र जब्त करने के बारे में कोई जानकारी नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम चार बजे तक प्रतीक्षा कर सकते हैं मंत्री जी इस समय तक जानकारी एकत्र कर लें । उनका उत्तर संतोषजनक नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर भाषण देने लगते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने पारपत्र के बारे में जो प्रश्न पूछा था, श्री बसु ने उसे दोबारा पूछा है फिर भी मंत्री जी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। अनुपूरक प्रश्नों के बारे में प्रत्येक मंत्री को जानकारी एकत्र करनी होती है और सभा में उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आप गृह मंत्री जी को 2 से चार बजे के बीच बुला कर उत्तर दिलवायें।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं कि वह जिसे चाहे बुला ले। आप पहले नियमों में परिवर्तन कराइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सदैव ही गृहीत किया जाता है। अतः यदि मंत्री जी या उनके विभाग को कोई जानकारी नहीं छुपानी चाहिये। वह तो सभा के हित का संरक्षण करते हैं। यदि मेरा प्रश्न संगत नहीं या ध्यानाकर्षण की परिधि में नहीं आता तो मैं बैठ जाता हूं। लेकिन यह बड़ा संगत प्रश्न है।

यदि मंत्री महोदय इस समय उत्तर नहीं दे सकते तो वह 4 बजे उत्तर दे दें।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है। परन्तु इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 389 के अनुसार सभी उन मामलों के बारे में जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है के बारे में शक्तियां अध्यक्ष महोदय में निहित हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाना सरल है परन्तु सभा की कार्यवाही को व्यवस्थित बनाना कठिन कार्य है।

श्री एच० एम० पटेल : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया है :

> "6 जुलाई, 1977 के 'स्टेट्सगेन' में प्रकाशित केन्टोनल बैंक, बर्न (स्विटज़रलैंड) पर बैंक ड्राफ्ट की फोटो, जिसमें श्री संजय गांधी के आदेश से श्रीमती मेनका गांधी को 25,000 स्विस फ्रांक के भुगतान का रहस्योद्घाटन किया गया है की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलायेंगे।"

इस बारे में जो अनुपूरक प्रश्न पूछ गये हैं मैंने उनका अध्ययन किया है। श्रीमती मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर दिया गया है। यदि आप उसके कारण पूछते हैं तो यह निश्चय ही उससे उत्पन्न नहीं होते।

दूसरे प्रश्न के बारे में मैं बता सकता हूं कि यह एक बैंक ड्राफ्ट है और चैक नहीं। अतएव हस्ताक्षरों की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मंत्री महोदय ने दो हस्ताक्षरों की ओर ध्यान नहीं दिया। चैक के अन्त में भी एक हस्ताक्षर हैं। (... **व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बारी बारी से बोलिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हस्ताक्षरों के बारे में मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया। (... **व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बैंक ड्राफ्ट शब्द लिखा गया है। उस पर विदेशी बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, श्री संजय गांधी के नहीं। (...**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा उत्तर देने दें।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व): इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। (...**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। पर्याप्त समय देते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना गयी थी। (...**व्यवधान**)

अयक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं आज सभा को स्थगित कर दूं। यदि शासक दल और मंत्री ही परस्पर वाद-विवाद करते हैं तो हम कार्य कैसे कर सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The hon. Minister should have given an elaborate and detailed reply. The news regarding impounding of passport of Shrimati Menka Gandhi was published in the Press. The hon. Minister has said 'on a visual inspection of the photostat, certain odd fearures had been observed'.

During the emergency the purchases used to be made by high officials and the caucus of Shri Sanjay Gandhi. The commission used to be credited to the accounts of these officials and Shri Sanjay Gandhi. According to C.B.I. reports these people have crores of rupees credited in their Accounts in foreign banks. The details of their accounts should be obtained.

श्री एच० एम० पटेल : इस बारे में बहुत सी बातें उठाई गई हैं जो कि मुख्य प्रश्न से पैदा नहीं होतीं। यदि माननीय सदस्य और जानकारी चाहते हैं तो वह उपलब्ध कराई जा सकती है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप इस प्रकार उत्तर देने से बच नहीं सकते। यह साझा उत्तरदायित्व है। (...**व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल : मेरा मतलब था कि सम्भव है कि यह संगत न हो।

श्री फूल चन्द वर्मा : * * * *

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री एच० एम० पटेल : जो और जानकारी माननीय सदस्य ने मांगी है वह मेरे पास नहीं है। मैं उसे प्राप्त करूंगा। (...**व्यवधान**)

हम वास्तव में स्विस सरकार से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्विस सरकार इस मामले में जानकारी लेने-देने में सहमत नहीं हुई है।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या हम इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठा सकते ? (...**व्यवधान**) क्या मंत्री जी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से सम्पर्क स्थापित करेंगे ताकि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग गैर-सरकारी कम्पनियों से जांच करे जिनसे कि सरकार ने खरीद की है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded as ordered by the Chair.

श्री एच० एम० पटेल : मैंने इस दस्तावेज के बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से विचार-विमर्श किया है. . (व्यवधान) और जो भी जांच की जानी है वह की जा रही है। यदि सदस्य किसी और मामले पर जानकारी चाहते हों तो मैं जानकारी एकत्र करूंगा . . . . (व्यवधान)

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : सरकार ने जिस ढंग से हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना की उपेक्षा की है, वह हमारे लिए परेशानी की बात है। आज तक सरकार ने इस मामले में जो कुछ किया है, उससे हमें अवगत कराया जाना चाहिए था। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है. . . (व्यवधान) श्री और श्रीमती गांधी के पासपोर्ट को जब्त करने का इस मामले से सम्बन्ध है। अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में पुरी जानकारी सभा पटल पर रखें।

श्री एच० एम० पटेल : उत्तर देने के लिए जितनी जानकारी की आवश्यकता थी वह मैंने एकत्रित की है। इस सम्बन्ध में मैंने यथासंभव प्रयास किया है। श्री संजय गांधी या उनकी पत्नी को बुलाना इस समय उचित नहीं समझा गया है। हमने जांच की है कि क्या श्री संजय गांधी ने रिजर्व बैंक को बताया है कि उनका विदेशी बैंक में खाता है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उन्होंने रिजर्व बैंक को इस तरह की कोई बात नहीं बताई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उनका विदेशी बैंक में खाता है तो फिर यह उन्होंने अपराध किया है और इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। हमने अपने दूतावास के माध्यम से भी यह जानने का प्रयास किया है किन्तु वहां से अभी कोई उत्तर नहीं मिला है। अतः मेरे से जितना संभव हो सका है, मैंने इस मामले में पूरी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की है और उसे मैंने सभा के समक्ष रख दिया है। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, चाहे वे संगत हों या असंगत, मैं उनके बारे में में भी जानकारी एकत्र करूंगा। क्योंकि सदस्यगण इस मामले के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि ज्योंही जांच पूरी हो जायेगी वह, सभा में इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे . . . (व्यवधान)

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम) : एक गैर-सरकारी प्रकाशन फर्म ने अपने प्रकाशन के लिए रेल मंत्रालय की लेखन सामग्री, स्टाम्प तथा रेल कर्मचारियों का प्रयोग किया है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे समुचित ढंग से लिखित रूप में भेजें। आपने तो कहा कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। किन्तु आपने कुछ और ही बात उठा दी है।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTING OF THE HOUSE

पहला प्रतिवेदन

श्री गौडे मूराहरी (विजयवाड़ा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन पेश करता हूं।

अनुदानों की मांगें, 1977-78--जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78—contd.

पेट्रोलियम मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय--जारी

Shri Dharamsinhbhai Patel (Porbandar) **:** About 80 per cent of our farmers can not use fertilizers due to their prohibitive prices. The prices of urea and amonium sulphate have shot up very high during the last five years. Keeping in view the interest of farmers, Government should make every effort to bring down their prices.

We produce only one third of our requirement of petrol and Crude oil and we have to import about two third of our requirement. Special attention should be paid to this matter to reduce our import of petrol and)crude oil. We should try to become self-sufficient in oil at the earliest or within a period of ten years.

The production capacity of Kobyali refinery is 43 lakhs tonnes of oil and it is proposed to raise it to 73 lakhs of tonnes. Government should state as to when we will be in a position to raise that much production.

The head office of Oil and Natural Gas Commission is located at Dehradun where there is neither oil nor gas. It should be shifted to the State of Gujarat or Maharashtra.

An assurance had been given that half of the gas that will be available from Bombay High will be given to Gujarat. It is hoped that this assurance will be fulfilled.

The price of petrol has gone up by 600 per cent during the last twenty years but the Commission of the petroleum dealers has remained the same. The petroleum dealers in the country include ex-servicemen, war widows, disabled persons and unemployed graduates. Therefore, steps sohuld be taken to increse the petroleum dealers commission from Rs. 41 to Rs. 100 per 1000 litres of petrol and from Rs. 70 to Rs. 75 in the case of diesel oil. The Federation of All India Petrol Traders had submitted a long memorandum to the Petroleum Minister in April, 1977. The Minister should state as to what action is proposed to be taken on it.

It would be better if dealers' commission is increased to Rs. 100/- per 1000 litres of petrol and Rs. 75/- per 1000 litres of diesel oil.

The Federation of All India Petrol Dealers has submitted a very long memorandum to the Petroleum Minister when they met him on 8th April 1977. I would like to know from the hon. Minister the action proposed to be taken in regard thereto.

Indane Gas connections are given in towns and cities only. The rural areas are still deprived of this facility. I want to know the reasons behind this ? Gas connections should be given in the rural areas through Taluka Cooperative Societies.

The prices of fertilisers should be reduced. Gujarat Government should be given a royalty of Rs. 110/- per tonne on crude oil. The crude oil should be supplied to farmers at cheaper rates by granting them subsidy. The work on Mathura pipeline should be expedited and completed as early as possible.

Production capacity of coal should be increased. The Central Office of O.N.G.C. should be transferred from Dehradun to Gujarat.

I would like to request the hon. Minister to accept my above demands.

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुन्दपुरम): वर्ष 1976-77 के दौरान श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए मैं मंत्री महोदय श्री बहुगुणा तथा पेट्रोलियम, उर्वरक और रसायन मंत्रालय को बधाई देता हूं।

पैट्रोलियम के मामले में हम अभी नये हैं। किन्तु परिष्करण अथवा तेलशोधन के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं। यह हमारी योजना का परिणाम है। तेल निकालने के मामले में भी हमने अत्यधिक अथवा सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त कर ली है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमारे कारखानों में 2 करोड़ 40 लाख टन कच्चा तेल परिशोधित किया जाता है। इसमें से 88 लाख टन तेल का उत्पादन हमारे देश में ही होता है। नई खोजों और कच्चे तेल की नई उपलब्धता के कारण 1981 तक हमारी तेल शोधनशालाओं की आवश्यकता 3 करोड़ 10 लाख टन तक बढ़ जायेगी किन्तु इस अतिरिक्त उत्पादन के बावजूद भी 1981 में हमें 1 करोड़ 30 लाख टन तेल की कमी का सामना करना पड़ेगा। पैट्रोलियम तेल अथवा ईंधन के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक कोयला उत्पादन का सम्बन्ध है हमारे देश का विश्व के कोयला उत्पादन करने वाले देशों में आठवां स्थान प्राप्त है। हमारे कोयले के रक्षित भंडारों में 1250 करोड़ टन कोयला है। पैट्रोलियम के साथ साथ हमें कोयला क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी नीति बनानी चाहिए।

हमारी तेल शोधनशालायें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। ये तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में विशेषता प्राप्त कर रही है। इनकी क्षमता बढ़ रही है लेकिन विस्तार के मामले में कोचीन तेलशोधन कारखाना अभी पिछड़ा हुआ है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

केरल में काफी समय से कोचीन तेल शोधक कारखाने के निकट एक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना करने की मांग की जा रही है लेकिन इस मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भूकम्प विज्ञान सर्वेक्षण ने सिद्ध कर दिया है कि केरल तटवर्ती क्षेत्र और कावेरी के 'बेसिन' में पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना करने की सम्भावना बहुत अच्छी हैं। मंत्री महोदय को एक विस्तृत कार्यक्रम बनाना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि पेट्रोलियम और ऊर्जा के मामले में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उर्वरकों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र निगमित एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों ने सराहनीय कार्य किया है। 1976-77 में नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन 7.7 लाख टन बढ़ा है। यद्यपि आयात अभी भी जारी है फिर भी हमने आयात प्रतिस्थापन के रूप में 110 करोड़ रुपये की बचत की है। लेकिन भविष्य की ओर देखने से ज्ञात होता है कि आगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान योजना समुचित नहीं है। अनेक प्रस्तावित उर्वरक कारखाने अभी तक नहीं बने हैं।

उर्वरक संयंत्रों की सम्भरण सामग्री की जांच करने का अब सुअवसर आ गया है। यही अत्यावश्यक आधारभूत सामग्री हैं। यदि नेप्था के मूल्यों पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन लागत बहुत अधिक बढ़ जायेगी। साथ ही हमारे पास कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम कोयले का अधिकाधिक उपयोग कर निश्चय ही बड़ी परियोजनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं।

अलवई का उर्वरक और रसायन एकक सरकारी क्षेत्र का ऐसा एकमात्र एकक है जिसमें 1975-76 और 1976-77 के दौरान उत्पादन में कमी आई है। यह एक पुराना संयंत्र है और इसकी दशा बहुत खराब हैं। इसीलिए उत्पादों की विविधता के बारे में एक प्रस्ताव किया गया था। कई प्रकार से उर्वरकों का उत्पादन आरम्भ किया गया।

गत वर्ष इस संयंत्र को 12.5 करोड़ रुपये की हानि हुई। उद्योगमंडल एकक में उर्वरकों के स्थान पर विभिन्न रसायनों पर अधिक बल दिया जाना जाहिए। अतः मंत्रालय को यह सुनिश्चित

[श्री ए० सी० जार्ज]

करना चाहिए कि उद्योगमंडल एकक के उत्पादों के विविधीकरण के सम्बन्ध में दिए गए प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही की जाये, क्योंकि 30 वर्ष के बाद नये उत्पादन करने होंगे और नई मशीनें लगानी होंगी।

'फिडो' कारखाने का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है। इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है।

हमें अब एक दीर्घ कालिक योजना बनानी चाहिए। आयोजना में उर्वरकों के उत्पादन के मामलों में एक जोनवार बटवारा किया जाना चाहिए। बंटवारा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर युक्तिसंगत होना चाहिए।

जहां तक इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड का सम्बन्ध है, यह भ्रष्टाचा रका अड्डा बना हुआ है। कच्चा माल इसी कम्पनी या कारखाने के द्वारा दिया जाता है। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अधिक प्राथमिकता देता है और छोटे उद्योगों को उभरने ही नहीं देता है। उनका कहना है कि वे छोटे उद्योगपतियों को पिछले वर्ष के समान ही आवंटन करेंगे। इस तरह छोटे उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिए और यह समीक्षा करनी चाहिए कि क्या वर्तमान संदर्भ में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल लिमिटेड के द्वारा कच्चा माल दिया जाना आवश्यक है। उन्हें अनावश्यक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उसे किसी संगठन को प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। यह उद्योग निर्माता एकक है। इसे अनावश्यक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इससे इसमें भ्र टाचार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय सदन को विश्वास में लेंगे और अपने भावी कार्यक्रमों के बारे में एक श्वेतपत्र पेश करेंगे।

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) **:** The report of the Ministry of Chemicals and Fertilizers has highlighted the progress made during the last few years in the field of oil exploration and production of chemical fertilizers,but there is no mention of steps proposed to be taken by the Government in future. Keeping in view the present position, it cannot be said we have attained self-sufficiency in the matter of chemical fertilizers because we are still importing nitrogen or phosphate in large quantities. The Minister should state what steps are proposed to be taken to increase the production of fertilizers in the country.

The production of chemical fertilizers in the country is so inadequate that we are unable to meet our present requirements. The farmers are unable to use these fertilizers due to their non-availability and prohibitive prices. The Minister should take steps to reduce their prices. I learn that a Committee has been set up to review the price policy. I would like to know the progress made in this regard?

There is an urgent need to improve the functioning of the Fertilizer Corporation of India, because it is undergoing heavy losses for the last few years. I understand that Government is going to take over the unproductive unit and consolidate them into four companies. Government should reconsider this question as to how far it would be practicable and profitable.

So far as the question of setting up of a new factory is concerned I do not understand why the construction work of Korba Factory in Madhya Pradesh was suspended while the work in regard to Calcher and Ramagundam factories is going on despite the fact that their feasibility reports were received together. The Minister should state the present position in regard thereto.

Letters of intent were issued to some factories for their expansion. But it is not known whether the expansion of these factories have been done. Some of the factories have applied for letters of intent but they have been refused. This should be reconsidered.

We have not attained self-sufficiency in the field of oil so far. We still propose to import crude oil from Arab countries in 1977-78 to the tune of 1·1 metric tonnes. In this way we are

spending heavy amount of foreign exchange. If we are in a position to produce it in our country we will be saving a lot of foreign exchange. We should utilise all of our oil resources and explore oil to the maximum capacity we are able.

So far as the question of utilisation of oil produced from Bombay High is concerned, there is a dispute between Maharashtra and Gujarat. Efforts should be made to settle this dispute in regard to the distribution of oil that would be available from Bombay High.

I intend to draw the attention of the Minister to the drug industry. The recommendations of the Hathi Committee about drug industry have not been implemented so far. The Hathi Committee had submitted its report long ago. The Hindustan Antibiotics is running in loss. Steps should be taken to prevent the losses and make it a viable unit.

There are several companies which are indulging in the misuse of their import licences only to make huge profits at the cost of the country's interest. This is a very serious matter and an enquiry in such cases is essential.

The State Trading Corporation of India is charging very high prices. The Minister should devise measures to see that State Trading Corporation does not quote high rates.

In a report published in a newspaper it has been said that the international price for chloram phenicol is Rs. 230/-per kg.and for tetracyline is Rs. 215/-but the price at which S.T.C. releases are Rs. 550/- and Rs. 650/- respectively. It shows that the S.T.C. is selling these medicines at more than the double price. The minister should ensure that S.T.C. does not charge such high prices for thse medicines. The poor people in our country do not get life saving drugs and essential medicines at reasonable prices. I hope the Minister would take effective steps to reduce the prices of such drugs. Multinational drug companies should be controlled and there should be drastic cut in their profits.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There has been a serious scandal in the matter of favouring a particular firm in giving a contract. for supplying machinery. This matter requires a thorough probe because grave irregularities have been committed and favouritism has been shown to that firm. I would urge upon the minister to look into the whole case. Those found guilty must be brought to book.

Most of our fertilizer factories are running below capacity and accumulating heavy losses year after year. In order to see that production of fertilizer is increasing and made available to our agriculturists at cheaper price. Government must ensure that the fetiilizer factories work to their maximum capacity. Efforts must be made to run those factories on profit.

The F.C.I. has spent huge amount on furnishing its offices and guest houses. Huge public money has been wasted in these avoidable items. Vigilence Commission and C.B.I. have submitted their reports in respect of this Corporation. I would like to know what action has been taken by Government on these reports. I would suggest that a Parliamentary Committee be appointed to go into the affairs of this Corporation and suggest measures for improvement.

Efforts should be made to see that small and marginal farmers get fertilizers at a cheaper price.

As regards drugs we had imported worth Rs. 40 crores in 1975-76. Multinational companies manufacturing drugs in this country are reaping fabulous profits. I would therefore suggest the all multinational drugs companies must be nationalized and ceiling should be fixed on the profits of Indian drug manufacturing Companies also. Every effort must be made to make medicines available to our people at a cheaper price.

The Patent law as it stand at present encourages monopoly. It must be modified with view to eliminate monopolies. Together with that efforts should be made to manufacture Ayurvedic drugs in our public sector companies.

We have been spending fantastic amount on import of petroleum products. With a view to meet the growing needs of petroleum products, every effort must be made to achieve self-sufficiency in the matter of oil. Steps should be taken to reduce prices of petrol and allied products. We must also try to find out a substitute for petrol so that valuable foreign exchange can be saved.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : हमें अपने देश को तेल के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाना चाहिए ताकि तेल उत्पादक देश हमारा शोषण न कर सकें। हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए, जिस

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

से तेल का उत्पादन बढ़ सके। उर्वरकों के मामले में द्विभाजन हो रहा है। सभी कारखानों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करके ही हम उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किन्तु उसकी समस्या तो वितरण तथा विपणन की है। उर्वरकों के वितरण और विक्रय के बारे में बहुत सी शिकायतें आई हैं। इनके मूल्य बढ़ गए हैं और चोर बाजारी बहुत हो रही है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उर्वरकों के उत्पादन और विक्रय में उचित तालमेल रहे और किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध हो।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां संजीवनी औषधियों के भी बहुत मूल्य ले रही है और भारी मात्रा में मुनाफा कमा रही हैं। इसलिए हाथी आयोग इस मामले की जांच के लिए बिठाया गया था। उसने बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की है, किन्तु उन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि ये सिफारिशें यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित की जायें। इनमें से एक सिफारिश यह है कि औषधि का वास्तविक नाम रखा जाये न कि उसका ब्रांड नाम। अतः जहां तक सम्भव हो सके औषधियों के वास्तविक नाम ही रखे जायें और औषधियों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध किया जाये तथा उत्पादक सीमान्त लाभ ही कमायें।

हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स, पिम्परी और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड में आरम्भिक कठिनाइयों के बावजूद बहुत प्रगति हुई है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जांच क्यों नहीं कराई जाये। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान आरम्भ हुई दि बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड की स्थिति बहुत खराब है। इसके प्रबन्धकों ने सरकारी वित्तीय संस्थानों और बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लिया है और वह सारा धन बेकार जा रहा है। अतः सरकार को यह कम्पनी अपने अधिकार में ले लेनी चाहिए। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

भारत रिफाइनरी लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवा शर्तें देश के सभी भागों और क्षेत्रों में एक जैसी होनी चाहिए। इस कम्पनी के पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों के कार्यालयों में सेवा की शर्तों में व्याप्त असमानता दूर की जानी चाहिए। गैर-सरकारी कारखाने आई०डी०पी० एल० के कर्मचारियों को अधिक वेतन का लालच देकर उन्हें यहां से हटाना चाहते हैं। सरकार को श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के धैर्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। उनके वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं दूसरे सरकारी क्षेत्र के कारखानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के सामने किए जाने चाहिए।

Shri Shiv Narain Sarsonia (Karol Bagh) **:** The working of the Fertilizer Corporation of India is far from satisfactory. Two of its units *viz.* Durgapur and Sindri have never made any profits. On the other hand heavy losses have been accumulating year after year. The overhead expenditure is very high, administration is top heavy and mal-practices are rampant in the Corporation. Only recently the head office of the Corporation has been shifted to Nehru Place in South Delhi. More than one crore of rupees have been spend on renovation only. Earlier also much bungling has been done in the matter of taking on rent private accommodation for its head office in New Delhi. In fact the expenditure on rent of the head office has multiplied many times during the last few years. There have been complaints of misappropiration of funds. Huge amounts have been spent on recreation alone. I would therefore urge upon the Minister to look into the affairs of the Corporation and take immediate steps to improve its working.

No purpose would be served by dividing the Corporation into four units. On the other hand it would increase financial burden on the corporation. As regards Indian oil Corporation, the salaries of high executives are very high. The Directors there are receiving fabulous salaries and perks. They are charging huge amounts as travelling allowance and daily allowance etc. This puts a heavy burden on the Corporation. Government must take steps to stop this heavy drain on the public exchequer because so long as these things continue, the products manufactured by the Corporation can not be available at cheaper rates.

It must be ensured that the quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Indian Oil Corporation, specially in higher posts i fulfilled... Efforts must be made to see that unnecessary expenditure is curtailed and its working streamlined.

श्री यशवंत बोरोले (जलगांव) : हाथी आयोग ने सिफारिश की है कि औषधि निर्माता में विदेशी साम्य पूंजी घटाकर 26 प्रतिशत की जानी चाहिए। किन्तु यह सिफारिश कार्यान्वित नहीं की गई है ? इसके फलस्वरूप फाइजर, ग्लेक्सो, एस० के० एफ०, में एंड बेकर, ऐब्टस तथा अनेक दूसरी कम्पनियों ने अपनी सुरक्षित निधि पूंजी में परिवर्तन कर लिया है। 25 कम्पनियों में से 17 कम्पनियों ने 141.1 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत धन में परिवर्तित कर ली है अर्थात् उन्होंने अपना 6.9 प्रतिशत प्रसार कर लिया है। इन कम्पनियों की आरम्भिक पूंजी केवल 5 करोड़ रुपये में थी लेकिन अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 298 करोड़ रुपये कर ली है। ग्लेक्सों ने 1.5 लाख की पूंजी से अपना कार्य आरम्भ किया था। आज उसकी परिसम्पति 32 करोड़ रुपये की है। इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को जो लाभ हुआ है, वह अनुमति पत्रों को लाइसेंसों और मूल्य नीति द्वारा हुआ है। जब तक उच्चतम स्तर पर सांठ-गांठ न हो, इन कम्पनियों को इतना अधिक लाभ नहीं हो सकता। यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिसकी मंत्री महोदय को जांच करनी चाहिए।

आई० डी० पी० एल० ने इटालियन होल्डिंग कम्पनी मैसर्स फार्माफिन के साथ ठेका किया था। यह समाचार "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है। सरकार ने विशेषकर आई० डी० पी एल० को एक पत्र लिखा था कि इस इटालियन कम्पनी से कोई ठेका न किया जाये। इसके बावजूद भी 6–12–76 को यह ठेका किया गया। यह एक गंभीर मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, हमने इस मामले में बड़ीं सराहनीय प्रगति की है। हमें उर्वरकों का उत्पादन शीघ्रतिशीघ्र दुगना करना चाहिए। खाद्य स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसा करना परमावश्यक है। हमारा उर्वरकों का जो उत्पादन आज हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि समय बीतते इसकी मांग में और वृद्धि होगी।

विदेशी प्रौद्योगिकी से उर्वरकों का केन्द्रीयकृत संकेन्द्रित उत्पादन पर्याप्त नहीं होगा। इस उर्वरक का मिट्टी पर खराब प्रभाव पड़ता है। हमें जैविक खाद और स्थानीय खाद का प्रयोग करना चाहिए। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जैविक खाद का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए।

यद्यपि योजना आयोग ने उर्वरकों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरक तैयार करने के दो संयंत्र खोलने की सिफारिश की है लेकिन हमें अपना परिप्रेक्ष्य बदलना चाहिए। ऐसे असंख्य उत्पाद भारत में ही तैयार किए जा सकते हैं, जिनसे देशी उर्वरक बनाए जा सकते हैं।

बंगलौर स्थित भारतीय वैज्ञानिक संस्थान के प्रो० ए० के० एन० रेड्डी ने एक बार देशी जीव उर्वरक का आविष्कार किया था। इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। एक जीव गैस संयंत्र भी वहां बनाया गया था। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी इस दिशा में कुछ कार्य किया है। ब्रिटेन में ससेक्स विश्वविद्यालय में एक अन्य आविष्कार किया गया था। इन सभी वस्तुओं का अपने देश में उपयोग करने हेतु इनकी जांच की जानी चाहिए।

एक अन्य अनुसंधान पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसे "बंडर कैमिकल" के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा० एम० एस० स्वामिनाथन ने इस के मूल्य का निर्धारण किया है।

[श्री यशवंत बोरोले]

नाभा, भंटिडा और मंडी में मलजल योजनाएं बनाई गई हैं। ऐसे संयंत्र समूचे देश में लगाए जाने चाहिए। जीव उर्वरकों की सम्भावना पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : देश में कुपोषण और भुखमरी के कारण लोगों की ऊर्जा, ओजस्विता और स्वास्थ्य ही खराब हो गया है। चिरकालीन बीमारियां तथा बाल मृत्यु दर में वृद्धि हो गई है। औषधियां अपरिहार्य बुराई हो गई है। हमें स्थिति का सामना करना चाहिए। लेकिन जहां तक औषध उद्योग का सम्बन्ध है, दुर्भाग्यवश सरकारी क्षेत्र में भी यह भावना पैदा हो गई है कि इसे लाभ कमाने वाला उद्योग मानना चाहिए। बहुराष्ट्रवादी उद्योग देश का शोषण कर रहे हैं।

वास्तविक स्थापित क्षमता को देखते हुए वास्तविक उत्पादन में गिरावट आई है। इसका परिणाम यह है कि हमें आयात करना पड़ा। प्रत्येक महत्वपूर्ण औषधि के लिए कच्चा माल विदेशों से आयात करना पड़ा है। इसे बहुराष्ट्रीय निगमों अथवा विदेशी निगमों को भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर अधिकाधिक दबाव डालने का अवसर मिल रहा है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र का ही विस्तार हो।

जहां तक औषध लाइसेंसों का सम्बन्ध है, ये कुछ एक उद्योगों को ही दिये गये हैं। इसका परिणाम यह निकला है कि छोटे उत्पादक इस क्षेत्र में आने ही नहीं पाते। यह ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिस पर इस रूप में विचार करना है कि कुछ एक औषध निर्माताओं, विशेषतया विदेशी निर्माताओं के पक्ष में एकाधिकार न पनपने पाये। मंत्री महोदय हमें बतायें कि हमें देश की जनता के लिए अनिवार्य औषधियों का निर्माण करने के लिए विदेशी कम्पनियों पर आश्रित रहना पड़ता है।

जहां तक हाथी समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, पिछली सरकार ने इसे दबाने का प्रयास किया था। मंत्री महोदय हमें बतायें कि हाथी समिति की सिफारिशों के बारे में वर्तमान सरकार की क्या नीति है। क्या सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं अथवा नहीं?

नकली औषधियों का बहुत भय पैदा हो गया है। ऐसे लोग जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन अपराधियों के साथ न केवल कठोरता बरती जाये अपितु यह सुनिश्चित किया जाये कि देश में ऐसी बातें कभी न हों।

दूसरा मामला औषधियों के वितरण का है। यदि सरकारी वितरण एजेंसियों के माध्यम से औषधियों का वितरण किया जाये तो नकली और जाली औषधियों का परिचालन एकदम समाप्त हो सकता है। चूंकि यह महत्वपूर्ण मामला है, हमें थोक विक्रेताओं तथा खुदरा बिक्रेताओं को लोगों के जीवन से खिलवाड़ करके मुनाफा नहीं कमाने देना चाहिए।

जहां तक औषधियों के आयात का मामला है, यह राज्य व्यापार निगम पर छोड़ दिया जाना चाहिए। राज्य व्यापार निगम जिस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसा लगता है कि राज्य व्यापार निगम से 1975 के अन्त में बम्बई की एक प्राइवेट फर्म को 5 सरणीबद्ध औषधियों का आयात करने की अनुमति दी गई थी। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

राज्य व्यापार निगम अथवा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड द्वारा आयात की जाने वाली आधारभूत दवाइयों का मूल्य आयात किये जाने के बाद देश में, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचलित

मूल्य को तुलना में बहुत अधिक लगाया जाता है। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच गंभीरता से करनी चाहिए।

जहां तक औषध नियंत्रण आदेश का सम्बन्ध है सम्बद्ध अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे औषधियों की मूल्य वृद्धि के बारे में दिये गये आवेदनों पर विचार करें और उन्हें स्वीकृति दें। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य वृद्धि की अनुमति न केवल उचित जांच के बाद दी जाये अपितु आदेश जारी करके यह सुनिश्चित किया जाये कि लागत कैसे घटायी जा सकती है और मूल्य स्तर किस तरह नीचे रखा जा सकता है।

उर्वरकों के मूल्य निस्संदेह अधिक हैं। और साधारण किसानों तथा खेतिहरों की क्षमता से बाहर हैं। अकार्बनिक उर्वरकों का प्रतिस्थापन ढूंढ़ने के लिए हमें वैकल्पिक उपाय खोजने चाहिएं।

जहां तक उर्वरक निगम का सम्बन्ध है, इसके कार्यकरण की तत्काल जांच की जाये। वर्तमान प्रबन्धक निदेशक और उर्वरक निगम के अध्यक्ष के प्रति गंभीर आरोप हैं। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

उर्वरक निगम में न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन में अत्यधिक अन्तर है।

हल्दिया पेट्रो-रसायन समूह के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। यह परियोजना बहुत लम्बे समय से मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसे शीघ्र आरम्भ किया जाये।

जैसा कि श्रीमती पार्वती कृष्णन ने कहा है, मैं उनके कथन का समर्थन करता हूं कि कुकिंग गैस के मूल्य कम किये जाने चाहिएं।

Shrimati Mrinal Gore (Bombay North) : I am in agreement with the observations made by the hon. Members that the progress of our country in the field of agriculture and industry and other spheres largely depends on the working of this Ministry. This Ministry has a very vital role to play in the development of the country. The functioning of this Ministry is, therefore of special importance for the country.

Bombay High has raised the hopes among the people. It is hoped that oil in large quantity will be available from there and we will be able to cut our import of crude oil and develop petro-chemical complexes. But at the same time I would like to say that even after getting crude oil from Bombay high we will not be able to be self sufficient and will have to import crude oil. It is estimated that we will be getting ten million tonnes of crude oil from Bombay High by 1981. Even in that case we will have to import thirteen million tonnes of crude oil.

Much had already been said about the officers of O.N.G.C. I would like to comment only this that the O.N.G.C. would have done better than what it had achieved now if there had not developed the influence of caucus there. If there is still influenc of caucus in O. N. G. C. steps should be taken to set right things. Only then O.N.G.C. will function properly.

A number of hon. Members including Shrimati Parvati Krishnan have spoken about liquid petroleum gas. L.P.G. is used on large scale f r domestic consumption. There is eed to augment supply of this gas. It will help in reducing drudgery of women in their domestic work.

Other refineries have been nationalised, but Assam Oil Company has not been nationalised. It should be nationalised as early as possible. There is a petro-chemical complex in Baroda. We should have more such complexes in our country.

Next I would like to say that the expansion of the refineries near Bombay High and the expa sion of fertilizer plant in Trombay and other places is posing the problem of air pollution. The Minister should pay serious attention to this matter. Expansion of these units should be done in such a manner that there is no danger of air pollution.

[Shrimati Mrinal Gore]

Several hon. Members have made their observations about fertilizers. I do not want to go into those very details, but I want to say that we must have right approach in regard to our fertilizer needs. The country needs more and more inorganic fertilizers. We must increase our production of inorganic fertilizers.

So far as Gobar Gas plants are concerned, required success has not been achieved in this field during the last thirty years. We must give more emphasis to Gobar gas plants, as we will be getting manure as well as light therefrom.

So far as drugs, chemicals and pharmaceuticals are concerned, separate researches are being made by various companies 'these resulting in wasteful expenditure. A lot of money is being spent by each company on the research of the same item. I suggest that there should be co-ordination in this matter so that there is no duplication and unnecessary expenditure.

Much has been said about drugs and medicines. My suggestion is that a National Drugs Authority should be constituted. It should examine as to how cheap medicines could be supplied to the people. The prices of medicines are too high. Steps should be taken to reduce the prices. The Multinationals are earning huge profits and their role is the same as it was hence forth and even then licences are being given to them. The Hathi Committee has made recommendtions about multination's in regard to which the Ministry has stated in following in their report :—

"Government have already accepted the recommendations of the Committee on Drugs and Pharmaceuticals Industry pertaining to leadership role etc. etc."

My submission is that the recommendations of Hathi Committee should be implemented immediately.

So far as the manufacturing of branded medicines of major companies is concerned, I suggest that branded names should be abolished.

श्री इस्माइल हुसैन खां (बारपेटा) : तेल एक अति महत्वपूर्ण पदार्थ है, जो आसाम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आसाम एक छोटा सा राज्य है, लेकिन तेल की अधिकांश मात्रा इसी राज्य में पाई जाती है। समुचित व्यवस्था न होने के कारण आसाम से निकाला जाने वाला अधिकांश तेल बरौनी में, जो कि बिहार में है, साफ किया जाता है। आसाम राज्य का यह स्वाभाविक हक है कि आसाम राज्य से जो तेल निकाला जाये, उसका शोधन भी आसाम राज्य में किया जाना चाहिए।

आसाम में दो छोटी-छोटी तेलशोधन शालाएं हैं, जिनमें से एक गुहाटी में है तथा दूसरी डिगबोय में। यह तेल शोधन शालाएं बहुत छोटी हैं तथा इनकी शोधन क्षमता बहुत कम है। इन शोधनशालाओं की क्षमता से जो तेल अधिक होता है, उसे साफ करने के लिए बरौनी भेजा जाता है। जनता की यह मांग है कि आसाम में एक तीसरी तेलशोधनशाला स्थापित की जाय। बोंगाइगांव में एक तेल शोधनशाला स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। इसकी प्रस्तावित शोधन क्षमता 20 लाख टन रखी गई थी। परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि इस शोधनशाला के कार्य की गति बहुत धीमी है। यदि इसका निर्माण शीघ्र पूरा किया जाये, तो इसमें उत्पादन आरम्भ हो सकता है।

भूतपूर्व मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वर्तमान दो तेल शोधनशालाओं की क्षमता 15 लाख टन से बढ़ा कर 20 लाख टन कर दी जायेगी। परन्तु इन शोधनशालाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप कई तेल के कूओं से तेल नहीं निकाला जा रहा है।

भूतपूर्व मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बोंगाइगांव पेट्रो-रसायन एकक की क्षमता 20 लाख टन होगी। परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि इस समय जो संयंत्र स्थापित किया जा रहा है उसकी क्षमता 20 लाख टन से कम है। मैं नहीं जानता कि आसाम की उचित मांगों की भी क्यों अवहेलना की जा रही है। इस लिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में समुचित ध्यान दें।

बोंगाइगांव कार्यालय के प्रशासन में उपनिवेशवाद है। बोंगाइगांव पेट्रो-रसायन कार्यालय नई दिल्ली से चलता है। तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों ही प्रकार के कर्मचारी परियोजना के वास्तविक स्थल से दूर हैं। इन परियोजना में नियुक्तियों के मामले में भी आसाम राज्य के लोगों को उचित स्थान नहीं मिलते, क्योंकि नियुक्तियां नई दिल्ली से की जाती हैं। तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के पदों पर आसाम के लोगों को समुचित अवसर दिये जाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पेट्रो-रसायन एककों में नियुक्तियों के बारे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हितों को भी समुचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि पेट्रो-रसायन एकक का कार्यालय तुरन्त नई दिल्ली से बोंगाइगांव ले जाया जाये, ताकि यह परियोजना शीघ्र पूरी हो सके और इसमें तेल शोधन कार्य आरम्भ हो सके।

मिट्टी का तेल आसाम में मिलता है, परन्तु वहां यह बहुत महंगे भाव पर बिकता है। आसाम के कुछ भागों में इसके दाम 2 रुपये प्रति लिटर हैं। इस बारे में जांच की जानी चाहिए और ग्रामीण जनता में तेल के वितरण की समुचित व्यवस्था करने के लिए पग उठाये जाने चाहिएं।

Shri Durga Chand (Kangra) : Petroleum and fertilizers are as essential for the development of the country and making it strong, as water and air for human life. From the report of the Ministry it is evident that the production of fertilizers has gone up during 1976-77 to a satisfactory extent. But it has not been disclosed in the report as to how much foreign exchange is eroded in importing fertilizers.

The fertilizers play a vital role in the economy of the country. But the prices of the fertilizers are very high. It is verv difficult for the farmers to purchase fertilizrs. No doubt the fertilizers are becoming popular among the farmers. But their prices are prohibitive. It is a matter of common knowledge that our population has gone up and we need more food grain to feed our population and for that purpose we must increase our production of food grains. In order to increase the production of food grains, it is essential that fertilizers are made within the easy reach of farmers. So we must plan now for meeting the increased need of fertilizers for increasing our agricultural products. It is essential, therefore, to take steps to bring down the prices of fertilizers. So that the farmers are in a position to purchase and use the fertilizers. It is in the interest of the farmers as well as in the interest of the nation to bring down the prices of fertilizers.

The prices of drugs are very high. Poor people are not able to afford to purchase medicines or their treatment. The Government should take steps to ensure that cheap medicines are made available to the people.

There is no doubt in it that our petrol industry has made much progress. The drilling operations have made remarkable achievements. The drilling is in progress in Jawalamukhi and it is hoped that oil and gas will become available there. It is very gratifying and it will go a long way in improving the national economy.

In the last I would like to say that the prices of petrol are very high. Steps should be taken to reduce the prices.

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासौर) : महोदय, मैं इस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह विभाग जो कुछ करता रहा है, उसके लिए तीन महीने पुरानी जनता सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह प्रतिवेदन उन लोगों द्वारा तैयार किया गया है, जो इस विभाग के प्रशासन से कई वर्षों तक सम्बद्ध रहे हैं। इस प्रतिवेदन के कई अच्छे पहलू हैं। इस

[श्री समरेन्द्र कुन्डु]

प्रतिवेदन में उर्वरकों, पेट्रो-रसायनों तथा अन्य ऐसी वस्तुओं के क्षेत्र में की जा रही प्रगति के प्रयासों को बहुत अच्छी रूप रेखा दी गई है। इस में कहा गया है कि बम्बई हाई ने 27 महीनों में तेल निकाल कर विश्व में रिकार्ड स्थापित किया गया है। लेकिन बम्बई हाई में खुदाई कार्य 1953 से ले कर 21 मई, 1976 तक चला। तेल निकालने में इतने अधिक वर्ष लग गये। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि तेल निकालने में इतना अधिक समय कैसे लगा और तेल निकालने के लिए इतनी देर रुकना क्या आवश्यक था। मंत्री महोदय को कमियों का पता लगाना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार हैं।

प्रतिवेदन में केवल एक पक्ष की जानकारी दी गई है तथा तुलनात्मक आंकड़े नहीं दिये गये हैं। इस प्रतिवेदन में यह भी बताया जाना चाहिए था कि विश्व में रसायन उद्योग में किस गति से प्रगति हुई है तथा उस प्रगति की तुलना में हमारा स्थान कौन सा है।

प्रतिवेदन में मिट्टी के तेल की राज्यवार खपत के आंकड़े दिये गये हैं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि उड़ीसा में वर्ष 1975 में 31,000 टन मिट्टी के तेल की खपत हुई। इसी प्रकार महाराष्ट्र, हरियाणा, आसाम और हिमाचल प्रदेश आदि के बारे में मिट्टी के तेल के आंकड़े दिये गये हैं। परन्तु इस जानकारी से क्या फायदा? यदि मंत्री महोदय विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में आंकड़ों का पता लगाते तो इस से कुछ राज्यों में व्याप्त निर्धनता की सीमा के बारे में पता चल जाता। जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय औसतन प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से कम है, उन राज्यों को भारी राजसहायता दी जानी चाहिए, ताकि गरीब लोग मिट्टी का तेल उचित मूल्यों पर खरीद सकें।

जहां तक विकास और अनुसंधान का सम्बन्ध है, जब तक हम इस पर समुचित धन खर्च नहीं करेंगे समूचे पैट्रो-रसायन उद्योग का विकास नहीं हो सकता। अनुसंधान और विकास के लिए दी गई दुर्लभ राशि का प्रयोग मिट्टी के तेल के स्टोव के निर्माण के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि फरीदाबाद के अनुसंधान और विकास केन्द्र, द्वारा किया जा रहा है।

अनुसंधान कार्य पर विस्तार किया जाना चाहिये। हमारे युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को युद्ध स्तर पर कार्य पर लगाना चाहिये? हमें विश्व की आधुनिक जानकारी और प्रौद्योगिकी विकास का लाभ उठाना चाहिये। अनुसंधान और विकास पर व्यय की जाने वाली राशि बहुत कम है जब तक इस उद्देश्य हेतु अधिक धन व्यय नहीं किया जाता हम विश्व के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

जहां तक उर्वरकों के उत्पादन का सम्बन्ध है, हम यह जानना चाहते हैं कि जब उर्वरकों का उत्पादन भारी मात्रा में हुआ था तब इसके कुछ भाग का भण्डार कर लिया गया और बेचा नहीं गया। बिक्री बहुत कम हुई। इसकी गम्भीरता से जांच की जानी चाहिये।

यह बहुत दुःख की बात है कि 1973–74 और 1974–75 के दौरान सभी उर्वरकों को प्रति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति खपत कम हुई है। यह एक ऐसी समस्या है जिसकी जांच की जानी चाहिये जहां तक दवाइयों का सम्बन्ध है, हमारी इच्छा है और लोग भी चाहते हैं कि दवाइयां सस्ते और उचित मूल्यों पर उपलब्ध करायी जायें। यह एक अधूरा सपना है। हाथी समिति ने 117 दवाइयों को आवश्यक दवाइयों के रूप में बताया है और यह सिफारिश की है कि प्रशासनिक तंत्र को इस हद तक सुचारु बनाया जाये कि आवश्यक दवाइयां लोगों को उचित मूल्य पर प्राप्त होने लगे।

लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। हम आशा करते हैं कि श्री बहुगुणा जैसे योग्य मंत्री के नेतृत्व में अब यह काम पूरा हो जायेगा।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़ उत्तर) : उर्वरक उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब उर्वरकों का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता था और मांग भी अधिक नहीं थी तब उनकी बिक्री सस्ती दरों पर होती थी। लेकिन अब जबकि उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, इनके मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसके क्या कारण हैं।

आशय पत्र जारी करने के बाद और वास्तविक औद्योगिक लाइसेंस देने से पहले की अवधि इतनी लम्बी होती है कि मूल्य बढ़ जाते हैं और उद्योग विलम्ब के कारण विकास रियायतों का उपयोग नहीं कर पाता। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि मूल्यों में निरन्तर वृद्धि क्यों हो रही है। लागतों को कम करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहियें और जहां तक हो सके उसमें एकरूपता लाई जानी चाहिये।

हमारे देश में फॉसफेरिक उर्वरकों की 35 से अधिक कम्पनियां हैं। इन कम्पनियों में निजी कम्पनियां भी शामिल हैं। हमारे देश में 4.70 लाख टन फासफेटिक उर्वरकों का उत्पादन होता है और 3.50 लाख टन का आयात भी किया जाता है। लेकिन हमारी कुल मांग 19 लाख टन की है। जब तक स्वदेशी उत्पादकों और उन कारखानों, जिनमें उत्पादन रुका पड़ा है, को अपनी बेकार पड़ी क्षमता के उपयोग के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तब तक हमारे देश की फांसफेटिक उर्वरक सम्बन्धी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता ?

दूसरे, हमें उप-उत्पादों को भी प्राप्त करना होगा अन्यथा उर्वरक की लागत बहुत बढ़ जायेगी। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि मंत्रालय ने इस बात पर विचार किया है अथवा नहीं। जब तक इन चीजों की जांच नहीं की जाती मुख्य उत्पाद की लागत कम नहीं होनी। यदि 3-4 एकड़ जोत वाला किसान उर्वरकों का उपयोग करना चाहता है तो इसके लिये यह बहुत आवश्यक है।

जहां तक औषध उद्योग का सम्बन्ध है, पहले यह निर्णय किया गया था कि विदेशी पूंजी का साम्य शेयर घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है। हमारे विचार में इन कम्पनियों का इस उद्योग में बड़ा साम्य शेयर है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे कारखाने हैं जो अपमिश्रित और नकली दवाईयों की सप्लाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और इस मंत्रालय के बीच यह देखने के लिये कि नकली दवाइयां न बनाई जायें, क्या व्यवस्था है ?

अल्कोहल दवाई बनाने के काम में भी आता है। लेकिन दवाई के नाम पर अल्कोहल का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिये और इसके दुरुपयोग को रोकना चाहिये। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना से प्रदूषण आम हो गया है। संयंत्र के भीतर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि बचे फालतू पदार्थ समुद्र में कम से कम तीन मील दूरी तक जायें। यदि सरकारी क्षेत्रों के संयत्रों के भीतर ऐसी व्यवस्था की जायेगी तो हम निजी उद्योगों को भी यह तरीके अपनाने के लिये कह सकते हैं। मंत्रालय को इन बातों की जांच करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि स्वास्थ्य के लिये अहितकर पदार्थों को समाप्त किया जाये।

Shri L.L. Kapoor (Purnea) : It is expected that the prices of petrol will come down after the exploration in Bombay High but the petrol prices are still soaring high. Similarly, the price of diesel is also very high. It affects our overall economic development. The price of diesel can be reduced if the excise duty on it is withdrawn. Kerosene is used by lower section of the society. The system of its distribution through I.O.C. is defective and offers much scope for

[Shri L.L. Kapoor]

corruption. The Government have to devise measures to regulate its price and the system of distribution.

Cooking gas is one of petroleum products. There is no dearth of production in the country but due to shortage of cylinders which have to be imported, we are unable to meet the demand for cooking gas. Can)we not arrange the manufacturing of cylinders in our own country ? Then, it is found that agencies for cooking gas has been given to such persons as has already got agencies for various other things. Measures should be taken to see that in one city no agent is allowed a licence for more than one thousand cylinders.

Steps should be taken to manufacture essential drugs on a large scale in the public sector and their prices should be fixed so low that a common ma.. can easily purchase them.

The prices of industrial chemicals are very high. The S.T.C. sells those chemicals at the same prices at which private industrialists sell them in the market and earn huge profits. It is not fair. The S.T.C. should sell them at lower prices and compel the indigenous producers also ot sell them at lower prices.

A Commission should be appointed to enquire into the working of the organisations of I.O.C. and F.C.I. which are dens of corruption. They sho ld submit a report suggesting measures to remove the defects in their working.

श्री वयालार रवि (चिर्रापकील) : हमारी उर्वरक स्थिति काफी अच्छी है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री मराठे की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गई थी उसका मूल्य निर्धारण का आधार क्या था। उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि और कमी उत्पादन लागत के आधार पर की गई। अन्य उत्पादों को उसके साथ नहीं जोड़ा गया।

"फैक्ट" भारत का सबसे पुराना उर्वरक कारखाना है, परन्तु इसकी सारी मशीनरी अब भी पुरानी है। इस कारखाने में कीटनाशक दवाइयां, यूरिया, एमोनियम सलफेट और एमोनियम नाइटरेट का उत्पादन होता है। मुख्यतः यहां एमोनियम का ही उत्पादन होता था। इस चीज पर नियंत्रण है। बाजार में यह बहुत ऊंची कीमत पर मिलता है और अधिकतर मुनाफा बिचौलिया ही खा जाते हैं। कारखाना घाटे पर चल रहा है और श्रमिकों को भी हानि हो रही है। सारे मामलों की छानबीन की जानी चाहिए।

रिपोर्ट में कोचीन के 'फेज' I और II का उल्लेख किया गया है। फेज II को तो विशेषरूप से विश्व बैंक से सहायता भी प्राप्त हुई। इन परियोजनाओं में विश्व बैंक का 50 करोड़ रुपया लगाया गया था। इस बात का पता लगाना चाहिए कि जिस मशीनरी पर यह रुपया लगाया गया था वह कहां गया। मंत्री महोदय को सारे मामले की जांच करनी चाहिए और इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि भूतपूर्व प्रबन्धक निदेशक ने इस बारे में क्या किया है। उर्वरकों के मूल उद्योग को जीवित करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

'फीड़ो' का काम काफी अच्छा रहा है और उसे विदेशों से आर्डर लेने में भी सफलता मिली है। परन्तु उसे समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। मंत्री महोदय को इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि यह निकाय समाप्त न हों।

केरल के लोगों ने कोचीन शोधनशाला के लिए सुपर टैंकर बर्थ की मांग की है। कोचीन शोधनशाला की क्षमता तेंतीस लाख टन है और हमें एक करोड़ तीस लाख टन अशोधित तेल आयात करना पड़ता है। बम्बई हाई से कोचीन तक अशोधित तेल ले जाने के लिए पाइप लाइन बिछाने की योजना आयोग एवं पेट्रोलियम मंत्रालय का विचार बड़ा ही विचित्र है। अच्छा हो, यदि बम्बई से मथुरा तक पाइप लाइन बिछाई जाए।

पेट्रोलियम उत्पादों का 63 प्रतिशत का वितरण भारतीय तेल निगम द्वारा किया जाता है और दो वर्षों, में इस निगम ने 30 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है । मंत्री महोदय इस बात की जांच करवाये कि यह लाभ शोधनशाला डिवीजन द्वारा कमाया गया था या विपणन डिवीजन द्वारा । भारतीय तेल निगम के अतिरिक्त विपणन हेतु एक अलग संगठन होना चाहिए । यह निगम लोगों को धोखा दे रहा है । पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए अलग संगठन होना चाहिए ।

लोगों को सस्ती दरों पर औषधियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सभी संभव प्रयास करने चाहिएं । बड़ी कम्पनियों द्वारा की जा रही लूटपाट समाप्त की जानी चाहिए ।

Shri Madan Lal Shukla (Jar jgir) : A fertilizer project was initiated at Korba in Madhya Pradesh in 1962-63 and abo.t 20 to 25 crores of rupees have already been spent on it so far. Now its work has been suspended for the last six or seven years on the plea that still more research work has to be done in regard to the working of a coal-based fertilizer plant.

There is good deal of man-power and coal is also abundantly available. The Minister should look into the matter and decide the matter at the earliest. This plant should immediately start functioning so that the shortage of fertilizer may be removed.

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस मंत्रालय के कार्यकरण तथा उद्देश्यों पर विस्तार से हुई चर्चा में भाग लिया है । इस मंत्रालय से समाज के सभी वर्गों को किस न किसी रूप में लाभ पहुंचता है । राष्ट्र निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है । कृषि के लिए उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं खरपतवारनाशी आदि दवाओं की अत्यन्त आवश्यकता होती हैं । लेकिन आज भी छोटा किसान उर्वरक नहीं खरीद सकता । 30 प्रतिशत कृषक ही इसका उपयोग कर पाते हैं । शेष को बिना उर्वरकों के ही गुजारा करना पड़ता है । मिश्र में 150 किलोग्राम प्रति हेक्टियर तथा जापान में 374 किलोग्राम प्रति एकड़ की तुलना में भारत में प्रति हेक्टियर उर्वरक की औसत खपत केवल 17 किलोग्राम है । बड़ी संख्या में छोटे किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं ।

मैं मानता हूं कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए कार्बनिक खाद की जरूरत पड़ती है । लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, और रसायनिक उर्वरकों की आवश्यकता हमें हर समय रहती है । मुख्य बात तो यह है कि रसायनिक, कार्बनिक तथा गैर-कार्बनिक खाद में उचित संतुलन होना चाहिए ताकि मिट्टी में अच्छी उर्वकरता बनी रहे ।

एक प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या हम स्वयं उर्वरकों की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं । आत्म निर्भरता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र प्रगति करे । हमारी नीति रह है कि देश में पैद किया गया उर्वरक यथासम्भव सस्ता हो । अतः पोषक स्टाक को निश्चित किया जा रहा है और हम कोयले को पोषक स्टाक के रूप में प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं । दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी बहुत सीमित और वह भी उपलब्ध नहीं है । फिर भी हम यथासंभव कार्य कर रहे हैं ।

जहां तक कोरबा संयंत्र का सम्बद्ध है, गत सरकार ने राम गुंडन तथा तलचेर योजना पर काम करने का निर्णय किया था और कुछ जांच के बाद कोरबा संयंत्र के लिए काम करना बन्द कर दिया । मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कोरबा संयंत्र का परित्याग नहीं किया गया है, वह अब भी हमारे दिमाग में है । उर्वरकों के मूल्य कम करने का सुझाव दिया गया है । अशोधित

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

तेल के मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी उर्वरकों के मूल्य नहीं बढ़ाए गए। अधिकाधिक क्षमता के उपयोग से हमने मूल्यों में कमी करने का प्रयास किया है लेकिन इसकी भी एक सीमा है और साथ ही कुछ कठिनाइयां हैं। सबसे बड़ी कठिनाई बिजली की कटौती की है। जिसका उर्वरक सयंत्रों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। अब वित्त मंत्री सैधान्तिक रूप यह मान गए हैं कि कि उर्वरक संयंत्रों के मामले में बिजली की कटौती नहीं की जायेगी और उत्पादन में बाधा डाले बिना उर्वरक कारखानों के लिए बिजली उपलब्ध कराई जायेगी।

यदि उर्वरक कारखानों की क्षमता 85 प्रतिशत कर दी जाये तो उर्वरक की लागत 100 रुपये प्रति टन कम हो सकती है। मुझे आशा है कि क्षमता उपयोग में वृद्धि करके वह कीमतों में कमी कर पायेंगे। गत सरकार ने यह बात स्वीकार नहीं की थी कि उर्वरकों और औषधियों पर कराधान नहीं लगाना चाहिए। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां कृषि के लिए राजसहायता दी जाती है। केवल भारत में ही कृषि पर कर लगाया जाता है

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 80 प्रतिशत किसान अपने लिए न तो पर्याप्त खाद्यान्न ही उत्पन्न कर पाते हैं और न ही वे उर्वरकों का प्रयोग कर पाते हैं। जनता सरकार को कृषि के लिए एक नई नीति बनानी होगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करेगी कि उर्वरकों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में न ले जाना पड़े। इससे भी लागत में कमी आयेगी।

भारतीय उर्वरक निगम के आकार तथा इसे चार एककों में बांटने के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। नेहरू प्लेस में बैठे निदेशक के लिए इस बात का पता लगाना भी संभव नहीं होता कि ट्राम्बे, तलचेर या रामगुंडम में क्या हो रहा है। और क्या सभी एकक भली भांति कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। अत: अच्छे प्रशासन एवं कार्य कुशलता के लिए तथा प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ऐसी व्यस्था की गई है।

जहां तक भारतीय उर्वरक निगम द्वारा बम्बई नगर निगम की अनुमति के बिना गलत ढंग से निर्माण कार्य करने का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं है और जो कोई ऐसा करेगा, वही इसके लिए जवाबदेह होगा। दूषण नियंत्रण के माध्यम से सरकार दो काम करना चाहती है। पहला गंधक भाप समाप्त करना तथा दूसरा यह कि बचे हुए फालतू पदार्थों को नदी में बहाने से पूर्व उन्हें मिला देना। आशा है कि ऐसा करके संदूषर्ण दूर करने में काफी सहायता मिलेगी।

यह सही है कि कीटनाशी दवाइयों की बिक्री में कमी हुई है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही इनके मूल्यों में 5 से 10 प्रतिशत तक की कमी की जायेगी। जिससे इनकी बिक्री बढ़ सके। सरकार इनकी किस्म में सुधार करने एवं इनकी कीमतों में कमी करने का प्रयास कर रही है ताकि आम आदमी इसे खरीद सके।

जहां तक योजना एवं विकास का सम्बन्ध है, हम स्वयं उर्वरक संयंत्र बना सकते हैं। हां अवश्य कुछ ऐसे पुर्जे हैं जिनका निर्माण हम यहां नहीं कर सकते और उनका आयात करना पड़ता है। अत: हमें ऐसे संयंत्रों की लागत कम करने के लिए एक अधिक व्यापक नीति तैयार करनी पड़ेगी। हम सात या आठ संयंत्र बनाएंगे ताकि देश में उर्वरकों का अधिकाधिक उत्पादन किया जा सके। इस मामले में उद्योग मंत्री से विचार-विमर्श करना पड़ेगा।

जहां तक औषधियों का प्रश्न है, औषध उद्योग में लगी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश के लिए किसी तरह भी सहायक नहीं हैं। प्रौद्योगिकी विकास में उनका योगदान शून्य के बराबर है।

उनका काम तो केवल इस देश में पैसा बटोरकर अपने देशों में भेजना है । ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अंधाधुन्ध रूप से लाभ कमा रही हैं । हाथी समिति की सिफारिशें इस मामले में सहायक सिद्ध हो सकती हैं । मंत्रिमंडल द्वारा हाथी समिति के प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के पश्चात शीघ्र ही सरकार अपने प्रस्ताव करेगी ।

"इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यटिकल लिमिटेड, 'पिम्परी' तथा मद्रास इन्स्ट्रूमेंट्स" के बारे में कई बातें कही गई हैं । हम सस्ती दवाएं चाहते हैं । सरकार को आवश्यक दवाओं के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम फार्मूलेशन सयंत्र स्थापित करना होगा ताकि औषधियों की किस्म एवं विपणन नियंत्रण हमारे हाथ में रहे ।

मेरे दिमाग में एक योजना है जिसके अन्तर्गत अनुसंधान और विकास कार्य को शीघ्र पूरा किया जायेगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में बहुत कम है । मुझे विश्वास है कि हम इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर सकेंगे ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड का हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा प्रौद्योगिकी की खरीद के बारे में प्रश्न उठाया गया है । यह औद्योगिकी फरवरी, 1977 में हमें उपलब्ध कराई गई थी । पहले जापानी प्रौद्योगिकी और बाद में इटली संघ की फार्माफिन की औद्योगिकी उपबलब्ध हुई । लेकिन अब अदायगियों सहित सारी बात समाप्त हो गई है । पूरा मामला प्रधान मंत्री को भेज दिया गया है । मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि देश को अच्छी प्रौद्योगिकी प्रदान न करने के लिये जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं किया जायेगा ।

यह सच ही कहा गया है कि दवाइयों के मूल्य बहुत अधिक हैं । ये कीमतें इसलिये अधिक नहीं हैं कि वितरित की जाने वाली मदें इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के माध्यम से दी जाती है । यह कम्पनी तो केवल उन्हीं दवाइयों का वितरण करती है जो वह स्वयं तैयार करती है । राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की जाने वाली प्रत्येक दवाई इस कम्पनी द्वारा वितरित नहीं की जाती । हम मूल्यों पर विचार कर रहे हैं ।

यह सच नहीं है कि हम मद्रास संयंत्र को बंद करने वाले हैं । हम यहां विधि औषधियों का उत्पादन करना चाहते हैं । वहां विधि औषधियों का उत्पादन करना होगा तभी यह कम्पनी लाभकारी कम्पनी बन सकती है ।

जहां तक मूल औषधियों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का सम्बन्ध है, हालांकि हमारा प्रयास आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का है, फिर भी इसे प्राप्त करना हमेशा सम्भव नहीं होता और इसलिये हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और कुछ मूल औषधियों का आयात जारी रखना पड़ेगा ।

यह सुझाव दिया गया है कि हमें पैट्रोलियम की मांग एवं उत्पादन के बीच की खाई को पाटने का प्रयत्न करना चाहिये । अशोधित तेल के भंडार वाले देश भी अपने क्षेत्रों का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । वे अन्य देशों से आयात कर रहे हैं । वस्तुतः कुछ देश ऐसा कर रहे हैं ताकि जब अन्य देशों के पास ऊर्जा समाप्त हो जायेगी, तब भी उनके पास ऊर्जा उपलब्ध रहेगी । हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं । हमें खोज करनी होगी और इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

तेल प्राकृतिक गैस का आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है । बम्बई-हाई में तेल की खोज के बाद से ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना उत्साहित है कि पृथ्वी से अथवा समुद्र तट पर तेल की खोज पर बुरा प्रभाव पड़ा है । यह बात नहीं कि खोज नहीं की जा रही पर उत्साह इतना अधिक है कि उस उत्साह में पूरी स्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया है । हम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन कर रहे हैं ताकि न तो तट-दूर और न ही तट पर तेल की खोज के प्रयासों पर असर पड़े । बम्बई-हाई गैस का बम्बई-हाई अशोधित तेल ही तेल या गैस के मामले में अंतिम नहीं है । हम बम्बई क्षेत्र में और अधिक खोज कर रहे हैं और यह खोज बम्बई के कई क्षेत्रों में की जा रही है । भारतीय-रूसी दल ने 'पारा-मीट्रिक' कुओं के लिये 31 स्थल छांटे हैं और 17 कुओं की खुदाई की जा रही है । ये कुएं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य स्थानों पर है । आसाम में हम एसोसिएट गैस बना रहे हैं । हम वहां इस गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र बनायेंगे क्योंकि गैस पर आधारित उर्वरक सस्ता होता है । अतः हम पेट्रोल के तेल क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं ।

कई सदस्य पेट्रोल, खाना बनाने में काम आने वाली गैस या मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी करने की मांग कर रहे हैं । यदि कमी की जा सके तो यह प्रसन्नता की बात होगी । लेकिन कठिनाई यह है कि इसे कम कैसे किया जाये । अरब देशों को छोड़कर विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में इनकी कीमत कम है जो सस्ते दामों पर पेट्रोल बेचते हैं । लेकिन यदि अवसर मिलता रहा तो मैं सबसे पहले मिट्टी के तेल की कीमत में कमी करूंगा जिससे लाखों को फायदा होगा ।

एक सदस्य ने नये स्टोव का मजाक उड़ाया है । इस स्टोव की भारी मांग है । इससे प्राप्त गर्मी की मात्रा अन्य स्टोवों से अधिक है ।

तेल साफ करने की लागत कम होगी । विपणन लागत भी कम करनी होगी । यह सुझाव दिया गया है कि विपणन और शोधन को अलग-अलग कर देना चाहिये और फिर यह देखना चाहिये कि क्या तेल शोधन लाभ कमा रहा है अथवा नहीं । हम इसकी लगातार निगरानी कर रहे है । हमने ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके माध्यम से मंत्रालय इस पर लगातर निगरानी रखता है । तेल समन्वय समिति भी निगरानी रखती है ताकि केवल विपणन से लाभ न हो, बल्कि शोधन एवं विपणन दोनों को मिलाकर लाभ हो ।

विभिन्न निगमों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों के रोजगार का प्रश्न उठाया गया है । इस पहल पर बहुत कम ध्यान दिया गया है । ऐसे कई निगम तथा कारखानें हैं जहां प्रतिशतता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये । अब हम 50 प्रतिशत रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों के लिये तथा 3 या 4 प्रतिशत रिक्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रखेंगे ताकि अल्प संख्यकों को हानि न हो । इसके अतिरिक्त हम पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियां खोलकर भी रोजगार दे सकते हैं । हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों की उपेक्षा न हो ।

श्रमिक वर्ग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । कहा गया है कि उनको बकाया राशि नहीं दी जा रही है । अन्य सदस्यों का कहना है कि उनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं होती । हमारा प्रयत्न है कि इनकी अच्छी तरह देखभाल की जाये ।

हम 'बंगाल केमिकल्स' की स्थिति से पूरी तरह अगवत हैं। एक दल इसके कार्यकरण की जांच कर रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कुछ लोगों के लालच के कारण यह बड़ा उपक्रम समाप्त हो जाये।

प्रशिक्षुओं को क्लर्कों की नौकरी के लिये प्रशिक्षित किया जाता है। अभी तक हमने जिन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है उनको, हरिजनों के लिये आरक्षित सीटों को छोड़कर, नौकरी दी जायेगी। इसके बाद सीधे भर्ती की जायेगी। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इन प्रशिक्षुओं को क्लर्कों की नौकरी दी जाए अथवा नहीं क्योंकि ऐसी नौकरियां कम होती हैं। मैंने श्रम मंत्री को लिखा है कि वह प्रशिक्षु अधिनियम पर दोबारा विचार करें और पता लगायें कि इस मामले में क्या उचित कार्यवाही की जा सकती है।

आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। मुझे इसमें गहरी रुचि है। मैं निश्चय ही इस बात पर विचार करूंगा कि यह किस हद तक अपनाई जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पेट्रोलियम मंत्रालय के सम्बन्ध में सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut Motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित मांग संख्या 72 और 73 सभा के मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई

The following Demands for Grants No. 72 and 73 in respect of Ministry of Petroleum were put to the vote of the House by the Dy. Speaker and were adopted

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
	पेट्रोलियम मंत्रालय	रु०	रु०
72.	पेट्रोलियम मंत्रालय .	42,99,000	..
73.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग .	38,47,21,000	2,54,94,30,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सम्बन्ध में सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित मांग संख्या 11 और 12 सभा के मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृति हुई

The following Demands for Grants Nos. 11 and 12 respect of Ministry of Chemicals and Fertilizers were put to the vote of the House by the Dy. Speaker and were adopted

मांग की सखया	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत अनदान की मांग की राशि	
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	रु०	रु०
11.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	28,71,000	
12.	रसायन और उर्वरक उद्योग . .	50,000	2,97,59,27,000

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 8 जुलाई, 1977/17 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिय स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, July 8, 1977/Asadha 17, 1899 (Saka)

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस० III 1996 एल० एस०—6-10-77—200